# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF

## 4th
## LOK SABHA DEBATES

[ सातवां सत्र
Seventh Session ]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[ खंड 24 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXIV contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price : One Rupee*

# विषय-सूची/CONTENTS

अंक 2, मंगलवार, 18 फरवरी, 1969/29 माघ, 1890 (शक)

*No. 2, Tuesday, February 18, 1969/Magha 29, 1890 (Saka)*


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | Obituary Reference | 1—2 |

ाश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ा० प्र० संख्या

. Q. Nos.

| | | |
|---|---|---|
| 1. केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् | Central Advisory Council for Industries .. | 2—8 |
| 2. रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग | Commission on Railway Safety .. | 8—10 |
| 3. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना | Take over of the British India Corporation, Kanpur .. | 10—14 |
| 4. काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस | Bonus to Coffee Board Workers .. | 14—16 |
| 5. इस्पात कारखानों के लिये कोककर कोयले की कमी | Shortage of Coking Coal for Steel Plants .. | 17—19 |
| 6. समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी रेलवे लाइन | B. G. Line from Samastipur to Darbhanga.. | 19—21 |
| 8. पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना | Setting up of Fifth Steel Plant .. | 21—23 |

ाश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

| | | |
|---|---|---|
| 7. फर्मों को पंजीयन प्रमाणपत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देना | Grant of Registration Certificates and Industrial Licences to Firms .. | 23—24 |
| 9. कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना | Closure of Textile Mills .. | 24 |
| 10. केरल में नारियल जटा सम्बन्धी योजना | Coir Scheme in Kerala .. | 25 |
| 11. गाय, सूअर आदि की चरबी (टैलो) का आयात | Import of Tallow .. | 25—26 |
| 12. आसाम में चाय बागान | Tea Gardens in Assam .. | 26—27 |


* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
| --- | --- | --- |
| ता० प्र० संख्या<br>S. Q. Nos. | | |
| 13. नेपाल द्वारा भारतीय माल का पुनर्निर्यात | Re-export of Indian Goods by Nepal .. | 27 |
| 14. आसाम में कागज की लुग्दी का कारखाना | Paper Pulp Factory in Assam .. | 28 |
| 15. गैर-सरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिये लाइसेंस | Licences for Expansion Programme in Private Sector .. | 28—29 |
| 16. संयुक्त अरबगणराज्य द्वारा सप्लाई की जाने वाली रुई की कीमतें | Prices of Cotton Supplied by UAR .. | 29 |
| 17. विदेशी सहयोग करार | Foreign Collaboration Agreements .. | 29—30 |
| 18. केरल में सूक्ष्म (प्रीसीजन) यंत्र कारखाना परियोजना | Precision Instrument Factory Project in Kerala .. | 30—31 |
| 19. गोहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पुल में दरार | Crack in Brahmaputra Bridge at Gauhati .. | 31 |
| 20. संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना | Take over of Sick Textile Mills .. | 31 |
| 21. कोयले को आंशिक रूप से निकालना | Partial Exploitation of Coal .. | 32 |
| 22. नई कागज मिलों की स्थापना | Establishment of New Paper Mills .. | 32 |
| 23. ब्रिटेन द्वारा आयात जमा योजना से भारतीय माल को छूट | Indian Goods Exempted by Britain from Import Deposit Scheme .. | 32—33 |
| 24. क्यूबा को पटसन की वस्तुओं का निर्यात | Export of Jute goods to Cuba .. | 33 |
| 25. रेलवे माल यातायात | Railway Goods Traffic .. | 34 |
| 26. ईरान को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की रेल की पटरियों का निर्यात | Export of H. S. L. Rails to Iran .. | 35 |
| 27. ताल्चेर विमलागढ़ रेल सम्पर्क | Talcher-Bimlagarh Rail Link .. | 35 |
| 28. छोटी कार परियोजना | Small Car Project .. | 36 |
| 29. भारत से निर्यात किये जाने वाले कपड़े को ब्रिटेन की आयात जमा योजना से छूट | Exemption of Indian Textile Exports from Britain's Import Deposit Scheme .. | 36—37 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| **ता० प्र० संख्या** | | |
| **S. Q. Nos.** | | |
| 30. मोटर गाड़ियों के पुर्जों का आयात | Import of Motor Car Parts .. | 37 |
| **अता० प्र० संख्या** | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | |
| 1. उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात | Export of Manganese Ore to North Korea .. | 38 |
| 2. श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई को निर्यात आयात लाइसेंस | Export Import Licences to Shri Kantilal Morarji Desai .. | 38 |
| 3. मोटर कारों की किस्म सम्बन्धी समिति की सिफारिशें | Recommendation of the Committee on Quality of Motor Cars .. | 38—39 |
| 4. पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के फायर मैन | Firemen in Sealdah Division of Eastern Railway .. | 39—40 |
| 5. गुजरात में नये उद्योगों के लिये लाइसेंस | Licences for New Industries in Gujarat .. | 40 |
| 6. वीरमगाम के निकट भूमिगत पुल | Underground Bridge Near Viramgam .. | 40—41 |
| 7. रामनगर मोहान रेलवे लाइन | Ram Nagar Mohan Railway Line | 41 |
| 8. छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में बदला जाना | Conversion of N. G. Lines into Broad Gauge .. | 42 |
| 9. कुमांऊ (उत्तर प्रदेश) में कुटीर उद्योग | Cottage Industries in Kumaon (U. P.) .. | 42 |
| 10. इंडिया विग लिमिटेड | India Wigs Ltd. .. | 42—43 |
| 11. बोकारो इस्पात कारखाना का पूर्ण होना | Completion of Bokaro Steel Project .. | 43—44 |
| 12. एक्स-रे फिल्मों के आयात पर पाबन्दी | Ban on Import of X-Ray Films .. | 44 |
| 13. ट्रकों/बसों के टायरों और ट्यूबों का अभाव | Shortage of Truck/Bus Tyres and Tubes .. | 44—45 |
| 14. इस्पात संयंत्रों की पूंजी का बट्टे खाते डाला जाना | Writing off Capital of Steel Plants .. | 45—46 |
| 15. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को हुई हानि | Loss Suffered by Hindustan Zinc Ltd. .. | 46 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 16. लघु उद्योग सेवा संस्था, त्रिचूर के निदेशक | Director, Small Industries Services Institute, Trichur | 46—47 |
| 17. मैसर्स किलाचन्द देवीचन्द एण्ड कम्पनी, बम्बई | M/s. Kila Chand Devichand and Co., Bombay .. | 47 |
| 18. छोटी कार निर्माण सम्बन्धी योजना | Plan for Manufacture of Small Car | 47—48 |
| 19. गुजरात में रेलवे का विद्युतीकरण | Electrification of Railway Lines in Gujarat.. | 49 |
| 21. आंध्र प्रदेश में हीरों के भंडार | Reserves of Diamonds in Andhra Pradesh | 49—50 |
| 22. हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड | Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd. .. | 50 |
| 23. लघु उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन | Allotment of Foreign Exchange to Small Scale Industries .. | 50—51 |
| 24. सूती धागे का निर्यात | Export of Cotton Yarn | 51 |
| 25. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन | Reorganisation of Hindustan Steel Ltd. | 52 |
| 26. जापान को कच्चे लोहे का निर्यात | Export of Iron Ore to Japan | 52 |
| 27. इस्पात की दुर्लभ किस्मों का सम्भरण | Supply of Scarce Categories of Steel | 53 |
| 28. विदेशों में संयुक्त सहयोग उपक्रम | Joint Collaboration Ventures in Foreign Countries | 53—55 |
| 29. निर्यात प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन | Incentives to Export-oriented Industries .. | 55 |
| 30. पट्टम्बी में एक्सप्रेस/मेल गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था | Halt for Express/Mail Trains at Pattambi .. | 55—56 |
| 31. बिहार में गावों का औद्योगीकरण | Rural Industrialisation in Bihar | 56 |
| 33. उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग | Utilisation of Installed Capacity in Industries | 56—57 |
| 34. विशाखापटनम में जिंक स्मैल्टर | Zinc Smelter at Visakhapatnam .. | 57 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |


| | | |
|---|---|---|
| 35. केरल में नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन | Reorganisation of Coir Industries in Kerala | 58 |
| 36. प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन | Production of Natural Rubber .. | 58—59 |
| 37. युनाइटेड प्राविन्सिज कमर्शियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड | United Provinces Commercial Corporation (P) Ltd. .. | 59—61 |
| 38. विदेशी सहयोग नीति | Foreign Collaboration Policy . | 61—62 |
| 39. भारत की आर्थिक नीतियां | India's Economic Policies | 62 |
| 40. गैर-सरकारी उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस | Industrial Licences for Private Industries .. | 63 |
| 41. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में लगी पूंजी | Investment in Hindustan Steel Ltd. | 63—64 |
| 42. शहर में उद्योगों का केन्द्रीकरण | Concentration of Industries in Town | 64 |
| 43. बड़े उद्योग तथा लघु उद्योग | Large Scale and Small Scale Industries .. | 65 |
| 44. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि | Loss to Hindustan Steel Ltd. | 65—66 |
| 45. केरल में सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये सूती कपड़ा मिलें | Textile Mills Taken over by Government in Kerala .. | 66—67 |
| 46. केरल में औद्योगिक लाइसेंस | Industrial Licences in Kerala | 67 |
| 47. लघु उद्योगों को इस्पात का संभरण | Supply of Steel to Small Scale Industries .. | 67—68 |
| 48. दक्षिण रेलवे में मीटर गेज रेलवे लाइनें | M. G. Railway Lines in Southern Railway.. | 68 |
| 49. दिल्ली तथा इसके उपनगरों के बीच विद्युत् चालित रेल गाड़ी | Electric Trains between Delhi and Satellite Towns .. | 68 |
| 50. विदेशों में रहने वाले संबंधियों से ट्रैक्टरों का आयात | Import of Tractors from Relations Abroad .. | 69 |
| 51. बर्तनों तथा पीतल के सामान का निर्यात | Export of Utensils and Brasswares .. | 69 |
| 52. स्कूटरों का निर्माण | Manufacture of Scooters | 69—70 |
| 53. भारतीय माल के पुनर्निर्यात के कारण हानि | Loss due to Re-export of Indian Goods | 70—71 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 54. फायरमैनों को डीजल के इंजन चलाने का प्रशिक्षण | Diesel Training for Firemen .. | 71 |
| 55. कपड़ा मिल | Textile Mills .. | 71 |
| 56. संयुक्त अरब गणराज्य को व्यापार शिष्टमंडल | Trade Delegation to UAR .. | 72 |
| 57. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ईरानी तकनीशनों का प्रशिक्षण | Training of Iranian Technicians by H.S.L. .. | 72—73 |
| 58. प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना | Scheme to Benefit class I, II and III Railway Employees .. | 73—74 |
| 59. तालचेर में उद्योग समूह | Industrial Complex at Talcher .. | 74 |
| 60. विकास योजनाओं के लिये धन का नियतन | Allocation of Funds for Development Schemes .. | 74 |
| 61. कारीसाठ रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर गुंडागर्दी की घटना | Hooliganism at Karisath Railway Station (E. Rly) .. | 75 |
| 62. एल्युमीनियम कंडक्टर | Aluminium Conductors .. | 75—76 |
| 63. बनरहाट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना | Derailment of Goods Train near Banarhat Station (N. E. Railway) .. | 76 |
| 64. अमादलवालसा में सायबाबा कपड़ा मिल | Saibaba Textile Mill at Amadalavalasa | 76—77 |
| 65. रेलवे में बिना टिकट यात्रा | Ticketless Travel on Railways | 77 |
| 66. बिरला समवाय समूह के विरुद्ध जांच | Enquiry against Birla Group of Companies .. | 77—78 |
| 67. अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों में गिरावट | Fall in Prices of Tea in International Market | 78—79 |
| 68. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन | Ashoka Mehta Committee's Report on Khadi and Village Industries Commission .. | 79 |
| 69. अफगानिस्तान को विमान द्वारा भारतीय माल भेजा जाना | Air lifting of Indian goods to Afghanistan .. | 79—80 |
| 70. आउट एजेंसियों का पुनः खोला जाना | Operation of Closed Out Agencies .. | 80 |

| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| 71. | विन्नमंगलम (अम्बूर) में ऊन साफ करने का केन्द्र | Wool Processing Centre at Vinnamangalam (Ambur) .. | 80 |
| 72. | हापुड़ बोन मिल्स | Hapur Bone Mills .. | 80—81 |
| 73. | जापानी व्यापार मंडल का भारत का दौरा | Visit by Japanese Trade Mission .. | 81—82 |
| 74. | विशाखापटनम में जिंक स्मैल्टर | Zinc Smelter at Visakhapatnam .. | 82—83 |
| 75. | कपड़ा और चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव | Modernisation of Textile and Sugar Industries .. | 83—84 |
| 76. | रूमानिया को फियट कारों का निर्यात | Export of Fiat Cars to Rumania .. | 84 |
| 77. | प्रकाशन के लिये औद्योगिक लाइसेंस | Industrial Licences for Publication .. | 84—85 |
| 78. | सरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिये लाइसेंस | Licences for Expansion Programme in Public Sector .. | 85 |
| 79. | रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में तोड़ फोड़ करने वाले | Saboteurs in Heavy Machine Building Plant, Ranchi .. | 86 |
| 80. | छोटे रेशे वाली रुई से महीन धागा निकालना | Fine Thread from Short Staple Cotton | 86 |
| 81. | दिल्ली में रेलों का विकास | Development of Railways in Delhi | 86—87 |
| 82. | मेरठ और गाजियाबाद के बीच रेलवे लाइन का दोहरा किया जाना | Doubling of Railway line between Meerut and Ghaziabad .. | 87 |
| 83. | लक्कदीव में औद्योगिक कारखाने | Industrial Units in Laccadives .. | 87 |
| 84. | लक्कदीव द्वीपों में औद्योगिक कारखाने | Industrial Units in Laccadives .. | 88 |
| 85. | जाली निर्यात प्रमाण-पत्रों के आधार पर आयात लाइसेंसों का दिया जाना | Issue of Import Licences on the basis of Bogus Export Certificates .. | 88 |
| 86. | भारत ईरान व्यापार का विकास | Development of Indo-Iran Trade .. | 88—89 |
| 87. | कैस्पियन सागर होकर यूरोप के देशों को निर्यात | Exports to European Countries via Caspian Sea .. | 89 |
| 88. | हाथरस की कपड़ा मिलें | Textile Mills, Hathras .. | 89 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ PAGES |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या** | | |
| **U. S. Q. Nos.** | | |


| | | |
|---|---|---|
| 89. बिना टिकट यात्रा | Ticketless Travel .. | 89—90 |
| 90. राज्य व्यापार निगम के द्वारा नेपाल से आयात | Imports from Nepal through State Trading Corporation .. | 90 |
| 91. मैसर्स कूपर एलेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर | M/s. Cooper Allen and Co. Ltd., Kanpur.. | 90—91 |
| 92. राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गयी कपड़ा मिलें | Textile Mills taken over by National Textile Corporation .. | 91 |
| 93. न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना | Taking over of the New Victoria Mills Ltd., Kanpur .. | 91—92 |
| 94. रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन | Production in Heavy Engineering Corporation, Ranchi .. | 92—93 |
| 95. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड | National Instruments Ltd., Calcutta .. | 93 |
| 96. टाटानगर में मुगलसराय तक द्रुतगामी वर्कर्स एक्सप्रेस चलाना | Introduction of a Fast Workers Express Train from Tatanagar to Mughalsarai .. | 93—94 |
| 97. भारी इंजीनियरी निगम रांची में वेतनमानों का संशोधन | Revised Scales in Heavy Engineering Corporation, Ranchi .. | 94 |
| 98. एशियाई देशों के व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन | Asian Trade Ministers' Conference .. | 95—96 |
| 99. बंगलौर में दूसरी औद्योगिक बस्ती | Second Industrial Estate at Bangalore .. | 96 |
| 100. भारतीय मानक संस्था के निदेशक | Director, Indian Standards Institution .. | 96—97 |
| 101. अंगोरा ऊन का आयात | Import of Angora Wool | 97 |
| 102. दण्डकारण्य तथा सम्भलपुर बोलनगिर क्षेत्रों का सर्वेक्षण | Survey of Dandakaranya and Sambalpur Bolangir Areas .. | 97—98 |
| 103. चाय, पटसन, कपास तथा लौह अयस्क पर निर्यात शुल्कों में कमी करने से हानि | Loss due to Reduction in Export Duties on Tea, Jute, Raw Cotton and Iron Ore .. | 98 |
| 104. खुरदा डिवीजन में कर्मचारी लाभार्थ निधि | Staff Benefit Fund in Khurda Division | 98 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 105. मशीन निर्माण उद्योग में बेकार क्षमता | Idle Capacity in Machine Building Industries | 98—99 |
| 106. चकिया तथा पिपरा स्टेशनों (पूर्वोत्तर रेलवे) के बीच फिशप्लेटों का निकाल लिया जाना | Removal of Fish Plates between Chakia and Pipra Stations (N. E. Rly.) .. | 99 |
| 107. विदेश व्यापार के आंकड़े | Statistics of Foreign Trade .. | 99 |
| 108. छोटी लाइन के इंजन | N. G. Locomotives .. | 100 |
| 109. भारत मलयेशिया औद्योगिक उपक्रम | Indo-Malaysian Industrial Ventures .. | 100 |
| 110. हीरों का निर्यात | Export of Diamonds .. | 101 |
| 111. धनबाद, झरिया तथा आसनसोल में कोयले का जमा होना | Accumulation of coal in Dhanbad, Jharia and Asansol .. | 101 |
| 112. निर्यात संवर्द्धन कार्यक्रम | Export Promotion Programme .. | 101--102 |
| 113. रेलवे दुर्घटना जांच समिति का प्रतिवेदन | Railway Accident Enquiry Committee's Report .. | 102 |
| 114. रेलवे पटरियों का टूटना | Breaches in Railway Tracks .. | 102—103 |
| 115. गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों का तकनीकी विकास के महानिदेशक की सूची पर स्थानान्तरण | Transfer of Private Sector Industrial Establishments on the list of DGTD .. | 103—104 |
| 116. आर्ट सिल्क विविंग उद्योग | Art Silk Weaving Industry .. | 104 |
| 117. औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना | Issue of Industrial Licences .. | 104—105 |
| 118. विदेशी विशेषज्ञ | Foreign Know How .. | 105—106 |
| 119. हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की रिहाई | Release of Railway Employees who Participated in Strike .. | 106—107 |
| 120. परियोजनाओं में सुधार करने हेतु रूसी प्रतिनिधिमंडल | Russian Delegation for Improving Projects .. | 107—108 |
| 121. राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सलाहकार समिति | Advisory Committee of National Textile Corporation .. | 108—109 |
| 122. बोकारो इस्पात कारखाना | Bokaro Steel Plant .. | 109 |

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 123. | इस्पात संबंधी सौदों के बारे में सरकार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना | Recommendations of Sarkar Committee on Steel Transactions | 110 |
| 124. | कानपुर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर | Ticket Collectors at Kanpur Station .. | 111 |
| 125. | कानपुर सेन्ट्रल स्टेशन में मुख्यालय वाले टिकट कलेक्टर | Ticket Collectors with Head Quarters at Kanpur Central Station .. | 111 |
| 126. | चल टिकट परीक्षक दल (टी० टी० ई० स्क्वैड) | T.T.E. Squad .. | 111—112 |
| 127. | इटावा स्टेशन पर 11 अप दिल्ली एक्सप्रेस गाड़ी को टी० टी० ई० द्वारा रोका जाना | Stopping by a T.T.E. of 11 UP Delhi Express Train at Etawah .. | 112 |
| 128. | गोरखपुर को बड़ी लाइन से मिलाना | B. G. Rail Link to Gorakhpur | 112 |
| 129. | आनन्दनगर स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल तथा द्वीप (आइलैंड) प्लेटफार्म | Foot Overbridge and Island Platform at Anandnagar Station .. | 113 |
| 130. | रूस को काजू का निर्यात | Export of Cashewnuts to USSR .. | 113 |
| 131. | बोकारो इस्पात कारखाने से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन | Report of Committee on Bokaro Steel Plant .. | 113—114 |
| 132. | कृत्रिम रेशम के धागे का वितरण | Distribution of Art Silk Yarn .. | 114—115 |
| 133. | महाराष्ट्र का सर्वेक्षण | Survey of Maharashtra .. | 115—116 |
| 134. | यवतमाल एल्लिचपुर रेलवे लाइन | Yeotmal-Ellichpur Railway Line .. | 116 |
| 135. | मसूरी एक्सप्रेस | Mussoorie Express .. | 116 |
| 136. | बिड़ला काटन ऐन्ड स्पिनिंग मिल्ज, दिल्ली | Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi .. | 117 |
| 137. | गढ़वाल जिले में उद्योग | Industries in Garhwal District .. | 117 |
| 138. | हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स एन्ड कांस्ट्रक्शन लिमिटेड | Hindustan Steelworks Construction Ltd. .. | 117—118 |
| 139. | कटक-पारादीप रेलवे लाइन | Cuttack-Paradeep Railway Line .. | 118 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| **अता० प्र० संख्या**<br>**U. S. Q. Nos.** | | |
| 140. मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार | Expansion of Alloy Steel Plant .. | 118—119 |
| 141. विभागीय अधीक्षक कार्यालय उत्तर रेलवे एक्सचेंज | D.S's Office, Northern Railway Exchange .. | 119—120 |
| 142. बम्बई में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संस्था | Ticketless Travellers Association in Bombay .. | 120 |
| 143. उत्तर रेलवे के केन्द्रीय अस्पताल में दवाइयों की खरीद | Purchase of Medicines in Central Hospital of Northern Railway .. | 120 |
| 144. भारत का निर्यात | India's Exports .. | 120—121 |
| 145. बिड़ला उद्योग समूह | Birla Group of Industries .. | 121—122 |
| 147. राष्ट्रीय विकास निगम परियोजना के लिये विदेशी परामर्शदाता | Foreign Consultant for N.M.D.C. Project .. | 122—123 |
| 148. उत्तर प्रदेश में मशीनी औजार बनाने का कारखाना | Machine Tool Plant in U. P. .. | 123—124 |
| 149. पानीपत वूलेन ऐन्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, खरर का प्रबन्धक निदेशक | Managing Director of Panipat Woolen and General Mills Limited, Kharar .. | 124—125 |
| 150. सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलें | Textile Mills taken over by Government .. | 125—126 |
| 151. बिना टिकट यात्रा की रोकथाम | Checking of Ticketless Travel .. | 126 |
| 152. रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन | Rohtak-Panipat Railway Line .. | 126—127 |
| 153. कालका-शिमला रेलवे लाइन | Kalka-Simla Railway Line .. | 127 |
| 154. अमृतसर में नकली रेशम उद्योग | Art Silk Industry at Amritsar .. | 127—128 |
| 155. रेलवे कर्मचारियों के लिये नया वेतन आयोग | New Pay Commission for Railway Employees .. | 128 |
| 156. राज्य व्यापार निगम | State Trading Corporation .. | 128—129 |
| 157. सिलीगुड़ दार्जिलिंग गाड़ी बन्द करना | Abolition of Siliguri-Darjeeling Train .. | 129 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 159. नई दिल्ली से विशाखापत्तनम तक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का चलना | Running of an Express Train between New Delhi and Vishakhapatnam .. | 129 |
| 160. रायपुर धमतरी रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना | Conversion of Raipur-Dhamtari Railway Line into Broad Gauge .. | 129 |
| 161. रेयन तथा कृत्रिम धागे से बने कपड़े के निर्यात में कमी | Fall in Export of Rayon and Synthetic Fabrics .. | 130 |
| 162. भारतीय मानक संस्था | Indian Standards Institution .. | 130 |
| 163. रेयन और कृत्रिम धागे का आयात | Import of Synthetic and Rayon Yarns .. | 131 |
| 164. ब्लीडिंग मद्रास कपड़े का निर्यात | Export of Bleeding Madras Fabrics ? .. | 131—132 |
| 165. खुखरियों सम्बन्धी मांग | Demand for Kukris .. | 132—133 |
| 166. भारतीय मानक संस्था | Indian Standards Institution .. | 133 |
| 167. साइकिलों और कारों के टायरों की कमी | Shortage of Cycle and Car Tyres | 133 |
| 168. दिल्ली में रिंग रेलवे | Ring Railway in Delhi .. | 133—134 |
| 169. कोटलपुकुर स्टेशन पर बम विस्फोट | Bomb Explosion at Kotalpukur Station | 134 |
| 170. विल्लियंवाक्कम स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना | Stopping of Trains at Villivakkam Station .. | 134—135 |
| 171. अमरीका के मैसर्स शुल्टन्स द्वारा भारत में प्रसाधन सामग्री और नहाने के साबुन का निर्माण | Manufacture in India of Cosmetics and Toilet Products by M/s. Shultons of USA .. | 135 |
| 172. पटसन उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल | Working Group on Jute Industry .. | 135—136 |
| 173. भिलाई इस्पात कारखाने को हानि | Loss to Bhilai Steel Plant | 136 |
| 174. कर्मचारियों को रियायतें | Concessions to Railway Employees .. | 137 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. | | |
| 175. कोरापुट डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता | Special Compensatory Allowance to Railway Employees in Koraput Division .. | 137 |
| 176. पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनीकरण | Divisionalisation of North Eastern Railway.. | 138 |
| 177. बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा के लेखों में अनियमितता | Irregularities in the Accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sangh, Darbhanga .. | 138 |
| 178. वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये लाइसेंस | Licences issued by the Ministry of Commerce .. | 138 |
| 179. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना | Stoppages of Mail/Express Trains .. | 139 |
| 180. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का स्टेशनों पर बिना अनुसूची के रुकना | Unscheduled Halts of Mail/Express Trains at Stations .. | 139—140 |
| 181. दक्षिण जाने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां | South Bound Mail/Express Trains .. | 140 |
| 182. भारत के निर्यात में वृद्धि | Increase in India's Exports .. | 140—141 |
| 183. राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हानि | Loss to NMDC .. | 141—142 |
| 184. जापान और उत्तर कोरिया को लौह अयस्क का निर्यात | Export of Iron Ore to Japan and North Korea .. | 142—143 |
| 185. मैसर्स मैसूर टोबैको लिमिटेड बंगलौर | M/s. Mysore Tobacco Ltd. Bangalore .. | 143 |
| 186. अशोक लेलैंड लिमिटेड, मद्रास | Ashok Leyland Ltd., Madras .. | 144 |
| 187. बम्बई बर्मा ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई | Bombay Burma Trading Corporation Ltd., Bombay .. | 144 |
| 188. गुडइयर इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता | Goodyear (India) Ltd., Calcutta .. | 145 |
| 189. मोरारजी गोकुलदास स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड | Morarji Gokuldas Spinning and Weaving Company Ltd. .. | 145—146 |
| 190. मैसर्स कोहीनूर मिल्स लिमिटेड बम्बई | M/s. Kohinoor Mills Ltd., Bombay . | 146 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| अता० प्र० संख्या<br>U. S. Q. Nos. | | |
| 191. मैसर्स टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, बम्बई | M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay .. | 146 |
| 192. मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई | M/s. Mackenzies Ltd., Bombay .. | 146—147 |
| 193. एक सदस्यीय रेलवे न्यायाधिकरण | One Man Railway Tribunal | 147 |
| 194. रेलवे माल की चोरी | Theft of Railway Goods .. | 147—148 |
| 195. पूर्वोत्तर रेलवे के गुड्स बुकिंग आफिसों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी | Bribery and Corruption in Goods Booking Offices of North Eastern Railway .. | 148—149 |
| 196. मुजफ्फरपुर बगाह यात्री गाड़ी (पूर्वोत्तर रेलवे) में गोली चलना | Firing in Muzaffarpur Bagaha Passenger Train (N. E. Rly.) .. | 149 |
| 197. उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए ऋण | Loan for Industrial Development in U. P. .. | 150 |
| 198. दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र में ताला बन्दी के कारण हुई श्रम-दिनों की क्षति | Man-days lost due to lock out in Durgapur Steel Plant .. | 150—151 |
| 199. अखिल भारतीय लोको शेड सुपरवाइजर सम्मेलन | All India Loco Shed Supervisory Conference .. | 151—152 |
| 200. काली मिर्च का निर्यात | Export of Pepper .. | 152 |
| सभा-पटल पर रखे गये पत्र | Papers Laid on the Table .. | 152—153 |
| राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक | Bills passed by Rajya Sabha .. | 153 |
| (1) अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक | Advocates (Second Amendment) Bill .. | 153 |
| (2) मोटरगाड़ी (संशोधन) विधेयक | Motor Vehicles (Amendment) Bill .. | 153 |
| विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति | President's Assent to Bills .. | 153—154 |
| लोक लेखा समिति | Public Accounts Committee .. | 154 |
| 41 वां प्रतिवेदन | Forty first Report .. | 154 |
| प्राक्कलन समिति | Estimates Committee .. | 154 |
| 70 वां प्रतिवेदन | Seventieth Report .. | 154 |

| विषय | SUBJECT | | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|---|
| सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968—वापस लिया गया | Customs (Amendment) Bill, 1968—Withdrawn | .. | 156—157 |
| सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1969—पुरःस्थापित | Customs (Amendment) Bill, 1969—Introduced | .. | 157 |
| दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित | Delhi Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill—Introduced | .. | 158 |
| जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण विधेयक | Registration of Births and Deaths Bill | .. | 158—162 |
| चर्चा जारी रखने का प्रस्ताव | Motion to resume Debate | .. | 158 |
| खण्ड 10 | Clause 10 | .. | 158 |
| मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव | Motion of No-confidence in the Council of Ministers | .. | 155, 156, 163—183 |
| श्री पी० राममूर्ति | Shri P. Ramamurthi | .. | 163—168 |
| श्री रा० ढो० भण्डारे | Shri R. D. Bhandare | .. | 168—170 |
| श्री नारायण दांडेकर | Shri N. Dandeker | .. | 170—172 |
| श्री तिरुमल राव | Shri Thirumala Rao | .. | 172—173 |
| श्री जी० विश्वनाथन | Shri G. Viswanathan | .. | 173—175 |
| श्री शांति लाल शाह | Shri Shantilal Shah | .. | 175—176 |
| श्री ही० ना० मुकर्जी | Shri H. N. Mukerjee | .. | 176—178 |
| श्री पें० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkatasubbaiah | .. | 178—181 |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम | Shri Tenneti Viswanatham | .. | 181—182 |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | .. | 182—183 |
| श्री शिंकरे | Shri Shinkre | .. | 183 |
| कार्य मंत्रणा समिति | Business Advisory Committee | .. | 183 |
| 28वां प्रतिवेदन | Twenty-eighth Report | .. | 183 |

# लोक-सभा
# LOK SABHA

**मंगलवार, 18 फरवरी, 1969/29 माघ, 1890 (शक)**
*Tuesday, February 18, 1969/Magha 29, 1890 (Saka)*

**लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई**
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**MR. SPEAKER** *in the Chair* ]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख
## OBITUARY REFERENCE

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को श्री बेली राम दास के दुखद निधन की सूचना देनी है। श्री बेली राम दास का 14 जनवरी, 1969 को गोहाटी में देहान्त हो गया। उनकी आयु 60 वर्ष थी।

श्री बेली राम दास वर्ष 1952 से 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य थे। हमें अपने इस मित्र की मृत्यु का गहरा दुख है तथा मुझे विश्वास है कि शोकसंतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना भेजने में सभा मेरे साथ है।

**श्री हेम बरुआ** (मंगलदायी) : मुझे इस बात का गर्व है कि मुझे 10 वर्ष से अधिक समय तक श्री बेली राम दास के निकट सम्पर्क में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। वह अनुसूचित जातियों के सदस्य थे और राष्ट्रीय भावना के प्रतीक थे। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कर्मठ सेनानी थे। हमें उनके निधन का गहरा दुख है और अपने दल की ओर से मैं उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं।

**प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : श्री बेलीराम दास उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जो वर्ष 1921 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जो एक एक करके हमें छोड़ कर जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षत्रों में काम किया, परन्तु हरिजनों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण में वह विशेष रुचि लेते थे। हमें उनके निधन का गहरा दुख है। सभा की ओर से मैं शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना भेजती हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मित्र के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हों।

**इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहे**

**The members then stood in silence for a short while**

# प्रश्नों के मौखिक उत्तर

# ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

## केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद्

+

*1. **श्री प० मु० सईद** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की एक बैठक जनवरी, 1969 के आरम्भ में हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई थी और इसके परिणामस्वरूप क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)**: (क) और (ख). जी, हां। उद्योगों की केन्द्रीय सलाहकार परिषद् की बैठक में देश की सामान्य आर्थिक स्थिति एवं औद्योगिक विकास का पुनरीक्षण किया गया और उसमें औद्योगिक लाइसेंस नीति से संबंधित मामलों पर भी विचार किया गया। सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव/निर्णय विदेशी सहयोग, तकनीकी ज्ञान की पुनरावृत्ति को रोकना, कच्चे माल की पूर्ति, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात संवर्धन, विपणन सुविधाओं का विस्तार लागत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता तथा श्रम संबधों में सुधार करने से संबंधित थे।

**श्री प० मु० सईद** : माननीय मंत्री ने हमें केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् द्वारा किये गये निर्णयों के बारे में बताया है। क्या देश के प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के लिये कोई निर्णय किया गया था ? देश में ऐसे उद्योगों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई है, जिनमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : हमने गत बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया था, उनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। प्रादेशिक असंतुलन को दूर करने के बारे में गत बैठक में विचार-विमर्श

नहीं किया गया था। यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना देंगे, तो मैं पूंजी परिव्यय की जानकारी दे दूंगा जो वे जानना चाहते हैं।

**श्री प० मु० सईद :** लक्कादीव द्वीप समूह में उद्योगों के लिये कितनी पूंजी नियत की गई है ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इस समय मेरे पास इसके आंकड़े नहीं हैं।

**Shri Raghuvir Singh Shastri :** At present some of the major collaborators in our country have provided a clause in the agreements entered with them that their products will not be exported. I want to know whether the Hon. Minister gave an assurance in the meeting that when such agreements would be due for renewal this clause prohibiting the export of their products would be dropped or their agreements would not be renewed ?

**Shri F. A. Ahmed :** So far as the agreements already concluded and containing such a clause prohibiting exports of their products are concerned we are helpless to do any thing now. But when such cases come to us for renewal, we try to remove such restrictions and they are being done away with.

**श्री चेंगलराया नायडू :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सलाहकार परिषद् के अधिकांश सदस्यों ने प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्ब की शिकायत की है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ? क्या यह कहा गया था कि प्रस्तावित टाटा उर्वरक परियोजना में किये गये विलम्ब के कारण देश को प्रतिदिन 25 लाख रुपये की हानि हो रही है ? क्या यह भी सच है कि मैसूर के मुख्य मंत्री ने इन उद्योगों को मंजूरी देने में सरकार द्वारा किये गये विलम्ब की शिकायत की थी ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जहां तक उर्वरक परियोजना का सम्बन्ध है, यह विशिष्ट मामला परिषद् के एक सदस्य द्वारा उठाया गया था। जहां तक मैसूर सरकार के मामले का प्रश्न है, यह प्रश्न केवल समिति द्वारा मंजूरी दिये जाने का नहीं है अपितु यह प्रश्न उन मामलों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करने का भी है। मैं नहीं जानता की माननीय सदस्य की दृष्टि में कौन-सा मामला है, परन्तु आवश्यक पूंजी उपलब्ध होने पर हमें उस परियोजना को क्रियान्वित करने में कोई आपत्ति नहीं है; जिससे प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट हो।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** This Government has been suffering from the basic ills of delay, redtapes and corruption etc. The Tatas, one of the topmost industrialists of our country had complained of undue delay in giving licences and raw material etc. to the projects of the private sector which had resulted in huge loss of production. Formerly, there had been a rise of 7 to 8% in our production but in the year 1967-68, this rise was only 1% and it is expected that the rise in production during the current year will be limited to 5% only. I want to know the special steps taken by Government to do away with delay, redtapes and corruption. Secondly, I want to know the steps taken in regard to delicensing the industries.

**Shri F. A. Ahmed :** So far as the question of the special project of Tatas referred to by the Hon. Member is concerned. I want to say that there is no question of delay on our part.

Before approving the project we have to examine both the advantages and disadvantages before arriving at a decision.

So far as the question of licensing is concerned, we have adopted a new policy aimed at the quickest possible disposal of the applications for licences etc. we have appointed an Investment Board.

It has been decided that the Ministry will be competent to dispose of application for licences of the value of less than Rs. 1 crore. But in case the Ministry is unable to dispose of any case within six months of the receipt of an application for licence, it will be disposed of by the Investment Board. Secondly, those cases will be disposed of by the Cabinet, which are not disposed of by the Investment Board within six months. It is expected that delay will be eliminated by this procedure. Every month we examine the number of cases pending, how long they have been pending and see how they can be disposed of at an early date. We are trying to dispose them as quickly as possible. If the Hon. Member has some case in view which is very old and which has not been decided, then he should kindly let us know and we will look into that.

**Shri Kanwar Lal Gupta :** I want to know about delicensing.

**Shri F. A. Ahmed :** As the Hon. Member is aware the Planning Commission has proposed the delicensing of those industries which can be set up indigenously and do not involve foreign exchange commitment. Secondly, they have also proposed the delicensing of those industries in which little foreign exchange is involved. When this proposal is given a final shape by them, the matter will be considered by Government. But we have to keep in mind the interests of small scale industries while deciding about delicensing.

**श्री शिव नारायन :** मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि छोटे कस्बों में छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जिससे गरीब जनता को रोटी और कपड़ा दिया जा सकता है, सरकार क्या कर रही है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** यह प्रश्न अनुसूचित उद्योगों से सम्बन्धित है । सरकार की नीति लघु उद्योगों को देश भर में अधिकाधिक प्रोत्साहन देने की है ।

**श्री पीलु मोदी :** माननीय मंत्री के कथन से यह सोचा जा सकता है कि अब से हर पांच मिनट में एक उद्योग को लाइसेंस दिया जायेगा । क्या माननीय मंत्री को इस तथ्य की जानकारी है कि गत कई वर्षों से लगभग 1500 से 1800 आवेदन-पत्र उनके पास अनिर्णित पड़े हैं ? अब उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वह लाइसेंस बहुत शीघ्र देना आरम्भ करने वाले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आवेदन-पत्रों के उस भारी ढेर का निबटारा ऊपर से अथवा नीचे से अथवा बीच से आरम्भ किया जायेगा ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद:** कई वर्षों का प्रश्न ही नहीं उठता । इस मंत्रालय का कार्यभार केवल दो वर्षों से ही मेरे पास है तथा मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाइसेंस प्राप्त करने का एक भी आवेदन-पत्र मेरी मेज पर नहीं पड़ा है ।

**Shri Prem Chand Verma :** May I know whether it is a fact that the Central Advisory Council for Industries is dominated by a few capitalists and a few industrial houses and the representation of public sector and small and medium industries is negligible and that is why the big capitalists are able to mould the policy of the Government suiting their own interests? I want to know whether Government will consider the desirability of giving more representation to the public sector industries and small and medium scale industries in the council so that they are able to have their say there?

**Shri F. A. Ahmed :** It is wrong to say that only one section is represented there because it is an Advisory Council of Industries, we appoint such persons as its members who are connected with industries. But along with that we give due representation to small scale industries and labour etc. They are at liberty to have their say in the council and due weight is given to their point of view.

**श्री उमानाथ :** मुझे पता चला है कि परिषद् की जनवरी की बैठक में कुछ सदस्यों ने बिड़ला की नई फर्मों को लाइसेंस देना जारी रखने का प्रश्न उठाया था। मुझे यह भी पता चला है कि कुछ सदस्यों ने यह राय प्रकट की थी कि चूंकि विभिन्न बिड़ला फर्मों की अनियमितताओं की सरकार द्वारा जांच की जा रही है तथा बिड़ला फर्मों द्वारा लाइसेंसों के दुरुपयोग के बारे में हजारी रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की गई हैं, इसलिये सरकार को जांच पूरी होने तक बिड़लाओं को नये लाइसेंस देना बन्द कर देना चाहिये।

अगर यह सच है, तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि सरकार जांच होने तक नए लाइसेंस नहीं जारी करने के लिए क्या कदम उठा रही है? अगर कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, तो क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जहां तक मेरा विचार है, इस प्रकार का मामला परिषद् में नहीं उठाया गया था।

**श्री उमानाथ :** मंत्री महोदय यह सुनिश्चित कर लें कि इस प्रकार का मामला इस परिषद् में नहीं उठाया गया था अन्यथा उन्हें दूसरे प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :** इस मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी करने तथा इससे सम्बन्धित मामलों में देरी करने का कार्य देश के लिए एक शर्मनाक दुर्भाग्य की बात है, जो औद्योगिक विकास की प्रगति में रुकावट डालती है तथा उसे निष्प्रभाव बनाती है, इसीलिए इस परिषद् की बैठक में, जिसके बारे में यह प्रश्न है, श्री टाटा ने इस मंत्रालय की कटु आलोचना की है, मैं उसको पढ़कर सुनाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें, यह प्रश्नकाल है, माननीय सदस्य यहां वक्तव्य नहीं दे सकते, वे श्री टाटा का वक्तव्य पढ़कर नहीं सुना सकते हैं, इसको सबने पढ़ा है।

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : इस मंत्रालय ने लाइसेंसों को छांटने तथा लाइसेंसों के लिए प्रार्थना-पत्रों को निपटाने में जो देरी की है, उस पर इस परिषद् में क्षोभ व्यक्त किया गया था। मैसूर के श्री वीरेन्द्र पाटिल ने भी इस बात को दोहराया है। हमने नागपुर में सूक्ष्म यन्त्र और सूक्ष्म औजारों के निर्माण के मामले में स्वयं यह देखा है। इसके बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है। अगर मंत्री महोदय को विश्वास है कि किसी भी प्रकार की देरी नहीं की जा रही है और मंत्रालय इसके लिए पर्याप्त कदम उठा रहा है तो मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय इस सभा को आश्वस्त करायेंगे कि वे कुछ संसद सदस्यों की समिति की नियुक्ति करने पर विचार करेंगे जो कि औद्योगिक परियोजनाओं को निपटाने में होने वाली देरी के मामलों की जांच करेगी और इसके लिए समाधान प्रस्तुत करेगी ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : शायद माननीय सदस्य को यह मालूम न होगा कि औद्योगिक विनियमन अधिनियम के एक उपबन्ध के अन्तर्गत पहिले ही गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति नियुक्त है। मुझे इस समय नहीं मालूम कि इस सभा से कितने और कौन-कौन से सदस्य उस समिति के सदस्य हैं, परन्तु पहले इस सभा के सदस्य इससे सम्बद्ध थे और वे लाइसेंसों के स्वीकृत, अस्वीकृत तथा विचाराधीन मामलों की जांच करते हैं तथा विलम्ब के विशिष्ट मामलों पर भी विचार करते थे।

**Shri Rabi Ray :** May I know whether the matter of import of technical know how from abroad was also discussed at the meeting of the Central Advisory Council for Industries ? How much money is spent annually on import of technical know how from abroad and the amount likely to be spent during the Fourth Plan and have the Government formulated any scheme to reduce it ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** मैं ठीक-ठीक आंकड़े दे सकता हूं परन्तु अभी मेरे पास वे उपलब्ध नहीं हैं। मैं कह सकता हूं कि तकनीकी जानकारी के प्रश्न पर सामान्यरूप में चर्चा हुई थी, न कि विशेषरूप से।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि जबसे उन्होंने पिछले दो वर्षों में अपना पद ग्रहण किया, तबसे इन दो वर्षों में उन उद्योग समूहों को कितने लाइसेंस दिये गये, जिनको कि एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में एकाधिकार उद्योग समूह बताया गया है। राज्य-वार कितने लाइसेंस जारी किये गये हैं और क्या किसी विशेष राज्य (क) अथवा (ख) को अधिक लाइसेंस मिले हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है, कि जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, अभी तक क्षेत्रीय विषमता को दूर नहीं किया गया है ? तीसरा, मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे कम से कम औद्योगिक लाइसेंस समीक्षा समिति की आन्तरिक सिफारिशें सभा के सामने प्रस्तुत करें, जो कि इस सभा को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में काफी देरी कर रही है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मैं इस प्रश्न के लिये सूचना चाहता हूं और सभा के समक्ष यह प्रतिवेदन रख दिया जायेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री हेम बरुआ ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मेरे पहले दो प्रश्नों का क्या हुआ जिनका कि उत्तर मुझे नहीं मिला है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : माननीय सदस्य कुछ आंकड़े चाहते हैं, मैंने कहा कि मैं इसके लिये समय चाहता हूं । जहां तक प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, समिति का नवीनतम प्रतिवेदन सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : चूंकि औद्योगिक सलाहकार समिति ने इस मामले पर चर्चा की है, अतएव यह इस प्रश्न के विषय क्षेत्र में आता है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास आंकड़े नहीं हैं । उनको समय चाहिए ।

**श्री हेम बरुआ** : इस तथ्य को देखते हुए कि देश के कुछ भागों में विशेषकर उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और आसाम में गहरा रोष होने का एक मुख्य कारण औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन है—इसको न भूलें कि आसाम में बेरोजगार लोगों की संख्या 4 लाख है—क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय द्वारा गत अधिवेशन में सभा में दिये गये आश्वासन के अनुसरण में सरकार क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठा रही है जिससे कि देश में व्याप्त रोष के कारणों को दूर किया जा सके ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : क्षेत्रीय असंतुलन का प्रश्न बहुत जटिल है, यह एक राज्य से दूसरे राज्य की तुलना का नहीं है अपितु एक राज्य के भीतर भी यह असंतुलन विद्यमान है । यह मामला हमारा ध्यान खींचता रहा है । योजना आयोग ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए दो दल नियुक्त किए हैं जो अपनी सिफारिशें देंगे । वास्तव में हम सरकार के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत करने को तैयार हैं परन्तु हम कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि इन दो प्रतिवेदनों का समन्वय करके सरकार के समक्ष इन सिफारिशों को रखा जाये ।

**श्री हेम बरुआ** : योजना आयोग ने अब तक कुछ नहीं किया है ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : उन्होंने कार्यकारी दल की स्थापना की है, जब यह प्रतिवेदन उपलब्ध हो जायेगा तब हम इस पर अपने प्रतिवेदन के साथ-साथ विचार करेंगे और तब निर्णय लेंगे कि इस समस्या को कैसे सुलझाया जाये ।

**श्री कार्तिक उरांव** : मैं मंत्री महोदय से उद्योगों के लिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद के गठन के बारे में जानना चाहता हूं कि इसमें कितने उद्योगपति, कितने तकनीकी जानकारी प्राप्त उद्योगपति, तकनीकी जानकारी प्राप्त कर्मचारी, संसद सदस्य, अगर कोई हैं, शामिल हैं, और उद्योगों के लिए केन्द्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के चुनाव के लिये क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : अगर आप ऐसा करने के लिए कहते हैं तो मैं सभा के समक्ष

परिषद के सदस्यों की सूची रख सकता हूं जिससे परिषद के सदस्यों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इस परिषद में उद्योगपतियों, निर्माताओं, उपभोक्ताओं, श्रमिकों आदि को प्रतिनिधित्व दिया गया है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठक के बाद यह सूचना मिली थी कि बड़े उद्योगपतियों ने, जो कि इस परिषद के सदस्य हैं, गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी सहयोग पर लगी पाबंदियों में और अधिक छूट देने तथा उन्हें पूर्णत: समाप्त करने के लिये दबाव डाला था। मैं जानना चाहता हूं कि इस मांग के परिणामस्वरूप क्या सरकार ने वर्तमान पाबंदियों को जो कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव के केवल मसौदे में ही हैं, हटाने का निर्णय किया है और यदि हां, तो किन विशिष्ट मामलों में ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** पाबंदियों को हटाने का कोई प्रश्न नहीं है, जब भी कोई प्रस्ताव हमारे समक्ष आता है तो हम देश के हितों को ध्यान में रखते हैं और हमारा पूरा विचार यह रहता है कि हम न केवल विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त करें अपितु इसका यहां विकास किया जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय सब प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** यह मेरा प्रश्न नहीं है, क्या मैं यह समझूं कि उन्होंने पाबन्दियों को हटाने से इन्कार कर दिया है ? उत्तर क्या है, क्योंकि इसकी मांग की गई है ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** हमने पाबंदियों को नहीं हटाया है।

**श्रीमती सुधा रेड्डी :** क्या मंत्री महोदय मैसूर के मुख्य मंत्री के इस सुझाव पर ध्यान देंगे कि उद्योगों की स्थापना ऐसे राज्यों में तेजी के साथ की जा सकती है जहां दो मुख्य बातें अर्थात् शान्ति का वातावरण और सत्ता का स्थायित्व हो ?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** ये सब उद्योगों के मामले में लागू होती हैं।

**रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग**

+

*2. **श्री के० एम० अब्राहम :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
**श्री नम्बियार :** **श्री समर गुह :**
**श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री रवि राय :**
**श्री हेम राज :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री ए० श्रीधरन :** **श्री नारायण स्वरूप शर्मा :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री वंश नारायण सिंह :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री ओंकार सिंह :**
**डा० कर्णी सिंह :** **श्री क० मि० मधुकर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी आयोग ने 1966-67 के अपने प्रतिवेदन

में रेलवे बोर्ड की आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो आलोचना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन की जांच-पड़ताल की है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर क्या निर्णय किया गया है ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष)** : (क) और (ख). यह रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जा चुकी है ।

(ग) जी हां ।

(घ) यह एक वर्णानात्मक रिपोर्ट है और इसमें कोई सिफारिश नहीं की गयी है । लेकिन आयोग के निरीक्षणों, इसके द्वारा जारी की गयी अनुशास्तियों और अलग-अलग दुर्घटनाओं में की गयी जांच के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों का उल्लेख इसमें किया गया है । जांच रिपोर्ट मिलने पर इन सभी सिफारिशों की ध्यानपूर्वक छान-बीन और उन पर यथावश्यक कार्रवाई की जा चुकी थी । यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वांचू की अध्यक्षता में जो समिति बनायी गयी है उसमें रेल-संरक्षा के आयुक्त भी एक सदस्य हैं और यह समिति रेल संरक्षा के सभी पहलुओं की जांच कर रही है ।

**श्री के० एम० अब्राहम** : क्या मंत्री महोदय यह बनाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं ?

**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय बदल गए हैं ।

**श्री परिमल घोष** : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच कर रहे हैं । जो भी सिफारिश की जाएगी, हम उस पर विचार करेंगे और अगर आवश्यक हुआ तो तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी ।

**श्री के० एम० अब्राहम** : क्या आयोग के प्रतिवेदन में रेलवे मंत्री के रेलवे बोर्ड के प्रति दृष्टिकोण के बारे में कुछ कहा गया है और यह भी कहा गया है कि रेलवे मंत्री को बदल दिया जाये ।

**श्री परिमल घोष** : जी नहीं, इस प्रकार का प्रतिवेदन में कोई जिक्र नहीं किया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : यहां करीब 16 सदस्यों के नाम हैं और जब तक इन 16 सदस्यों को न बुलाया जाय तब तक मैं किसी अन्य को नहीं बुला सकता । रेलवे बजट कल प्रस्तुत हो रहा है, अतएव सभा की आज्ञा से मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या मैं छोटी सी विनती कर सकता हूं, मैंने इस प्रश्न के लिए सूचना दी थी ।

**अध्यक्ष महोदय** : अगर मैं आपको अनुमति देता हूं तो, मुझे अन्य 16 सदस्यों को भी

अनुमति देनी पड़ेगी । आप सभा को परेशान क्यों कर रहे हैं, रेलवे बजट आ रहा है अतएव आप धैर्य क्यों नहीं रखते ? नहीं तो एक प्रश्न में यह सारा आधा घंटा लग जायेगा ।

**श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो केवल आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि भाग (क) का कोई उत्तर नहीं है, भाग (क) का प्रश्न यह है ;

"क्या यह सच है कि रेलवे सुरक्षा पर आयोग ने अपनी 1966-67 के प्रतिवेदन में रेलवे बोर्ड की आलोचना की है ।"

और वे कहते हैं कि यह वर्णनात्मक प्रतिवेदन है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर ठीक नहीं है, मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे, अगला प्रश्न ।

**ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, कानपुर का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना**

+

*3. **श्री क० लकप्पा** :

**श्री रा० रा० सिंह देव** :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानपुर स्थित ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का प्रबन्ध अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी)** : (क) तथा (ख). सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के कूपर एलन तथा नार्थ बेस्ट टेनरी एककों को अपने अधिकार में लेने का निर्णय किया है ।

**श्री क० लकप्पा** : ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का अपना इतिहास है, उसमें जालसाजी, धोखा धड़ी, दुर्विनियोग और निदेशकों द्वारा हर तरह के आपराधिक दुष्कर्म के कई मामले हुए हैं । राज्य सभा की याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत बीसवें प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि भारत सरकार इन सब बातों के लिए जिम्मेवार है । ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच के लिए सरजू प्रसाद समिति नियुक्त की गई थी । मैं सरजू प्रसाद समिति के प्रतिवेदन और जांच का ब्यौरा जानना चाहता हूं और जहां तक इन अनियमितताओं का सम्बन्ध है, क्या इनके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

क्या इन अनियमितताओं को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार अविलम्ब ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की संस्थाओं को अपने हाथ में ले लेगी ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी** : माननीय सदस्य एक बहुत अनुभवी वकील हैं और वे मेरे से कुछ

काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नहीं कहेंगे जो कि मुख्यतः कानून से सम्बन्धित हैं। निस्सन्देह, जहां तक ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का सम्बन्ध है, उनका मूदड़ा के मामले से सम्बन्धित इतिहास है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है। परन्तु जहां तक अनियमितताओं का सम्बन्ध है, सरकार ने विभिन्न तथ्यों पर विचार किया था और औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत एक अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त किया था।

**एक माननीय सदस्य :** उनका निधन हो गया है।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** अभाग्यवश पहले न्यायाधीश का निधन हो गया था। एक अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है और वे विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं। इस समय जब कि पूरा मामला न्याय-निर्णयाधीन है, मुझे कोई भी विचार प्रकट करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

**श्री क० लकप्पा :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है और यदि हां, तो निष्कर्ष क्या हैं और ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सभी एककों को अपने हाथ में ले लेने के बारे में क्या इरादा है ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अन्तर्गत, बहुत अपवाद वाले मामलों को छोड़कर, कोई भी अन्तरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि न्यायाधीश द्वारा दिया गया कोई निश्चित निष्कर्ष होना चाहिए अतएव हम निर्णय देने का अधिकार न्यायाधीश को देते हैं न कि हम उनसे अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करें। अगर न्यायाधीश का यह विचार है कि अन्तरिम प्रतिवेदन दिया जाये तो ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो उनको न्यायिक जांच कराने का अधिकार दिया गया है और सरकार के लिए यह बुद्धिमानी का कार्य होगा कि वह इस मामले में हस्ताक्षेप न करें।

**श्री क० लकप्पा :** मेरा इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है कि क्या सरकार का ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन के सब एककों को अपने हाथ में लेने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद ) :** मैं यह बता दूं कि हमने पहले ही इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग नियुक्त कर रखा है ? हमें इसके निष्कर्षों की प्रतिक्षा करनी चाहिए। उसके बाद जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वह की जायेगी।

**श्री रा० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि इसको अपने हाथ में ले लेने के परिणामस्वरूप कंपनी को कितना धन दिया जायगा, दूसरा, निकाले गये कर्मचारियों की क्या स्थिति होगी ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि 14 फरवरी, 1969 को हुई अंशधारियों की बैठक द्वारा अनुमोदित उस प्रस्ताव के अनुसार, भूमि व भवन कारखाना व मशीनों आदि के लिये जिनका विवरण संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट है और जिस पर पहचान के लिए उक्त उपक्रम की बैठक के सभापति ने हस्ताक्षर किए हैं और जो सब ऋण भार से मुक्त हैं, एक रुपये के नाममात्र दर पर भुगतान होगा। शेष मामले में, अन्य देनदारियों, मशीनरी का मूल्य, सम्पत्ति और कर्मचारियों की देनदारियों के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व आदि के ब्यौरे का हिसाब लगाया जा रहा है । मेरे लिए अभी कोई बात निश्चित रूप से कहना बहुत कठिन होगा ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मुझे खुशी है और मुझे मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहिए कि जो उन्होंने कानपुर स्थित कूपर एलन कम्पनी को अपने हाथ में ले लेने का साहसिक निर्णय किया है, हमें यह बताया गया है कि इस विशेष एकक को फरवरी अथवा मार्च के महीने में हाथ में ले लिया जायेगा, मैं कानपुर से आया हूं और मैं वहां के हालातों को जानता हूं । यह सम्भव नहीं हो सकता है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या मार्च के प्रथम सप्ताह से पहले इस एकक को अपने हाथ में ले लेने का अन्तिम निर्णय ले लिया गया है क्योंकि करीब 4,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि मंत्रिमंडल में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन को पूरे तौर से ले लेने का निर्णय ले लिया गया है और वे केवल आयोग के निष्कर्ष की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** सरकार तेजी के साथ सब कुछ कर रही है । मंत्री महोदय कृपया यह विचार करें कि कई कानूनी औपचारिक बातें ऐसी हैं जिनसे निबटना है ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या इसको मार्च के महीने में ले लिया जायेगा क्योंकि 4,000 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और उनको परेशानी उठानी पड़ रही है । हम शीघ्र ही उनकी परेशानी को दूर करना चाहते हैं ।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** 14 फरवरी, 1969 को अंशधारियों की बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया । हमें सब पहलुओं पर विचार करना होगा । अगर सम्पति का हस्तांतरण हुआ तो कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे । इन सब बातों पर विचार करना होगा और कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ेंगी ।

मैं इस अवसर पर माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूं कि उत्पादन और रोजगार सम्बन्धी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस मामले में यथासंभव शीघ्रता से कार्यवाही करेगी । हम सभी औपचारिक कार्यवाहियों को मार्च के प्रथम सप्ताह से भी पहले पूर्ण करने के लिये अपना पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और हमें आशा है कि हम इसमें सफल हो सकेंगे ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह था कि क्या मंत्रि-मण्डल ने पूर्ण ब्रिटिश इण्डिया कार्पोरेशन को अपने अधिकार में लेने के लिये कोई निर्णय किया है ? उन्हें केवल आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है।

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** हमें कूपर एण्ड एलन एकक के बारे में ही विचार करना चाहिये। सरकार ने कूपर एण्ड एलन एकक को अपने अधिकार में लेने का निर्णय लिया है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं और यह आशा है कि नई कम्पनी 19 फरवरी तक पंजीकृत हो जायेगी।

दूसरे एककों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि उनके मामले की जांच उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कर रहे हैं तथा उनकी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही सरकार कोई निर्णय ले सकेगी।

**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है तथा क्या उस निर्णय को लागू करने के लिये कोई आयोग नियुक्त किया है ?

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :** कूपर एण्ड एलन को छोड़कर जिसके मामले में सरकार पहले से ही जांच कर रही है क्योंकि इससे करोड़ों रुपये की पूंजी और लाखों मजदूरों के रोजगार का सम्बन्ध है, ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन उत्तर प्रदेश की बहुत ही पुरानी और सुस्थापित औद्योगिक कम्पनियों में से एक है। क्या मैं सरकार से निवेदन कर सकती हूं कि वह केवल इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखे तथा केवल कूपर एण्ड एलन के मामले में ही कार्यवाही करे, अन्य के बारे में नहीं। सारे के सारे ही ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन के हितों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए क्योंकि इसके कारण औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश तथा वहां की भारी श्रमशक्ति पर कुप्रभाव पड़ता है।

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** माननीय सदस्या द्वारा व्यक्त विचारों को सरकार ध्यान में रखेगी।

**Shri Hukam Chand Kachwai :** The Hon. Minister will recall that I met him last year in connection with this company and invited his attention towards many other matters. At that time, he had made some inquiries into the affairs of this company also, and it was a good thing ; but during the recent mid-term polls, this company has given an aid of more than Rs. 10 lakhs as also their jeeps and men to the Congress Party. Is it for this reason that all proceedings against this company have been suspended and the matter has been shelved ?

**Shri F. A. Ahmed :** I do not follow what the Hon. Member says ; but neither the proceedings have been suspended nor the matter has been shelved. The matter is at present, being looked into by a High Court Judge and we would take a decision only after the receipt of his report.

**Shri Atal Bihari Vajpayee :** There have been complaints that B. I. C. jeeps were used

for Congress propaganda. I am prepared to give the numbers of such jeeps and other motor-vehicles. Will the Hon. Minister inquire whether the Corporation was taken over for promoting Congress propaganda ?

**Shri F. A. Ahmed :** As far as the Corporation is concerned, I have no knowledge of it. As regards inquiry, it is being done by a High Court Judge and necessary action will be taken as soon as we get his report.

**Shri Hukam Chand Kachwai :** Inquiries should be made into the use of jeeps, men and receipt of money.

**श्री वेदव्रत बरुआ :** ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन के इस विशिष्ट एकक को अधिकार में लेने के चाहे जो कारण हों, परन्तु सच्चाई यह है, तथा मंत्री महोदय भी इसकी पुष्टि करेंगे, कि इसे लगातार हानि हो रही थी जबकि अन्य एककों को काफी लाभ हो रहा था। घाटे में जाने वाली किसी कम्पनी को सरकार द्वारा अपने अधिकार में लेने तथा इस प्रकार उस कम्पनी के घाटे को पूरा करने के क्या उद्देश्य हैं जब कि अभी तक वह आंशिक रूप से एक गैर सरकारी कम्पनी है ? इस कार्य को इतनी जल्दबाजी से करने का कोई विशिष्ट औचित्य है जबकि यह कहा गया है कि मामला विचाराधीन है ? बजाये इसके कि सरकार एक अर्ध-गैर-सरकारी कम्पनी के घाटे को वहन करे तथा इस प्रकार स्वयं घाटा उठाये, सरकार इस सारे ही उद्योग को अपने अधिकार में लेने पर विचार क्यों नहीं करती ?

**श्री रघुनाथ रेड्डी :** भारत के राष्ट्रपति, जीवन बीमा निगम तथा यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया के पास ब्रिटिश इन्डिया कार्पोरेशन के 39.5 प्रतिशत शेयर हैं। जहां तक इस विशिष्ट एकक का सम्बन्ध है, आधारभूत रूप में तो इसको हानि नहीं होने की संभावना है बल्कि इस एकक में कुप्रबन्ध के कारण इसे घाटा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस कम्पनी ने भवन और भूमि में नाममात्र की धनराशि देने का प्रस्ताव किया है तथा अपने दायित्वों तथा मशीनरी के बारे में उचित समायोजन करने का प्रस्ताव किया है, तो सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि जूतों के निर्यात सम्बन्धी क्षमताओं तथा सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए, इस एकक को अवश्य ही लाभ होगा; और इस निष्कर्ष के कारण ही सरकार ने इस एकक को अधिकार में लेने का निश्चय किया है।

## काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस

*4. **श्री ई० के० नायनार** + **श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री प० गोपालन :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो जांच के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (घ) . काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस की देयता के प्रश्न पर सरकार द्वारा अब भी विचार किया जा रहा है। इस पर शीघ्र ही विनिश्चय किये जाने की आशा है।

**श्री ई० के० नायनार :** क्या मैं जान सकता हूं कि काफी बोर्ड के कर्मचारियों के बोनस के बारे में सरकार उदासीन नीति क्यों अपना रही है ? पिछले तीन वर्षों के दौरान काफी बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि और वाणिज्य मंत्री परस्पर मिलते रहे हैं तथा बोनस को छोड़ सभी मामलों को निपटाते रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने में सरकार ने इतना विलम्ब क्यों किया है ?

**श्री ब० रा० भगत :** इस मामले से काफी बोर्ड में बोनस पाने के अधिकार सम्बन्धी तथा अन्य बोर्डों में भी इसकी प्रतिक्रिया सम्बन्धी कई समस्यायें पैदा होती थीं; इसलिए अन्तर्मंत्रालय विचार-विमर्श आवश्यक था तथा इसमें कुछ समय लगा। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि इसमें और अधिक विलम्ब नहीं होगा।

**श्री ई० के० नायनार :** पिछले सत्र के दौरान भी यही उत्तर दिया गया था; मंत्री भले ही बदल जायें परन्तु उत्तर वही रहता है। दूसरे सरकारी उपक्रमों में कर्मचारियों को बोनस दिया गया है। क्या मैं जान सकता हूं कि अन्य कर्मचारियों की भांति ही कार्य करने वाले काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस क्यों नहीं दिया जाता ? बोनस के बारे में सरकार उनके प्रति निषेधात्मक दृष्टिकोण क्यों अपनाती है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई निर्णय करेगी ?

**श्री ब० रा० भगत :** मैं कह चुका हूं कि अब और अधिक विलम्ब नहीं होगा।

**श्री अ० कु० गोपालन :** काफी बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने से सम्बन्धित मामला पिछले सात वर्षों से लटका हुआ है। कदाचित मंत्री महोदय नहीं जानते कि काफी बोर्ड के कर्मचारियों के कुछ विवादों व मांगों से सम्बन्धित मामला अदालत में था तथा उसके प्रतिनिधियों तथा वाणिज्य मंत्रालय के मध्य एक समझौता हुआ था—मैं भी उस बैठक में था—और इस समझौते के आधार पर मामले अदालत से वापस ले लिए गये थे तथा यह तय हुआ था कि कुछ समस्याएं हल कर दी जायेंगी तथा साथ ही बोनस भी तुरन्त दे दिया जायेगा। परन्तु सात वर्ष तो बीत चुके हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि इस मामले को तय करने में देर क्यों हुई है ? काफी बोर्ड के इन कर्मचारियों में काफी हाऊस के कर्मचारी तथा बागों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि बिना कोई निर्णय लिये सरकार इस बारे में इन सात वर्षों तक क्यों सोचती रही है ? अदालत से मामले वापस लिए जाने पर एक समझौता हुआ था कि अन्य मामले तय करते समय इस बारे में भी विचार किया जायगा। क्या मैं इस विलम्ब का कारण जान सकता

हूं ? क्या मंत्री महोदय इस बात का पता लगायेंगे कि कुछ वर्ष पूर्व कोई समझौता हुआ था। और यदि हां, तो उसमें क्या तय हुआ था ? और क्या वे इस मामले को तुरन्त तय करने के लिए प्रयत्न करेंगे ?

**श्री ब० रा० भगत** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि मुझे इस समझौते का ज्ञान नहीं है तथा मुझे नहीं मालूम कि इस मामले को तय करने में 7 वर्ष की देर हुई है और यह समझौता किसी विशिष्ट मामले के बारे में है। बोनस का भुगतान अधिनियम के नियमों के अधीन है। जैसा कि मैंने स्पष्टीकरण दिया है, मुख्य कठिनाई इस सम्बन्ध में यह थी कि क्या बोनस अधिनियम काफी बोर्ड पर भी लागू होता है। इस प्रश्न के बारे में एक कानूनी अन्तर है कि काफी बोर्ड एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है अथवा नहीं। पहले इस प्रश्न पर विचार करना होगा। इस बारे में मतभेद है। इसके बाद इसके प्रभाव का प्रश्न आता है। यदि हम इसी समय उनको बोनस दे भी दें तो फिर अन्य बोर्डों के बारे में क्या होगा ? इस बारे में कानूनी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि काफी बोर्ड, रेशम बोर्ड आदि पर यह अधिनियम लागू नहीं होना चाहिए और वह लागू नहीं होता। अतः उन अन्य बोर्डों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस बारे में विचार करूंगा तथा इस संदर्भ में बहुत शीघ्रता से कोई निर्णय किया जायेगा।

**श्री लोबो प्रभु** : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या काफी बोर्ड के कर्मचारियों ने काफी के उत्पादन को बढ़ाने में अपना योगदान दिया है जिसके कारण वे बोनस के हकदार बनते हैं ? दूसरे, मैं जानना चाहूंगा कि बोनस की अदायगी से क्या काफी के मूल्यों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि भीतरी और बाहरी दोनों मण्डियों में पहले ही बहुत ऊंचे हैं ?

**श्री ब० रा० भगत** : वह मुझसे राय पूछ रहे हैं।

**श्री लोबो प्रभु** : मैं तथ्य जानना चाहता हूं।

**श्री ब० रा० भगत** : उन्होंने एक विचार व्यक्त किया है तथा मुझसे उसकी पुष्टि चाहते हैं। मैं इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** : क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय काफी बोर्ड को अन्य बोर्डों के साथ क्यों मिलाते हैं तथा अन्य बोर्डों पर पड़ने वाले प्रभाव को क्यों सोचते हैं ? प्रत्येक के मामले पर पृथक से विचार किया जाना चाहिए। क्या मंत्री महोदय लम्बे समय से चले आ रहे इस प्रश्न को शीघ्र ही तय करेंगे ? काफी बोर्ड स्वयं ही बोनस देने के लिए प्रयत्नशील है। अत: सरकार क्यों बीच में बाधा डालती है।

**श्री ब० रा० भगत** : मैंने तो केवल उन बातों का जिक्र किया है जो कि निर्णय करते समय विचारार्थ आती हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है यथासम्भव शीघ्र ही इस बारे में कोई निर्णय कर लिया जायगा।

16

**इस्पात कारखानों के लिये कोककर कोयले की कमी**

* 5 . **श्री देवेन सेन:** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात कारखानों को कोककर कोयला प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव हो रही है ;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में कोककर कोयले का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है ;

(ग) गैर-सरकारी फर्मों और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पट्टे वाले क्षेत्रों में कोककर कोयले के कितने-कितने निक्षेप हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पट्टे वाले क्षेत्र केवल आठ कम्पनियों के पास हैं जो कि कोककर कोयले के निक्षेपों का बड़ा भाग है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस्तपात कारखानों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान व धातु मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जगन्नाथ राव) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और तत्पश्चात् सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) गैर-सरकारी कोयला कम्पनियों को, जिनके पास कोकिंग कोयले की बहुत बड़ी उपलभ्य राशियां हैं, कहा गया है कि वे इन उपलभ्य राशियों के उपयोग और कोकिंग कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये पर्याप्त कदम उठायें, जिससे इस्पात संयत्रों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हो सके । टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को भी, जिनके पास बन्द खानें हैं, अगले सात या आठ वर्षों में आत्म-निर्भर होने और कोकिंग कोयले की सप्लाई के लिये बाजारू कोयला खानों पर निर्भर न रहने के लिये कहा गया है ।

**Shri Deven Sen :** Refering to part (b) of my question, will the Hon. Minister please state the names of eight companies holding major part of coking coal reserves and also the reasons for their lethargy in production? If they are adopting a lukewarm attitude in regard to production, what action is being taken by Government against them?

The Hon. Minister may also state whether or not their coking coal reserve areas under their control will be taken over by Government if due to some reason they enter into a conspiracy to weaken our Steel Industry by slowing down the production of coking coal?

**श्री जगन्नाथ राव :** यह कहना उचित नहीं है कि कोकिंग कोयेले की सप्लाई की कमी से हमारे इस्पात उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। यह सच है कि इन अधिकृत खानों के गैर-सरकारी मालिक उतना कोयला पैदा नहीं कर रहे हैं जितना कि वे कर सकते हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** जानबूझ कर ?

**श्री जगन्नाथ राव :** जानबूझ कर नहीं, कोयले की कुल खरीद की मात्रा खान मालिकों को अधिक उत्पादन करने का प्रोत्साहन देती है ; तथा जब कुल खरीद कम होती है, तो वे अधिक उत्पादन नहीं करते ; परन्तु उन्हें ये निर्देश दिये गये हैं कि वे अधिकाधिक उत्पादन करें तथा अपने कोकिंग कोयले की सप्लाई के लिये बाजार पर आश्रित न रहें।

**Shri Deven Sen :** The Hon. Minister has not given the names of those eight companies which I wanted to know.

**श्री जगन्नाथ राव :** मैं नाम बता सकता हूँ। उनके नाम ये हैं—टर्नर एण्ड मारिसन ; ईस्ट इन्डिया कोल कम्पनी ; बर्ड एण्ड कम्पनी ; रानीगंज कोल एसोसियेशन, एच० के० बोहरा एण्ड कम्पनी ; थापर एण्ड ब्रदर्स ; टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी और इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** टाटाओं पर तो अतुल्य घोष का नियंत्रण है। अतः वे उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते।

**Shri Deven Sen :** Is it a fact that IISCO had requested for permission to produce coking coal but they were refused the permission?

**श्री जगन्नाथ राव :** मुझे सूचना चाहिये। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पट्टे वाले क्षेत्र में कोककर कोयले का कितना भण्डार गत दो या तीन वर्षों में देश के सरकारी क्षेत्र के एककों में कितना उत्पादन हुआ है और क्या इसमें वृद्धि अथवा कमी हुई है ?

**श्री जगन्नाथ राव :** जैसा कि सभा जानती है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम 1956 में स्थापित हुआ था। तब तक गैर-सरकारी मालिकों को क्षेत्र पट्टे पर दिये जाते थे। सरकारी क्षेत्र के कोयला खानों में उत्पादन को उत्तरोत्तर बढ़ाया जा रहा है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** यह गैर-सरकारी क्षेत्र के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है।

**श्री जगन्नाथ राव :** चूंकि गैर-सरकारी मालिकों को बहुत पहले पट्टे मिले थे और राष्ट्रीय कोयला विकास आयोग अभी 1956 में ही स्थापित हुआ था अतएव यह पिछड़ा हुआ है। यह शायद मोटे तौर पर गैर-सरकारी क्षेत्रों में दो-तिहाई और सरकारी क्षेत्रों में एक-तिहाई अथवा कुछ इससे कुछ अधिक है।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** चाहे यह पहले स्थापित हुआ या देर से परन्तु प्रश्न है कि क्या यह दो-तिहाई है और एक-तिहाई है। सरकारी क्षेत्र में चाहे 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो या गैर

सरकारी क्षेत्र में 3-10 प्रतिशत की वृद्धि हुई हो परन्तु हम उत्पादन में वृद्धि की प्रतिशतता जानना चाहते हैं, न कि निक्षेप क्षेत्र ।

**श्री जगन्नाथ राव :** प्रतिशतता भी क्षेत्र पर निर्भर करती है ।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** जी नहीं । वे गुमराह कर रहे हैं ।

**डा० रानेन सेन :** मंत्री महोदय के कहने के बावजूद भी क्या यह सच नहीं है कि गत दो या तीन वर्षों में कोककर कोयले का सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पायन नहीं बढ़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन कारणों का पता लनाने का प्रयत्न किया है ?

**श्री जगन्नाथ राव :** मैंने कहा है कि उत्पादन में वृद्धि कुल खरीद पर निर्भर करती है। यह आशा की जाती है कि 1973-74 तक कोककर कोयले की आवश्यकता 310 लाख मीट्रिक टन हो जायगी और यह आशा की जाती है कि उत्पादन में वृद्धि हो जायगी और तब मांग तथा पूर्ति में कोई अन्तर नहीं रहेगा ।

**डा० रानेन सेन :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या गत दो या तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हुआ है और यदि हां, तो सरकार का कौन से ऐसे कदम उठाने का विचार है जिससे यह स्तर के अनुकूल आ जाये ।

**श्री जगन्नाथ राव :** मैं नहीं समझ सकता कि उनका 'स्तर के अनुकूल नहीं' से क्या तात्पर्य है । इसमें कोई कमी नहीं रही है । इस्पात के कारखानों के लिए कोयले की कोई कमी नहीं है और मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है ।

**श्री स० कुन्दू :** मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने गैर सरकारी फर्मों को कोककर कोयले का अधिक उत्पादन करने को कहा है और उन्हें आशा है कि वे ऐसा करेंगे । अगर वे ऐसा करने में असफल रहे तो क्या उनके पास ऐसी कोई योजना है जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे अधिक उत्पादन करते हैं ? क्या वे उन पर कुछ विनियम लागू करना चाहते हैं अथवा उन्हें लाइसेंस मुक्त करना चाहते हैं ?

**श्री जगन्नाथ राव :** यह तो भावी कार्यवाही का प्रश्न है ।

## समस्तीपुर से दरभंगा तक बड़ी रेलवे लाइन

+

*6. **श्री जमुना प्रसाद मंडल :**

**श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे में समस्तीपुर और दरभंगा के बीच बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या यही सुविधाएं (बड़ी लाइन की) पूर्वोत्तर रेलवे में सीतामढ़ी तक बढ़ाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

**रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री परिमल घोष)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). दरभंगा और सीतामढ़ी के रास्ते समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1969-70 में इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण करने का विचार है । मुजफ्फरपुर के रास्ते वैकल्पिक मार्ग के लिए भी सर्वेक्षण किये जायेंगे ।

(घ) समस्तीपुर-रक्सौल मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के प्रश्न पर आगे विचारत भी किया जायगा जब उपर्युक्त सवक्षण, जिन्हें शीघ्र ही करने का विचार है, पूरे हो जायेंगे और सर्वेक्षण रिपोर्टों तथा मुजफ्फरपुर और दरभंगा-सीतामढ़ी के रास्ते दोनों वैकल्पिक मार्गों के तुलनात्मक गुण दोषों तथा वित्तीय फलितार्थों की जांच रेलवे बोर्ड द्वारा कर ली जायेगी ।

**Shri Yamuna Prasad Mandal :** Is the Railway Minister aware of the fact that the distance from Darbhanga to Samastipur is only twenty miles and Darbhanga is a gateway of Nepal and almost one crore people come from Darbhanga and the near about area, so will you make efforts to complete this patch of twenty miles ?

**श्री परिमल घोष** : हमने इन सब पर विचार किया और तदनुसार सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया । हम सर्वेक्षण प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो 1969-70 तक पूरा हो जायेगा ।

**Shri Yamuna Prasad Mandal :** May we take it that you will complete the work on this line very soon ?

**Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** There is a proposal for conducting a survey now. The survey work will be taken up in 1969-70 and the action will be taken after receiving the survey report.

**Shri Bhogendra Jha :** Mr. Speaker, the matter is under discussion for a long time, and as far as Darbhanga is concerned, it is the only Junction on the border of Nepal from where three lines run into Nepal. According to the letters, which we received, no period has been fixed for the completion of the survey. From the point of view of security, Commerce, Communication as well as the neighbouring Nepal, will the Hon. Minister state the time by which the survey work will be completed ?

Secondly, will the construction of line upto Raxaul will be taken up in one phase after the completion of survey or will it be undertaken in two phases, separately for Darbhanga and Samastipur ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** A time-limit has been laid down, i.e. the survey work is to be completed in 1969-70. We will have to wait for the report and then we will decide which section is to be taken first.

**Shri K. N. Tiwary:** May I know whether it is proposed to divert the line from Samastipur to Narkatia via Muzaffarpur since it will involve less cost or the Raxaul-Sugauli route is being considered?

**Dr. Ram Subhag Singh :** As a matter of fact the Raxaul route is under consideration. Its distance is 195 kilometers via Darbhanga and 181 kilometers from Muzaffarpur. Therefore, survey is being made from both the directions.

**Shri P. G. Sen :** May I know whether it is correct that some time back our former Railway Minister Shri Poonacha made a statement that the broad-gauge line will be laid upto Barauni-Katihar in a phased programme? If so, what steps are being taken in this respect?

**Dr. Ram Subhag Singh :** It is only a proposal. We are thinking of not only Barauni-Katihar line but also of Ernakulam-Trivandrum, Hospet-Marma Gaon, Karur-Tooticorin, Maniyachi-Tirunwevelli is under consideration. I may add that the survey of Tirunwevelli-Kanya Kumari may also be taken up.

**श्री तिरुमल राव :** क्या इस बात की गारंटी है कि इस सर्वेक्षण के प्रतिवेदन के प्रकाशित होने के बाद यह लाइन बिछायी जायगी क्योंकि लोगों का अब तक ऐसा अनुभव रहा है कि कई सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों को ताक पर रख दिया गया और उन पर कोई कार्य नहीं हुआ ?

**डा० राम सुभग सिंह :** वास्तव में मैं चाहूंगा कि संसद् यह देखे कि सब सर्वेक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों को कार्यरूप दिया जाता है ।

**पांचवे इस्पात कारखाने की स्थापना**

+

*8. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री को० सूर्यनारायण :**
**श्री म० सुदर्शनम :** **डा० महादेव प्रसाद :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री रा० बरुआ :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री सेझियान :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांचवें इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) इस पर कुल कितना धन खर्च होगा ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

**डा० सुशीला नैयर** : सरकार इतनी जल्दी इस पर कैसे निर्णय ले लेगी जबकि यह काफी समय से अनिर्णित पड़ा है ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : चौथी और पांचवीं योजना अवधि में इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय लेने में सहायता देने के लिए एक कर्णधार समिति की नियुक्ति की गई है । अतएव हम उनके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कर्णधार समिति ने उन राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा किया है जहां पर इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार का अनुरोध क्या है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : वास्तव में सब राज्य सरकारों से सलाह लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि ऐसे औद्योगिकी तकनीकी आर्थिक लाभों को देखा जाता है, जो स्थानों के चयन का आधार होते हैं ।

**श्री नि० रं० लास्कर** : निर्णय लेने के मार्ग में क्या रुकावट पड़ रही है ? वह धन की कमी है अथवा कुछ और है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : जैसा कि मैंने कहा है कि पहली बात यह है कि मांग के बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । तब सम्भाव्य स्थान का उचित सर्वेक्षण किया जाता है । उसके बाद निर्णय लेना होता है । जब तक कर्णधार समिति का प्रतिवेदन नहीं मिल जाता तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन है ।

**श्री रा० बरुआ** : क्या पांचवां कारखाना स्थापित करते समय बोकारो के अनुभव को ध्यान में रखा जायेगा ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : निश्चय ही बोकारो और अन्य इस्पात कारखानों के अनुभवों को भी ध्यान में रखा जायेगा ।

**श्री को० सूर्यनारायण** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विशेषज्ञ समिति ने विशाखा-पत्तनम और आन्ध्र प्रदेश के अन्य स्थानों का दौरा किया है ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : समिति ने विशाखापत्तनम और अन्य स्थानों का भी दौरा किया है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों ही अपने-अपने राज्यों में इस्पात के कारखाने चाहते हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : मैसूर भी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : दो राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के बीच संघर्ष के कारण अब तक कुछ नहीं हुआ है, यह पहली बात है, दूसरा, क्या यह सच है, कि कुछ वर्ष पूर्व ब्रिटिश सहयोगियों ने

दुर्गापुर कारखाने के विस्तार के लिए 6 करोड़ 70 लाख पौंड स्टर्लिंग का प्रस्ताव भेजा था और उसको ताक पर रख दिया गया और यदि हां, तो उसको ताक में रखने के क्या कारण हैं ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैंने पहले ही बता दिया है कि अन्तिम निर्णय लेने में क्या रुकावटें पड़ रही हैं, विभिन्न राज्यों के कांग्रेसी नेताओं के आपसी झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अमीन ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरे अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कारण बताए हैं परन्तु आपने कुछ और कारण बता दिए हैं । अतएव यह ठीक है ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : मेरा दूसरा प्रश्न दुर्गापुर इस्तात कारखाने के विस्तार से सम्बन्धित है, आप उस समय इस्पात मन्त्री थे ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अगर वे जोर दे रहे हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह विचाराधीन प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है क्योंकि यह पांचवें इस्पात कारखाने के बारे में है ।

**श्री रा० की० अमीन** : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि सिंचाई परियोजनाओं का लाभप्रद होना व आय इस्पात कारखानों में प्रारम्भिक निवेश की तुलना में अधिक है और इस तथ्य को देखते हुए कि हमें विदेशों में इस्पात कम मूल्य पर बेचना पड़ता है तो इस संदर्भ में सिंचाई विशेषकर, नर्मदा सिंचाई जैसे उपलब्ध लाभप्रद व आय देने वाली वैकल्पिक परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुये क्या वे पांचवां और साथ ही साथ चौथे इस्पात कारखाने के विचार को त्याग देंगें ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : इस्पात की आन्तरिक मांग है और निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का प्रश्न भी है । ऐसे संतुलन लाने वाले पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### फर्मों को पंजीयन प्रमाण-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस देना

*7. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 30 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1638 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लाइसेंस देने के अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत 1964 में विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों को पंजीयन प्रमाण-पत्र

देने के प्रयोजन के लिए 1964 में भूमि, इमारतों और मशीनों सम्बन्धी पूंजी विनियोजन के आधार पर अचल आस्तियों के निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती थी ;

(ख) क्या सरकार ने 1964 में अथवा उससे पहले कोई अधिसूचना जारी की थी कि अचल आस्तियां निर्धारित करने के लिए अमुक बातों को ध्यान में रखा जायेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त अधिसूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

(घ) क्या फर्नीचर और फिटिंग्स, मोटर कार, स्कूटर, नलकूप आदि पर पूंजी विनियोजन भी अचल आस्तियों के अन्तर्गत आता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 7/69]

### कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

*9. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कपड़ा मिल बन्द कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष कितने कपड़ा मिल बन्द किये गये ;

(ग) कितने मजदूर बेरोजगार हो गये ;

(घ) इन मिलों की सहायता करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ङ) उनका क्या परिणाम निकला है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी हाँ।

(ख) सन 1968 में 72 सूती कपड़ा मिल बन्द हो गई थीं। उनमें से 39 पुनः खुल गई हैं और 33 मिलें अभी भी बन्द पड़ी हैं।

(ग) लगभग 31260 मजदूर।

(घ) तथा (ङ). आठ मिलों की औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही जांच की जा चुकी है और प्रतिवेदनों पर विचार किया जा रहा है। आठ मिलों की इस समय जांच की जा रही है और जांच समितियों के प्रतिवेदनों के प्राप्त हो जाने पर उनके मामलों पर विचार किया जायेगा। चार मिलों के विषय में मुकदमें चल रहे हैं। शेष 13 मिलों के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही पर सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

**केरल में नारियल जटा सम्बन्धी योजना**

*10. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

**श्री एस्थोस :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में नारियल जटा योजना को अपने हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने समितियों को ऋण देने के लिये 13.38 करोड़ रुपये तथा अनुदान देने के लिये 2.12 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार से मांगे हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या इन राशियों की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ङ). केरल सरकार ने राज्य में नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन तथा विकास के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की है । योजना पर ऋणों के रूप में 13.45 करोड़ रु० तथा अनुदानों के रूप में 2.11 करोड़ रु० खर्च होंगे । राज्य सरकार ने सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए । योजना पर सम्बद्ध प्राधिकारियों के परामर्श से विस्तृत रूप में विचार किया जा रहा है ।

**गाय, सुअर आदि की चरबी (टैलो) का आयात**

*11. **श्री जि० ब० सिंह :**

**श्री साबू :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में गाय, सुअर आदि की चरबी (टैलो) का कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि साबुन बनाने में चरबी (टैलो) की खपत आयात की जाने वाली उसकी मात्रा से कम होती है ;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में कितनी मात्रा में साबुन बनाया गया है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ कारखाने वनस्पति घी बनाने में 'टैलो' का प्रयोग करते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि बनस्पति घी के निर्माण में 'टैलो' के प्रयोग को रोका जाये ;

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ग). एक **विवरण** नीचे दिया जाता है :

**विवरण**

1. **गत तीन वर्षों की अवधि में आयातित पशुओं की चरबी (टैलो) की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण** :

| **वर्ष** | **मात्रा (मे० टन में)** |
|---|---|
| 1965-66 | 43,342 |
| 1966-67 | 19,552 |
| 1967-68 | 1,27,395 |

2. **गत तीन वर्षों की अवधि में संगठित क्षेत्र में निर्मित साबुन की मात्रा को दर्शाने वाला विवरण** :

| **वर्ष** | **यात्रा (मे० टन में)** |
|---|---|
| 1966 | 1,81,000 |
| 1967 | 1,91,634 |
| 1968 (जनवरी-सितम्बर) | 1,62,672 (लगभग) |

(ख) पशुओं की चरबी (टैलो) का प्रयोग केवल साबुन बनाने में ही नहीं किया जाता बल्कि धातु की पालिश, वसीय अम्ल, पैकिंग्स तथा जोइनटिंग्स, स्नेहक ग्रीसों आदि में और वस्त्र तथा चमड़ा उद्योगों में भी प्रयोग होता है।

(घ) सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आसाम में चाय बागान**

*12. **श्री कामेश्वर सिंह** :

**श्री हेम बरुआ** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के वित्त मंत्री ने उस राज्य के चाय बागानों को अपने हाथ में लेने के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) आसाम सरकार ने बंद पड़े चाय के बागानों को अपने हाथ में लेने के लिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम के समान एक चाय

निगम की स्थापना करने का सुझाव दिया है।

(ख) सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

**नेपाल द्वारा भारतीय माल का पुनर्निर्यात**

***13. श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत के निर्यात व्यापार की रूपरेखा में हाल में हुए कथित परिवर्तनों की ओर दिलाया गया है कि 60 प्रतिशत के निर्यात प्रोत्साहन का लाभ उठाने तथा नेपाल के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देने के हेतु उस देश में दिये जाने वाले 50 से 70 प्रतिशत का आयात-अधिकार प्राप्त करने के लिये वस्तुओं को नेपाल से होकर भेजा जा रहा है/था ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रयोजन के लिये कई भारतीय निर्यातकों ने नेपाल में अपने कार्यालय खोल दिये हैं और प्रभावशाली नेपालियों को अपना साझेदार बनाया है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्य कहां तक भारत के हितों के विरुद्ध हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (घ). सरकार को समय-समय पर ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि पटसन, अभ्रक, सुअर के बाल तथा बकरी की खालों जैसे कतिपय भारतीय माल का नेपाल में निर्यातकों के लिए बोनस बाउचर प्राप्त करने के उद्देश्य से उस माल का अन्य देशों को दिशा परिवर्तन करने हेतु नेपाल को निर्यात किया जा रहा है। ऐसे निर्यातों पर अर्जित बोनस की 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच होने की सूचना मिली है। चूंकि नेपाल के माध्यम से भारतीय माल का अन्य देशों को दिशा परिवर्तन होता है अतः उससे भारत को विदेशी मुद्रा की हानि होती है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कतिपय भारतीय पार्टियों ने आयातित कच्चे माल पर आधारित माल के निर्माण के लिए नेपाली राष्ट्रिकों के साझीदारी से नेपाल में उद्योग स्थापित किए हैं। अन्य देशों को दिशा परिवर्तन की दृष्टि से नेपाल को किए जाने वाले निर्यातों के सम्बन्ध में शिकायतों पर हाल ही में हुई व्यापार वार्ताओं में नेपाल सरकार के साथ बातचीत की गयी है। कच्चे पटसन के सम्बन्ध में नेपाल सरकार ने इस बात पर सहमति प्रकट की है कि अपने निर्यातों को निर्यात योग्य वेशी पर सीमित करेंगे। इस विषय पर भी सहमति प्रकट की गई है कि दोनों देशों की सरकारें तस्कर व्यापार तथा व्यापार के दिशा परिवर्तन के विरुद्ध निवारक उपाय करती रहेंगी। इस अनियमितता को रोकने के उद्देश्य से हमने इलाहाबाद कलक्टरी में 13 तथा पटना कलक्टरी में 14 अतिरिक्त मोबिल पार्टियों की स्थापना की है। पश्चिमी बंगाल कलक्टरी में 3 निवारक चौकियां स्थापित की गयी हैं और इन पार्टियों को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक अमला भी दिया गया है।

### आसाम में कागज की लुगदी का कारखाना

*14. **श्री वेदब्रत बरुआ** : क्या **औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है कि आसाम में कागज की लुगदी का कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कौन सा स्थान चुना गया है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**): (क) से (ग). आसाम में लुगदी/कागज कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

### गैर-सरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिए लाइसेंस

*15. **श्री द० रा० परमार** :

**श्री गार्डिलिंगन गौड़** :

**श्री चं० चु० देसाई** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले चार वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों की क्षमता बढ़ाने के लिये जारी किये गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या नियमों के अधीन निर्धारित अधिकतम अवधि में विस्तार कार्यक्रम को क्रियान्वित न होने के कारण ये लाइसेंस वापिस ले लिये गए थे ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों की क्षमता के पर्याप्त विस्तार के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत विगत चार वर्षों में (1965—1968) 631 लाइसेंस दिये गए। लाइसेंसों के विवरण वीकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज, वीकली इन्डियन ट्रेड जर्नल और मन्थली जर्नल आफ इन्ड्रस्ट्री एण्ड ट्रेड में प्रकाशित होते हैं।

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में लाइसेन्स वापिस लेने का कोई उपबन्ध नहीं है। यदि कोई लाइसेन्सधारी लाइसेन्स में उल्लिखित अवधि में या लाइसेन्स की बैधता की बढ़ी हुई अवधि में औद्योगिक उपक्रम की स्थापना नहीं कर पाता है या उसकी स्थापना के लिए सप्रभावी कदम नहीं उठा पाता है तो सरकार लाइसेन्सधारी को अपने प्रकरण में स्थिति

स्पष्ट करने का अवसर प्रदान कर उसके लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर सकती है। प्रतिसंहृत लाइसेंसों का विवरण भी ऊपर लिखे पत्रों में दिया जाता है।

**संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा सप्लाई की जाने वाली रुई की कीमतें**

*16. **श्री बलराज मधोक :**
**श्रीमती सावित्री श्याम :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य ने भारत को निर्यात की जाने वाली रुई की कीमत में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी देशों को निर्यात की जाने वाली रुई की कीमत में यह वृद्धि नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त अरब गणराज्य से आयात की जाने वाली रुई पर कितनी अतिरिक्त लागत आयेगी ;

(घ) क्या इससे भारत के सूती कपड़ा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) प्राप्त सूचना के अनुसार सं० अरब गणराज्य ने वर्ष 1968-69 में विभिन्न प्रकार की रुई के खुलते मूल्य विगत वर्ष के खुलते मूल्यों की तुलना में 12.8 प्र० श० से 22.9 प्र० श० तक बढ़ा दिये।

(ख) सूचना मिली है कि सभी देशों के लिए मूल्यों में एकसम वृद्धि की गयी है।

(ग) सं० अरब गणराज्य की रुई के आयात अब भी किये जा रहे हैं और इस अवस्था पर अतिरिक्त लागत की कुल राशि का हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(घ) ऐसी सम्भावना नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**विदेशी सहयोगी करार**

*17. **श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाने वाली शर्तों को हटाने की दृष्टि से विदेशी सहयोग सम्बन्धी करारों की किस तारीख से जांच की जा रही है ;

(ख) क्या ऐसे सहयोगियों के दृष्टांत हैं जो सहयोग नहीं करते यदि उन्हें सरकार के इस रवैये की जानकारी होती ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) यद्यपि सरकार की सदा से यही नीति रही है कि यथासम्भव अधिक से अधिक सहयोग करारों के द्वारा निर्यात में और अधिक वृद्धि की जाये । हाल के वर्षों में निर्यात सम्बन्धी नियन्त्रणों को दूर करने के लिये सहयोग करारों की कड़ाई से छानबीन की जा रही है ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी भी उदाहरण की जानकारी नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## केरल में सूक्ष्म (प्रेसीजन) यंत्र कारखाना परियोजना

*18. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में दूसरा सूक्ष्म यंत्र कारखाना परियोजना की स्थापना सम्बन्धी योजना को समाप्त करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कारखाना स्थापित करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारियों को वापस बुला लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो वापस बुलाये गये अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है और उसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). जैसा कि पहले बताया जा चुका है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लांट, पालघाट की क्रियान्विति को स्थगित रखने का फैसला अस्थायी है । इस उद्योग पर सम्पूर्ण रूप से किये जाने वाले विनियोजन में भारी कटौती हो जाने के साथ-साथ यंत्रों की आवश्यकताओं के अनुमा नों मेंकमी हो जाने के कारण सरकार ने इन्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के दो एककों कोटा, राजस्थान तथा पालघाट, केरल में उत्पादन के प्रश्न पर फिर से विचार किया है । कोटा एकक के बचत पूर्ण ढंग से चलाये जाने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से जिसमें अब उत्पादन शुरू हो गया है सरकार फिलहाल पालघाट की परियोजना को स्थगित रखना आवश्यक समझती है और वह पालघाट एकक के लिये निर्धारित यंत्रों का उत्पादन कोटा में कुछ अतिरिक्त विनियोजन करके करना चाहती है । ऐसा करना तत्काल इसलिये आवश्यक है कि दोनों एककों के यन्त्र एक ही प्रकार के होते हैं और वे एक दूसरे के पूरक हैं ।

इस मामले तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय अभी किया जाना है।

(ग) और (घ). इस कारखाने की स्थापना के लिये नियुक्त किये गये किसी भी अधिकारी को सरकार ने वापस नहीं किया है। दो इंजीनियर जो इस परियोजना के लिए राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये थे, अपनी इच्छा से प्रतिनियुक्ति काल समाप्त हो जाने के पश्चात अपने पुराने विभाग में वापस लौट गये हैं।

### गोहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पुल में दरार

*19. **श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री कं० हालदर :**
**डा० रानेन सेन :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी में ब्रह्मपुत्र पर पुल के एक स्तम्भ में दरार पाई गई है;

(ख) क्या दरार के कारण पुल यातायात के लिए बन्द कर दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो पुल बन्द रहने की अवधि में गोहाटी तथा अमीन गांव के बीच यात्रियों को नौका द्वारा पार कराने के लिए क्या प्रबन्ध किए गये हैं; और

(घ) पुल की मरम्मत में कितना समय लगेगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). सवाल नहीं उठता।

### संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को नियंत्रण में लेना

*20. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
**श्री इसहाक साम्भली :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के लिए हाल ही में गठित किये गये राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने भिन्न-भिन्न राज्यों में संकटग्रस्त मिलों को नियंत्रण में लेने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**Partial Exploitation of Coal**

*21. **Shri Om Prakash Tyagi:**
**Kumari Kamala Kumari:**

Will the Minister of **Petro-Chemicals and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government do not allow colliery owners to mine coal to the full extent;

(b) whether it is also a fact that the demand for coal is increasing in the country and it is not being met;

(c) if so, whether Government propose to change their policy in regard to mining of coal; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Petro-Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen):** (a) No, Sir.

(b) It is true that the demand for coal is gradually increasing but consumers have not suffered due to lack of production, as the pit-head stocks would show.

(c) and (d). Do not arise.

**नई कागज मिलों की स्थापना**

*22. **श्री विश्वम्भरन :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार के विशेषज्ञों के एक दल ने भारत में नयी कागज मिलों की स्थापना के बारे में सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने कितनी नई मिलों की स्थापना की सिफारिश की है और किन-किन स्थानों पर ये नई मिलें स्थापित की जायेंगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**ब्रिटेन द्वारा आयात जमा योजना से भारतीय माल को छूट**

*23. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री रामगोपाल शालवाले :**

क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन हमारी कुछ वस्तुओं को आयात जमा योजना से छूट देने के लिए सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन सी वस्तुएं सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ग) यह योजना किन-किन वस्तुओं पर लागू होगी ; और

(घ) इसके कारण भारत को कितनी हानि होगी ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). निर्यात जमा योजना लागू करते समय ब्रिटेन की सरकार ने योजना के क्षेत्र से अनेक मदों को छूट दे दी थी। इसके पश्चात अन्य कोई मदें छूट की इस सूची में नहीं जोड़ी गयी हैं। हमारी दिलचस्पी की अतिरिक्त मदों में छूट प्राप्त करने के हमारे प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं।

(ग) ऐसी मदों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है जिन्हें आयात जमा योजना के कार्यान्वियन से छूट दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8/69**]

(घ) ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों पर आयात जमा योजना के ठीक-ठीक प्रभाव को अलग करके उसका परिणामात्मक अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि इससे ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्यातों को कोई सारवान आघात न पहुंचे।

### Export of Jute goods to Cuba

***24. Shri Atal Bihari Vajpayee :**
**Shri S. S. Kothári :**
**Shri Suraj Bhan :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 26 thousand bales of jute goods were exported to Cuba in 1965 and thereafter these goods have not been exported to Cuba direct ;

(b) whether it is also a fact that now-a-days Indian Jute goods are reaching Cuba through Russia via Odessa ; and

(c) if so, the loss of foreign exchange suffered by India as a result thereof and the preventive steps being taken by Government in this regard ?

**The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat)** : (a) In 1965-66 India's exports of jute goods to Cuba were about 5365 bales or 1829 tonnes. Since then Cuba has not imported any more jute goods from us. The reasons for the decline in our jute exports to Cuba is that they have set up their own bagging industry, based on their locally grown Kenaf fibre, and can now produce over 30,000 tonnes per annum. This almost meets their own requirements which they were earlier importing from India.

(b) Government are not aware of any exports of Indian jute goods by U. S. S. R. to Cuba, through Odessa or anywhere else.

(c) The question does not arise.

## रेलवे माल यातायात

*25. **श्री कंवरलाल गुप्त :**

**श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष रेलवे में माल यातायात में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस कारण आय में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) माल यातायात सेवा को अधिक कुशल बनाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). 1968 के कलेंडर वर्ष में भारतीय सरकारी रेलों पर लादे गये राजस्व उपार्जक माल में लगभग 65.8 लाख मीटरिक टन या पिछले वर्ष की अपेक्षा 4.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ग) 1968 के कलेंडर वर्ष में माल यातायात से आमदनी में 43 करोड़ रुपये अथवा पिछले वर्ष की अपेक्षा 8.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि कुछ तो अतिरिक्त यातायात के कारण और कुछ दरों में वृद्धि के कारण हुई।

(घ) निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है :

(i) बकाया मांगों में कमी करने और माल की फौरन निकासी के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ii) विभिन्न रेलों पर कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण माल डिपुओं को सामान्य परिचालन प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया है ताकि बिना किसी रुकावट के माल का लदान होता रहे।

(iii) रेलों पर पूरे मालडिब्बों के परिगमन-समय पर विशेष कक्षों द्वारा निगाह रखी जा रही है और परिहार्य देरी को कम करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(iv) माल यातायात के फौरन परिवहन की व्यवस्था के लिये महत्वपूर्ण प्रमुख मार्गों पर सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलायी जा रही हैं।

(v) चुने हुए यानान्तरण स्टेशनों के बीच कन्टेनर सेवा चालू की गयी है।

**ईरान को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की रेल की पटरियों का निर्यात**

*26. **श्री न० कु० सांधी :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान राज्य रेलवे के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की पटरियों के निर्यात के लिए ईरान सरकार के साथ अगस्त, 1968 में किये गये समझौते की क्रियान्विति में कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ख) इस समझौते के अन्तर्गत अब तक निर्यात की गई रेल की पटरियों की मात्रा और उनका मूल्य कितना है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). ईरान के संगठन ने करार-मूल्य के 10 प्रतिशत के लिए साख-पत्र की व्यवस्था की है। भिलाई इस्पात कारखाने में रेल अनुभाग का परीक्षण बेलन भी आरम्भ कर दिया गया है। करार के अन्तर्गत अभी कोई माल नहीं भेजा गया है।

**तालचेर-विमलागढ़ रेल सम्पर्क**

*27. **श्री स० कुन्दू :**　　**श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
**श्री प्र० के० देव :**　　**श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उड़ीसा में तालचेर-विमलागढ़ रेल सम्पर्क का तकनीकी तथा आर्थिक सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार ने 1971-72 से उक्त रेलवे लाइन का निर्माण आरम्भ करने का भी निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). तालचेर-बिमलागढ़ रेल सम्पर्क के लिए 1969-70 में प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण करने का विचार है। इस लाइन को बनाने के सम्बन्ध में तभी निर्णय किया जा सकता है जब ये सर्वेक्षण पूरे हो जायें और इनके परिणाम सामने आ जायें।

## छोटी कार परियोजना

*28. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री मृत्युंजय प्रसाद :** **श्री दे० अमात :**
**श्री रामावतार शर्मा :** **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार परियोजना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या राज्यों में छोटी कार बनाने के कारखाने स्थापित करने की अनुमति प्राप्ति हेतु राज्य सरकारों से सरकार को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ङ) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). मैसूर सरकार ने जापान की एक फर्म के सहयोग से कारों के उत्पादन के लिये एक प्रायोजना स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

(ङ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में छोटी कार प्रायोजना को सम्मिलित करने का निर्णय हो जाने पर मैसूर सरकार के प्रस्ताव पर भी ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ विचार किया जायेगा।

## भारत से निर्यात किये जाने वाले कपड़े को ब्रिटेन की आयात जमा योजना से छूट

*29. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :** श्री जनार्दनन :
**श्री विभूति मिश्र :** श्री जगेश्वर यादव :
**श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री म० ला० सोंधी :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने उस देश को निर्यात किए जाने वाले भारतीय कपड़े को आयात जमा योजना से छूट देने का भारत का अनुरोध अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या ब्रिटेन की सरकार को कहा गया है कि हांगकांग प्रशासन को सीमा प्रशुल्क में संशोधन करने के लिए कहा जाए ;

(घ) यदि हां, तो दो राष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच भेदभाव किये जाने के बारे में हांगकांग के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) इस योजना के परिणाम स्वरूप उस देश को भारतीय कपड़े तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ; और

(च) इस मामले में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) ब्रिटेन सरकार के विनिश्चय से हमें निराशा हुई है।

(ग) तथा (घ). मामले पर ब्रिटेन सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ङ) ब्रिटेन को होने वाले हमारे निर्यातों पर आयात जमा योजना के ठीक ठीक प्रभाव को अलग करके उसका परिमाणात्मक अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि इससे ब्रिटेन को होने वाले भारतीय निर्यातों को कोई सारवान आघात न पहुंचे।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन को होने वाले निर्यातों के बीजक मूल्य के 50 प्रतिशत को स्वदेश लाने की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 8 महीने कर दिया है। आशा है कि इसके फलस्वरूप भारतीय निर्यातक अन्य देशों के निर्यातकों से प्रतियोगिता का सामना कर सकेंगे।

### Import of Motor Car Parts

*30. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the extent of foreign exchange involved in importing motor car parts for manufacturing motor vehicles in India every year; and

(b) the steps being taken to manufacture such parts indigenously?

**The Minister of Foreign Trade and Supply (Shri B. R. Bhagat):** (a) The approximate foreign exchange involved was about Rs. 263 million during 1967-68 and is expected to be about Rs. 220 million during the year 1968-69.

(b) The imported element is continuously being reduced and the value of parts imported for vehicles currently is not more than 10 percent on the average, the bulk of which consists of steel raw materials.

## उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

1. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कोरिया को मैंगनीज अयस्क का निर्यात करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मैंगनीज अयस्क का निर्यात किये जाने की सम्भावना है तथा किस मूल्य पर इसका निर्यात किया जायेगा और विश्व बाजार के दूसरे मूल्यों में ये मूल्य कितने कम या अधिक हैं ; और

(ग) ये मूल्य विश्व बाजार के मूल्यों से कम हैं या अधिक ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग). संविदाएं अभी सम्पन्न की जानी हैं ।

## श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई को निर्यात/आयात लाइसेंस

2. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में, वर्षवार, श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई अथवा उसके मनोनीत व्यक्तियों अथवा फर्मों को तराशे हुए अथवा बिन तराशे हीरों के आयात तथा निर्यात के लिये कितने-कितने मूल्य के आयात तथा निर्यात लाइसेंस दिये गये ;

(ख) गत दस वर्षों में श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई अथवा उनके मनोनीत व्यक्तियों अथवा फर्मों को मोटर कारों का आयात करने के लिए कितने आयात परमिट अथवा लाइसेंस दिये गये और उसके द्वारा आयातित कारों की संख्या, मूल्य तथा मेक क्या हैं ; और

(ग) श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई और उसकी फर्मों को गत 12 वर्षों में वर्षवार तथा उद्देश्यवार, दिये गये विभिन्न आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य कितना है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) से (ग). समस्त आयात तथा निर्यात लाइसेंसों के ब्योरे 'औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन' में प्रकाशित किए जाते हैं और इस बुलेटिन की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में प्राप्य हैं ।

## मोटर कारों की किस्म सम्बन्धी समिति की सिफारिशें

3. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बनी मोटर कारों की घटिया किस्म के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त

की गई विशेष समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) सरकार ने कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया तथा स्वीकार की गई सिफारिशों का स्वरूप क्या है ;

(ग) निर्माताओं द्वारा इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) यदि मोटर कार निर्माता इन सिफारिशों को सच्चे दिल से क्रियान्वित नहीं करते तो उनके लिए कितना तथा किस प्रकार का दण्ड रखा गया है ;

(ङ) इस बात का ध्यान रखने के लिए कि सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय, किस प्रकार की जांच अथवा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). सरकारी संकल्प सहित पाण्डे समिति की रिपोर्ट की एक प्रति जिसमें रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर सरकार के निर्णय दिये गये हैं, 16 फरवरी, 1968 को सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

(ग) और (घ). समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशें निर्माताओं को पालन करने हेतु बता दी गई थीं । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशों के पालन का सुनिश्चय करने के लिए कार निर्माताओं को सांविधिक निर्देश भी जारी कर दिये गये थे । उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 16 के अन्तर्गत जारी किये गये निर्देशों का पालन न करने पर उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन दण्ड दिया जा सकता है जिसके लिए जुर्माने की भी व्यवस्था है ।

(ङ) और (च). सरकार द्वारा नियुक्त तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तीनों प्रकार की कार निर्माताओं के संयंत्रों की जांच कर रहा है जिससे उनके आन्तरिक निरीक्षण संगठन को सुदृढ़ बनाने में उसकी सहायता की जा सके और परामर्श दिया जा सके । यह दल सरकार को इस सम्बन्ध में सुझाव देगा कि निर्माताओं द्वारा आन्तरिक प्रबन्ध को और सुदृढ़ बनाने के लिये किस प्रकार के बाह्य निरीक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए और किस प्रकार वह अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्य कर सकते हैं । दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस उद्योग के लिए एक तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना करने के बारे में भी कार्यवाई की जायेगी ।

### पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के फायरमैन

4. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के सियालदह डिवीजन के उन फायरमैनों की संख्या कितनी है जिन पर 19 सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण अतिक्रमण किया गया है ;

(ख) उनमें से कितने लोगों की 'सेवा में रुकावट' लगाई गई है ;

(ग) उन फायरमैनों की संख्या कितनी है, जिन पर सरकार के 'वेतन कटौती' के आदेश लागू हुए हैं ; और

(घ) कितने मामलों में 'पास', पी० टी० ओ० और छुट्टी रोक दी गई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). एक फायरमैन को निलम्बित किया गया था ; उसकी 19-9-1968 की अनुपस्थिति को सेवा भंग मानते हुए उसे फिर ड्यूटी पर ले लिया गया है ।

(ग) उपर्युक्त एक कर्मचारी सहित सात ।

(घ) इन सातों व्यक्तियों को पास, पी० टी० ओ० और छुट्टी उस दर से ग्राह्य है जो नए भर्त्ती वालों के लिए लागू है ।

## गुजरात में नये उद्योगों के लिए लाइसेंस

5. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 में नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्ति हेतु कितने आवेदन-पत्र गुजरात राज्य से प्राप्त हुए ;

(ख) इनमें से कितने आवेदकों को लाइसेंस दिए गए और किन-किन उद्योगों के लिए ; और

(ग) उनमें कितने आवेदन पत्र अहमदाबाद से आए थे ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) 42 । चार आवेदनों में कुछ अन्य राज्यों के अतिरिक्त गुजरात का उल्लेख भी एक प्रस्तावित स्थान के रूप में गया था ।

(ख) इनमें से एक आवेदक को कोयली बड़ौदा में डाई मिथाइल टर्पथालेट (डी० एम० टी०), आर्थो-एक्सीलीन तथा मिक्स्ड-एक्सीलीन का निर्माण करने के लिए एक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है ।

(ग) प्राप्त हुए आवेदनों में से 5 आवेदन-पत्र अहमदाबाद के लिए थे ।

## वीरमगाम के निकट भूमिगत पुल

6. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि वीरमगाम में छोटी लाइन और बड़ी लाइन आकर मिलती हैं और इसके कारण रेलवे फाटक को कई घंटों तक बन्द रखना पड़ता है और इसके

परिणामस्वरूप बसों, कारों और ट्रकों को वहां पर अनिश्चित काल तक रुके रहना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर एक भूमिगत पुल बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) कभी-कभी सड़क यातायात में अपरिहार्य रुकावट हुई है ।

(ख) और (ग). वर्तमान नियमों के अन्तर्गत किसी समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल/लाइन के नीचे पुल बनाने की लागत रेलवे और सड़क आधिकारी के बीच बांटी जाती है । मोटे तौर पर इस समय लागू नियमों के अन्तर्गत 24 फुट चौड़े सड़क-मार्ग और इसके पहुंच-मार्ग के लिए ऊपरी सड़क पुल/लाइन के नीचे पुल की लागत का 50%, खर्च (इसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है) रेलवे उठाती है । शेष 50%, साथ ही पहुंच-मार्ग के लिए यदि जमीन खरीदनी पड़े तो उसकी लागत सड़क अधिकारियों द्वारा दी जाती है । यद्यपि लाइन के नीचे पुल बनाने का कोई विचार नहीं है, समपार सं० 41 (क) की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव 1966 में रेलवे द्वारा राज्य सरकार के सामने रखा गया था जिसने इस मामले को स्थानीय नगरपालिका को भेज दिया । नगरपालिका अभी तक अपने हिस्से का खर्च उठाने के लिए सहमत नहीं हुई है । जैसे ही नगरपालिका अपने हिस्से की लागत देने के लिए सहमत हो जायेगी, रेलवे समपार की जगह ऊपरी सड़क पुल बनाने के लिए अपने हिस्से के काम को शीघ्रता से पूरा करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करेगी ।

### Ram Nagar-Mohan Railway Line

7. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received the proposal regarding construction of fifteen-mile Railway line from Ram Nagar (District Naini Tal) to Mohan ;

(b) if so, the action so far taken by Government thereon ;

(c) whether the people of hilly districts of Uttar Pradesh have been putting up this demand since 1914 ; if so, the reasons for which it is being kept pending ; and

(d) whether provision for the construction of the said line has been made in the Fourth Five Year Plan ; if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (d). Representations were received only recently for construction of a new rail link from Ramnagar to Mohan. No surveys for this rail link have been carried out in the past. The limited funds and resources available for new lines and conversions in the Fourth Five Year Plan will have to be conserved for essential schemes required for defence purposes, port and major industrial development and for moving heavy mineral traffic. The proposal for a new rail link from Ramnagar to Mohan may, therefore, not merit priority for consideration during the Fourth Plan and may have to wait for better times.

**Conversion of N. G. Lines into Broad Gauge**

8. **Shri J. B. S. Bist:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to convert the Narrow gauge lines into the Broad Gauge ones;

(b) if so, the names of the narrow gauge lines in regard to which a decision has been taken for conversion into broad gauge and the names of those in regard to which such decision is under consideration;

(c) whether Government have received a large number of memoranda from the people for converting the Moradabad-Ramnagar (District Naini Tal) narrow gauge line into broad guage and, if so, whether Government propose to convert the said line into broad gauge;

(d) whether the said work would be completed during the Fourth Five Year Plan period; and

(e) if not, whether these hilly districts of Uttar Pradesh would continue to be ignored?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) and (b). There is no proposal for the wholesale conversion of all narrow gauge lines to broad gauge. However, conversion of a particular narrow gauge section to wider gauge can always be considered on its merits.

(c) to (e). Moradabad-Ramnagar is a metre gauge section and not narrow gauge. Representations for its conversion to broad gauge have been received, but the conversion is not considered justified at present. The capacity available now is adequate to cater to the requirements of the present traffic as well as traffic anticipated in the near future.

**Cottage Industries in Kumaon (U. P.)**

9. **Shri J. B. S. Bist:** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn towards the inadequacy of cottage industries in Kumaon (Uttar Pradesh);

(b) if so, whether Government propose to establish some more cottage industries in this backward hilly area in order to bring about its industrial development;

(c) if so, the types of cottage industries to be established during the Fourth Five Year Plan and the amount allocated therefore; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhury Ram Sewak):** (a) to (d). Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

**इंडिया विग लिमिटेड**

10. **श्री मु० कु० तापड़िया:**

**श्री मंगलाथुमाडोम:**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडिया विग्ज लिमिटेड ने अब तक कितने मूल्य के विगों का निर्माण किया है;

(ख) इस कम्पनी ने कितने मूल्य के विगों का निर्यात किया है ; और

(ग) क्या यह सच है कि सहयोगकर्त्ताओं ने क्रय सम्बन्धी अपने वचनों का पालन नहीं किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) 31 दिसम्बर, 1968 तक बनाए गए विगों का मूल्य 60,23,933 रुपये है।

(ख) दिसम्बर, 1968 तक के निर्यातों का मूल्य 36,41,112 रुपये है।

(ग) वर्ष 1967 में सं० रा० अमेरिका के क्रेताओं ने इस कारखाने में बना सभी माल खरीद लिया था। वर्ष 1968 में सं० रा० अमेरिका की फर्म द्वारा दिये गये क्रयादेश, संविदा में पूरी तरह निर्दिष्ट नहीं थे।

**बोकारो इस्पात कारखाने का पूर्ण होना**

11. **श्री नम्बियार :**
**श्री न० कु० सांघी :**
**श्री गणेश घोष :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री एम० नारायण रेड्डी :**
**श्री रविराय :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री ए० श्रीधरन :**
**डा० कर्णी सिंह :**
**श्री अदिचन :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने में, जो कि 1971 के अन्त तक पूर्ण होना था, कुछ महीनों का विलम्ब होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कारखाना कब पूरा होने वाला है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, हां।

(ख) इसका कारण पूर्व-निर्धारित समय के भीतर देशीय उपकरणों और मशीनों के निर्माण में कठिनाई है।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार कारखाने की प्रथम धमन भट्ठी के मार्च 1971 तक उत्पादन शुरू कर देने और प्रथम चरण की सम्पूर्ण प्रायोजना के 1972 के मध्य तक पूर्ण हो जाने की आशा है ।

**एक्स-रे फिल्मों के आयात पर पाबन्दी**

12. **श्री नम्बियार :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री के० रमानी :** **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक्स-रे फिल्मों के आयात पर पाबन्दी लगा दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस पाबन्दी के कारण अस्पतालों तथा निजी क्लीनिकों की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो रही हैं ;

(घ) यदि हां, तो स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी, उटकमंड आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

(ङ) तथा (च). मैसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने 1968 में ही एक्स-रे फिल्मों का उत्पादन आरम्भ किया था और वे अभी देश की सम्पूर्ण मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं हैं । फिर भी 1969-70 तक सम्पूर्ण मांग को स्वदेशी स्रोतों से पूरा करने के उपाय किये जा रहे हैं ।

**ट्रकों/बसों के टायरों और ट्यूबों का अभाव**

13. **श्री नम्बियार :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री के० रमानी** **श्री एस० आर० दामानी :**
**श्री उमानाथ :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री एम० नारायण रेड्डी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रकों/बसों के टायरों और ट्यूबों की देश भर में कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इस कमी के कारण व्यापारी लोग टायरों को चोर बाजार में बेच रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो टायरों की चोरबाजारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) ट्रकों तथा बसों के विशिष्ट आकार के टायरों की कमी सरकार के ध्यान में लाई गई है।

(ख) टायरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित पग उठाये हैं :

(1) सरकार ने मोटर गाड़ी टायर उत्पादकों को टायरों और विशेषकर उन कोटियों के टायरों जिनकी कमी है के उत्पादन बढ़ाने का परामर्श दिया है। इस आशय के लिये सरकार उत्पादकों को आवश्यक सांचे तथा सन्तुलन उपकरणों के आयात के लिए भी सहायता कर रही है।

(2) सरकार ने कुछ मोटर गाड़ी उत्पादकों को ट्रकों के 14000 टायर आयात करने की भी अनुमति दी है।

(3) सरकार मोटर गाड़ी टायरों के अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए कदम उठा रही है ।

(ग) बस तथा ट्रकों के टायरों की अधिक कीमत वसूल करने की शिकायतें भी मिली हैं।

(घ) ट्रक तथा बस टायरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत "आवश्यक वस्तु" घोषित कर दिया गया है ताकि राज्य सरकारें तथा स्थानीय प्रशासन उनके अधिग्रहण तथा वितरण को नियमित करने के लिए सक्षम हो सकें ताकि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को ठीक तरह से पूरा किया जा सके ।

**इस्पात संयंत्रों की पूंजी का बट्टे-खाते डाला जाना**

14. **श्री नम्बियार :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री भगवान दास :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री समर गुह :**
**श्री पी० राममूर्ति :** **श्री क० लकप्पा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनका मंत्रालय सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के पूंजी (कैपिटल ब्लाक) को बट्टे-खाते डालने की योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) इस योजना को किस प्रकार क्रियान्वित करने का विचार है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों ने पूंजी पर ब्याज की कितनी राशि देनी है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) से (ग). कुछ उन मौलिक कठिनाइयों का विवरण, जिनके रहते हुए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कार्य कर रही है "परफोर्मेंस आफ हिन्दुस्तान स्टील" लिमिटेड नामक पुस्तिका में दिया गया है। इसकी प्रति 5-4-1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी। इन कठिनाइयों को दूर करने अथवा कम करने के लिए कई उपायों पर विचार किया जा रहा है। अभी अंतिमरूप से कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने वर्ष 1967-68 में ब्याज के रूप में 291.7 मिलियन रुपये दिये।

## हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को हुई हानि

15. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड को इसके स्थापित होने से लेकर अब तक अनियमितताओं, चोरियों, माल की कमी और आग लगने के कारण कितनी हानि हुई है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई थी और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इसकी कमियों का पता लगाने और इसके कार्य-संचालन को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान व धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## लघु उद्योग सेवा संस्था, त्रिचुर के निदेशक

16. **श्री ई० के० नायनार** : **श्री अ० कु० गोपालन** :
**श्री सी० के० चक्रपाणि** : **श्री अनिरुद्धन** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लघु उद्योग सेवा संस्था, त्रिचुर (केरल) के निदेशक के विरुद्ध सरकारी शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों के बारे में बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) निदेशक, लघु उद्योग सेवा संस्थान, त्रिचुर के खिलाफ सरकारी शक्ति का

दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में लगाये गये कुछ आरोप 14 अक्तूबर, 1968 के मलयालम समाचारपत्र में प्रकाशित किये गए थे। ये आरोप स्वयम् निदेशक द्वारा ही विकास आयुक्त, लघु उद्योग की जानकारी में लाए गए थे, समाचारपत्र में प्रकाशित आरोपों को देखते ही उन्होंने तुरन्त प्रत्येक आरोपों के बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी।

(ख) नहीं।

(ग) जब निदेशक ने स्वयं ही प्रत्येक आरोपों के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी तो फिर किसी प्रकार की जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया और उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया।

**M/s Kila Chand Devichand & Co., Bombay**

17. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the companies whose shares worth more than Rs. 25 lakhs have been purchased each by M/s. Kila Chand Devichand and Co., Bombay, Kesar Sugar Works, Bombay and Distiller Trading Corporation, Bombay ;

(b) the number of shares owned by the General Managers and Chairmen of the aforesaid companies ;

(c) whether the aforesaid companies have purchased and sold shares from/to any foreign company ; and

(d) if so, the names of the companies and the number of shares?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :** (a) to (d). Information is being collected and it will be laid on the table of the House.

**छोटी कार निर्माण सम्बन्धी योजना**

18. **श्री देवेन सेन :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री किकर सिंह :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात अथवा बम्बई, महाराष्ट्र के कुछ उद्योगपतियों ने कम कीमत पर छोटी कार बनाने की एक योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) हां, चार योजनाएं, एक गुजरात से और तीन महाराष्ट्र से प्राप्त हुई हैं।

(ख) योजना का ब्योरा निम्न प्रकार है :

| क्र० सं० | पार्टी का नाम | विदेशी सहयोग यदि कोई हो | कार तथा इंजन का मेक, क्षमता | संयंत्र की प्रति वर्ष क्षमता | प्रस्तावित कार का विक्रय मूल्य (कर छोड़कर)(रु० में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | मे० मनुभाई एच० ठाकर, बड़ौदा (गुजरात) | बेल्जियम कं० मे० लीपेज द्वारा इंजन का अभिकल्प तैयार किया जाना | 600-800 सी० डी० -2-4 सिलेंडर वायु-शीतित | 25,000 कारें दो पाली में | 7,000 (कारखाने से निकलते समय) उपभोक्ता द्वारा 7,500 अदा किया जायेगा |
| 2. | श्री एस० डी० कुलकर्णी, छाल करन्जी, जिला कोल्हापुर, (महाराष्ट्र) | कुछ नहीं | मीरा मिनिकार 2 सिलेण्डर जल शीतित | 6,000 | 6,000 (कारखाने से निकलते समय) 6,665 । उपभोक्ता द्वारा अदा किया जायेगा । |
| 3. | मे० एसोसियेटेड कार०, आफ इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा०लि० बम्बई । | बी० एम० डब्ल्यू, पश्चिमी जर्मनी | बी० एम० डब्ल्यू ग्लास 700 सी० सी० | 1,00,000 | उल्लेख नहीं किया गया । |
| 4. | मे० प्रीमियर आटोमोबाइल लि०, बम्बई । | फिएट एस० पी० ए० टूरित, इटली । | फिएट 600 डी 767 सी० सी० 4 सिलेंडर जल शीतित | 24,000 | 9,006 कारखाने से निकलते समय उपभोक्ता द्वारा 9,907 देय होगा । |

(ग) अन्य प्रस्तावों के साथ-साथ सरकार इन प्रस्तावों पर विचार कर रही है ।

## गुजरात में रेलवे का विद्युतीकरण

19. **श्री देवेन सेन :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री रामचन्द्र ज० अमीन :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :** **श्री किकर सिंह :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में हाल ही में छपे गुजरात के मुख्य मंत्री के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार निकट भविष्य में गुजरात में कुछ रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो ये रेलवे लाइनें कौन-कौन सी हैं ; और

(ग) कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा इसके कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) पश्चिम रेलवे के केवल विरार-साबरमती खण्ड (442 कि० मी० मार्ग) जिसका कुछ भाग गुजरात राज्य में पड़ता है, का विद्युतीकरण 25 कि० वा० ए० सी० पद्धति से चौथी पंचवर्षीय योजना में किया जा रहा है ।

(ग) यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। ऊपरी उपस्करों आदि की सप्लाई और उन्हें खड़ा करने के लिए टेंडर मांगे गये हैं और आशा है आर्डर शीघ्र दे दिये जायेंगे । इस खण्ड पर बिजली लगाने के लिए वास्तविक कार्य जल्द शुरू किये जाने की संभावना है । सिविल इंजीनियरिंग और दूसरे आनुषंगिक काम किये जा रहे हैं । आशा है इस खण्ड पर बिजली लगाने का काम 1972 में किसी समय पूरा हो जायेगा ।

## आंध्र प्रदेश में हीरों के भण्डार

21. **श्री रामावतार शास्त्री :** **डा० रानेन सेन :**
**श्री ईश्वर रेड्डी :** **श्री जनार्दनन :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कड़प्पा "शैल समूह" में हीरों का पता लगाने के लिये अब तक कोई खोज की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) और (ख). जी, हां । कड़प्पा शैल-समूह के बांगनपल्ली मिश्र-पिंडाश्म क्षितिज में हीरों के पाये जाने का

पता लगा था । 1967-68 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम में इस पर विस्तृत कार्य प्रारम्भ किया गया था । आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले की दो अलग संभाव्यतायुक्त मिश्रपिंडाश्म पट्टियों का मानचित्रण तथा अध्ययन किया गया और हीरे की पुरानी खानों की जांच की गई । इसके आगे, बांगनपल्ली मिश्रपिंडाश्म और विस्तृत कार्य 1968-69 के क्षेत्रीय कार्य-मौसम कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है । इस कार्य में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण, समन्वेषी गढ़े खोदने का कार्य प्रवेश (एडिटिंग) और प्राप्त प्रयोग के लिये 200 मैट्रिक टन प्रत्येक के बड़े नमूने इकट्ठे करने का कार्य सम्मिलित है । इस उद्देश्य के लिए मनिमादुगु क्षेत्र लिया जाना प्रस्तावित है ।

## हिन्द गैल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड

22. **श्री सीताराम केसरी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री 27 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द गैल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी ( प्राइवेट ) लिमिटेड ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में लेख याचिका प्रस्तुत की है तथा इकतरफा व्यादेश प्राप्त करके ज्वाइंट प्लांट कमेटी पर रोक लगा दी है कि वह उन 18 गेज की इस्पात चादरों का समायोजन न करें जो उन्होंने 1966-67 में अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक मात्रा में प्राप्त कर ली थी ;

(ख) क्या टेक्नीकल डेवेलपमेंट के डायरेक्टर जनरल तथा ज्वाइन्ट प्लांट कमेटी ने व्यादेश को हटाने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो आवेदन-पत्रों में क्या मुख्य बातें लिखी हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो देर के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). स्थिति का पता लगाया जा रहा है । जानकारी सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## लघु उद्योगों के लिए विदेशी मुद्रा का नियतन

23. **श्री बाल्मीकि चौधरी :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों को कच्चे माल तथा मशीनों का आयात करने के लिए अधिक विदेशी मुद्रा देने के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भारत सरकार की वर्तमान नीति जहां तक प्राथमिकता उद्योगों का संबंध है, आवश्यकता पर आधारित है। इन उद्योगों की आयातित कच्चे माल पुर्जे तथा फालतू हिस्सों की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी की जाती है। गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों की आवश्यकताएं उनके पिछले वर्ष के लाइसेंस के आधार पर पूरी की जाती हैं। प्राथमिकता एवं गैर-प्राथमिकता वाले दोनों प्रकार के उद्योगों के नये एककों को उनकी स्थापित क्षमता के मूल्य के 20 प्रतिशत या 50,000 रु० तक इनमें से जो भी कम हो, लाइसेंस दिये जाते हैं। फिर भी प्राथमिकता प्राप्त उद्योग यदि अच्छा कार्य करते हैं तो उसके आधार पर पुनः लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार हैं।

## सूती धागे का निर्यात

24. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 में कितनी मात्रा में सूती धागे का निर्यात किया गया ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई ; और

(ग) इसका किन देशों को निर्यात किया गया।

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 (अक्तूबर, 1968 तक) निर्यातित सूती धागे की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित हैं :

| वर्ष | मात्रा (करोड़ किग्रा में) | मूल्य (करोड़ रु० में) |
|---|---|---|
| 1967-68 | 1.0282 | 7.63 |
| 1968-69 (अक्तूबर 68 तक) | 1.2496 | 8.21 |

(ग) एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 9/69]

## हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का पुनर्गठन

25. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री दे० अमात :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री गु० च० नायक :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध ढाचें के पुनर्गठन की एक परियोजना की घोषणा इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने 20 मार्च, 1968 को सभा-पटल पर रखे गये अपने वक्तव्य में की थी ।

## जापान को कच्चे लोहे का निर्यात

26. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
**श्री कृ० म० कौशिक :** **श्री धी० ना० देव :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान ने अपने बड़े पैमाने के इस्पात उत्पादन कार्यक्रम में कटौती करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इससे भारत से जापान को होने वाले कच्चे लोहे के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) आगामी वर्षों में जापान में इस्पात का उत्पादन बढ़ जाने की आशा है किन्तु इस्पात उत्पादन क्षमता के आयोजनाबद्ध विस्तार की गति धीमी होने की सम्भावना है ।

(ख) जापान के इस्पात उत्पादन कार्यक्रम को देखते हुए जापान को लौह-अयस्क के भारतीय निर्यातों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन होने की संभावना नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**इस्पात की दुर्लभ किस्मों का सम्भरण**

27. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री जे० एम० इमाम :**
**श्री सी० मुत्तुस्वामी :** **श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री सीताराम केसरी :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की दुर्लभ किस्मों के सम्भरण की प्राथमिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, हां।

(ख) दुर्लभ किस्म के इस्पात की कुल उपलब्धि का 10 प्रतिशत उत्पादकों द्वारा उनके पास बकाया पड़े आर्डरों की बुकिंग की तिथि के अनुसार सप्लाई के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 10 प्रतिशत उत्पादकों के गोदामों को प्रेषण के लिए आरक्षित किया गया है जिससे सरकारी विभागों, सरकारी उपक्रमों, लघु-उद्योग क्षेत्र के उपभोक्ताओं आदि की एक माल डिब्बे से कम की मांग को बिना कठिनाई के पूरा किया जा सके। कुल उपलब्धि का शेष 80 प्रतिशत प्रायोजी प्राधिकारियों के पुरस्करण के आधार पर निर्यात, प्रतिरक्षा, यातायात आदि-आदि की आवश्यकताओं की अग्रता के अनुसार पूर्ति के लिये दिया जाता है।

**विदेशों में संयुक्त सहयोग उपक्रम**

28. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री रा० की० अमीन :**
**श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री सीताराम केसरी :**
**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** **श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री सी० मुत्तुस्वामी :** **श्री मीठालाल मीना :**
**श्री प्र० न० सोलंकी :** **श्री प्र० के० देव :**
**श्री द० रा० परमार :** **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अब तक विदेशों में कितने संयुक्त सहयोग उपक्रमों की मंजूरी दी है ;

(ख) किन-किन देशों के साथ इन संयुक्त उपक्रमों की मंजूरी दी गई है ;

(ग) इन उपक्रमों में कौन-कौन सी वस्तुओं का उत्पादन होगा ;

(घ) किन-किन संयुक्त उपक्रमों ने इस बीच काम आरम्भ कर दिया है तथा किन-किन देशों में ;

(ङ) सरकार इन उपक्रमों की मंजूरी देने में कौन से मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करती है ; और

(च) भारत से बाहर इन उपक्रमों के काम करने के फलस्वरूप कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) से (ग). भारत सरकार ने अब तक निम्नलिखित देशों में भारतीय सहयोग से 75 संयुक्त औद्योगिक प्रायोजनाओं की स्थापना की मंजूरी दी है :

इथोपिया, घाना, केनिया, लीबिया, मारीशस, नाइजीरिया, तंजानिया, युगांडा, जम्बिया, श्रीलंका, ईरान, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलयेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, आयरलैंड, उत्तर अयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, कोलम्बिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रीनादा और त्रीनिदाद ।

अब तक मंजूर की गयी विदेश स्थित प्रायोजनाओं के अन्तर्गत उन देशों में, जहां पूंजी लगाई जायेगी, निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण शामिल है :

वस्त्र, साबुन, प्लास्टिक उत्पाद, घड़ी-घन्टों का संयोजन, रेजर ब्लेड, छोटे व्हील-टाइप कृषि ट्रैक्टर, ओषधें, मुद्रण स्याही, प्रतिदीप्त जुडनार, तथा अन्य विद्युतीय सह-साधन, हल्का इंजीनियरी सामान, कार्क उत्पाद, कागज तथा लुग्दी उत्पाद, पाइप, एसवेस्टोस सीमेंट उत्पाद, संगमरमर चिप्स् के टाइल, रोलिंग शटर्स, विलायक निस्सारण तथा ताड़ की गुठली का दलन, पेंसिलें, इस्पाद उत्पाद, चीनी, तामचीनी का सामान, सिलाई मशीनें तथा बिजली के पंखे, कांच के उत्पाद, पी० वी० सी० चमड़ा वस्त्र, ट्रक, विद्युत मोटरें तथा ट्रांसफार्मर, हल्के पेयों के लिये सांद्रण, नाशिकीटमार, वनस्पति, सिलाई के धागे के गोले, रबड़ उत्पाद, जिंक आक्साईड, ए० सी० एस० आर० तथा ए० ए० सी० और पी० वी० सी० इंसुलेटिड संवाहक, नायलन के कड़े बाल, हार्ड बोर्ड, स्टार्च, तरल ग्लूकोस, टविस्ट ड्रिल्स, फल उत्पाद आदि ।

(घ) उपरोक्त प्रायोजनाओं में 12 प्रायोजनाओं में निम्नलिखित देशों में उत्पादन आरम्भ हो चुका है :

इथोपिया, केनिया, लीबिया, नाइजीरिया, श्रीलंका, मलयेशिया, कनाडा आदि ।

(ङ) भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों को मंजूरी देने के लिये सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली व्यापक निर्देशावली संलग्न अनुबन्ध (अंग्रेजी में) दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 10/69]

(च) चूंकि 'घ' के अन्तर्गत उल्लिखित अधिकांश प्रायोजनाओं ने हाल ही में उत्पादन

शुरू किया है अतः विदेशों में उनके कार्यकलापों के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा के उपार्जन का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

**निर्यात-प्रधान उद्योगों को प्रोत्साहन**

29. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री सीताराम केसरी :**
**श्री क० प्र० सिंह देव : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**

क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुल 2,000 उद्योगों में से केवल एक सौ से भी कम उद्योग निर्यात संबंधी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्यात में वृद्धि करने के लिए औद्योगिक एककों को उपकरणों तथा कच्चे माल का आयात करने की सुविधाएं उपलब्ध करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) निर्यात क्षेत्र में सैकड़ों उत्पाद आते हैं जो कि विभिन्न उद्योगों के अन्तर्गत हैं । यह सच है कि सभी उद्योग अपने उत्पादों का निर्यात नहीं करते ।

(ख) निर्यातों की संभावना तभी होती है जबकि कोई उद्योग निर्यात योग्य उत्पाद का उत्पादन करे, उसे प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्यों पर दे सके और विदेशी बाजारों में पहुंचने के लिए विपणन सम्बन्धी प्रयत्न करे ।

(ग) तथा (घ). कच्चे माल तथा उपकरण, जो भारत में प्राप्य नहीं हैं, को आयात करने की, निर्यातों के बदले में, अनुमति दी जाती है जैसा कि आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (भाग 2) में दिया गया है । निर्माण करने वाले जिन एककों ने 1967-68 की अवधि में अपने उत्पादन का 10 प्रतिशत से अधिक निर्यात किया है, उन्हें उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए सुविधाएं दी जायेंगी ।

**पट्टम्बी में एक्सप्रेस/ मेल गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था**

30. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री पी० पी० एस्थोस :**
**श्री मंगलाथुमाडोम : श्री ई० के० नायनार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के ओलवक्कोट डिवीजन में पट्टम्बी में एक्सप्रेस और डाक गाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (ग). इस समय पट्टम्बी स्टेशन पर जितना यातायात होता है उसके लिए वहां ठहरने वाली प्रत्येक ओर से पांच जोड़ी गाड़ियां जिनमें 29/30 मालाबार एक्सप्रेस शामिल हैं, पर्याप्त हैं । इस स्टेशन पर और अधिक डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को ठहराने के लिए यातायात सम्बन्धी औचित्य नहीं है ।

**बिहार में गांवों का औद्योगीकरण**

31. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गांवों का औद्योगिकरण करने के लिए मुंगेर जिले का चयन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो बेगू सराय तथा खगरियां सब डिवीजनों के लिए पृथक-पृथक क्या योजनाएं बनाई गई हैं ;

(ग) इस कार्य पर कुल कितना धन लगेगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) चौथी योजना की अवधि में कोई नई ग्रामीण उद्योग परियोजना लगाने का विचार नहीं है ।

**उद्योग में अधिस्थापित क्षमता का उपयोग**

33. **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री जनार्दनन :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री जगेश्वर यादव :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्ता :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1968 में समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम 9 मासों में विभिन्न

उद्योगों में किस सीमा तक क्षमता अप्रयुक्त रही ;

(ख) इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कुप्रभाव किस उद्योग पर पड़ा ; और

(ग) प्रत्येक उद्योग में उपलब्ध अधिस्थापित क्षमता का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए क्या उपाय किये गए तथा इस वर्ष, उपलब्ध अधिस्थापित क्षमता का शत-प्रतिशत उपयोग करने के लिए और आगे क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**विशाखापटनम में जिंक स्मैल्टर**

34. **श्री हिम्मतसिंहका :** **श्री मु० कु० तापड़िया :**
**श्री रा० बरुआ :** **श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री अदिचन :** **श्री वेदव्रत बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1969 में पोलैण्ड की एजेन्सी मैसर्स सेन्टरोयाप के विशेषज्ञ दल ने विशाखापटनम में जिंक स्मैल्टर स्थापित करने के बारे में परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के सम्बन्ध में वहां का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दल ने क्या विचार व्यक्त किए हैं और मौके पर अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) परियोजना में कितनी क्षमता स्थापित की जायेगी, उसकी लागत क्या होगी और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और संयंत्र के लिए विभिन्न कच्चे माल की कितनी आवश्यकता होगी और कच्चा माल कहां-कहां से प्राप्त किया जायेगा ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जस्ता धातु की मांग और इसकी स्वदेशी उपलब्धता में बड़े अन्तर के संदर्भ में, विशखापत्तनम् स्थान पर आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित 30,000 मैट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता के एक जस्ता प्रद्रावक की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। तथापि, साधनों पर दबाव के कारण प्रायोजना के चौथी योजना में सम्मिलित किये जाने की संभावना नहीं है। चूंकि विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट अभी तैयार नहीं की गई है, अतः प्रायोजना लागत, विदेशी मुद्रा भाग आदि के संबंध में ब्योरे उपलब्ध नहीं हैं।

## केरल में नारियल जटा उद्योग का पुनर्गठन

35. **श्री हिम्मतसिंहका :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**
**श्री अ० कु० गोपालन :**
**श्री पी० पी० एस्थोस :**
**श्री अदिचन :**
**श्री क० अनिरुद्धन :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री गार्डिलिंगन गौड :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने नारियल जटा उद्योग के पुनर्गठन के लिए एक व्यापक योजना केन्द्रीय सरकार के अनुमोदनार्थ भेजी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत इसमें कौन-कौन से मुख्य परिवर्तन किये जायेंगे;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत कितना व्यय होगा और इसको क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता की आवश्यकता है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। आयोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाना है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 11/69]

(घ) सम्बद्ध अधिकारियों के परामर्श से आयोजना पर व्यापक विचार किया जा रहा है।

## प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन

36. **श्री हिम्मतसिंहका**
**श्री अदिचन**
**श्री सु० कु० तापड़िया**
**श्री बाल्मीकि चौधरी**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने कोट्टायम में हुई अपनी बैठक में इस वर्ष प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन के बारे में स्थिति का मूल्यांकन किया था और उनको यह मालूम हुआ है कि इस वर्ष रबड़ का उत्पादन 72000 टन के मूल अनुमान से 3000 टन कम होगा;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में इतनी कमी के कारण क्या हैं;

(ग) स्थिति का मुकाबला करने के लिए बोर्ड ने क्या सुझाव या सिफारिशें दी है; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) अनुमानित कमी जून-अगस्त, 1968 में प्रतिकूल मौसम और 1 तथा 21 नवम्बर, 1968 के मध्य रबड़ बागान कर्मचारियों की हड़ताल के कारण है।

(ग) मांग और पूर्ति के मध्य अंतर को पूरा करने के लिये रबड़ बोर्ड ने रबड़ के आयात का सुझाव दिया है।

(घ) सरकार ने आयात की अनुमति दे दी है।

**युनाइटेड प्राविन्सिज़ कर्माशियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड**

37. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युनाइटेड प्राविन्सिज कर्मशियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशक श्री एस० एम० वाही तथा अन्य निदेशकों द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ख) उपरोक्त कम्पनियों के उन निदेशकों के नाम क्या हैं, जिन पर केन्द्रीय सरकार को धोखा देने के आपराधिक षडयंत्र आरोप में अभियोग चलाया गया है और कितने धन का धोखा किया गया है तथा किन-किन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया है; और

(ग) उन राजनीतिक नेताओं अथवा वर्तमान मंत्रियों के नाम क्या हैं, जो किसी भी समय श्री एस० एम० वाही की प्रबन्धाधीन सार्थों के निदेशक, सलाहकार अथवा कर्मचारी रहे हों, और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और ऐसे पदों पर वे कौन-सी तारीख तक तथा कितनी अवधि तक रहे और सम्बन्धित व्यक्तियों ने उस काल में कितना-कितना धन कमाया ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) कम्पनी विधि बोर्ड के पास उपलब्ध सूचनानुसार, निम्नलिखित कम्पनियां, श्री एस० एम० वाही तथा यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्मशियल कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड के अन्य निदेशकों के नियन्त्रण में हैं :

(1) मैसर्स यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्मशियल कारपोरेशन प्रा० लि०
(2) मैसर्स अर्गरिंद फैब्रीकेशन लि०
(3) मैसर्स आसाम सिलीमिनिट कम्पनी लि०
(4) मैसर्स लैंड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लि०
(5) पार्ट्स सर्विस इण्डिया लि०
(6) मैसर्स यू० पी० सी० सी० पार्टनरशिप कन्सर्न

(ख) निम्नांकित ब्योरों के अनुसार मुकदमें चलाये गये थे :

**I आर० सी० 22/66—सी० आई० ए० (आई०)**

यह सड़क कूटने के बेलनों के संभरण से संबंधित है । निम्नलिखित तीन, निदेशक, अन्य चौदह अभियुक्तों सहित, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख/420, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, की धारा 5 (2), भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 477-क, तथा 1947 के अधिनियम II की धारा 5 (2)/5 (1) (घ) के अन्तर्गत, 27-8-1968 को, चतुर्थ अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, कलकत्ता के समक्ष, दोषारोपित किये गये हैं ।

(1) **श्री एस० एम० वाही**, जो निम्नांकित के निदेशक हैं :

1. मैसर्स यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्माशियल कारपोरेशन (प्रा०) लि० कलकत्ता,
2. मै० अगरिंद फैब्रीकेशन लि० कलकत्ता,
3. मै० आसाम सिलीमीनिट लि० गोहाटी, आसाम,
4. मै० लैंड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लि० कलकत्ता ।

(2) **श्री के० एम० वाही**, जो निम्नलिखित के निदेशक हैं :

1. मैसर्स यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्माशियल कारपोरेशन (प्रा०) लि० कलकत्ता,
2. मै० अगरिंद फैब्रीकेशन लि० कलकत्ता,
3. मै० लैंड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लि० कलकत्ता,
4. मै० पार्ट्स सर्विस इण्डिया लि० कलकत्ता ।

(3) **श्री आर० एम० वाही**, जो निम्नांकित के निदेशक हैं :

1. मै० यूनाइटेड प्रोविन्सेज कार्माशियल कारपोरेशन (प्रा०) लि० कलकत्ता
2. मै० अगरिंद फैब्रीकेशन लि० कलकत्ता
3. मै० लैंड रिक्लेमेशन कारपोरेशन लि० कलकत्ता,
4. मै० पार्ट्स सर्विस इण्डिया लि० कलकत्ता ।

प्रतारण की अभिकथित राशि लगभग 2,16,64,800 रुपये है ।

**II आर० सी० 56/67-हैदराबाद**

यह भूमि खुदाई यन्त्रों की विक्री से संदर्भित है । आर० सी० 22/66-सी० आई० ए० (आई०) में दिये गये वही तीनों निदेशक, दो अन्य अभियुक्तों सहित, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 के साथ पठित, धारा 120-ख, भा० दं० सं०, व आयात निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 5, एवं भा० दं० सं० की धारा 409, 420 व 109 के अन्तर्गत, 6-11-67 को विशेष दंडनायक चतुर्थ नगर दंडनायक, हैदराबाद के समक्ष दोषारोपित किये गये हैं ।

प्रतारण की अभिकथित राशि, 6,07,471.10 रुपयों की है ।

III **आर० सी० 4/67-सी० आई० ए० (आई०)**

यह निकर्षक यन्त्र बाल्टियों की बिक्री के बारे में है । आ० सी० 22/66-सी० आई० ए० (आई०) मामले में वर्णित तीनों निदेशक, पांच अन्य अभियुक्तों सहित, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 भा० दं० सं० तथा धारा 420 के साथ पठित, धारा 120-ख के अन्तर्गत 3-1-1969 को मुख्य महाप्रान्तीय दंडाधिकारी, कलकत्ता के समक्ष दोषारोपित किये गये हैं ।

प्रतारण की अभिकथित राशि लगभग 30,020.00 रुपये हैं ।

(ग) वर्तमान मंत्रियों की बाबत सूचना संग्रह की जा रही है तथा यह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी । शब्द "राजनैतिक नेता" बिल्कुल निश्चित नहीं है अतः उनकी बाबत सूचना संग्रह करना एवं भेजना संभव नहीं होगा ।

## विदेशी सहयोग नीति

38. **श्री द० रा० परमार :**
**श्री नन्द कुमार सोमानी :**
**श्री मुत्तुस्वामी :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
**श्री मीठालाल मीना :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री रा० कौ० अमीन :**
**श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी विदेशी सहयोग सम्बन्धी नीतियों में हाल में परिवर्तन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में उद्योगपतियों तथा भारत में विदेशी पूंजी विनियोजकों की कोई राय प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद):** (क) और (ख). जी, नहीं, विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में सरकार की नीति भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नेहरू के 6 अप्रैल, 1949 को संविधान सभा में दिये गये वक्तव्य से निर्देशित है । फिर भी तकनीकी जानकारी के बार-बार आयात करने से बचने के लिए सरकार ने निश्चित किया है कि विदेशी पार्टियों से ऐसे क्षेत्रों के बारे में समन्वयकारी वार्तालाप किया जाये जहां कि :

(1) अनेक विदेशी सहयोग करार विद्यमान हैं और एक नई पार्टी वैसी ही या उसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का आवेदन करती है, या

(2) जब कि एक क्षेत्र में ही अनेक एककों के लगभग एक ही समय में देश में स्थापित होने का प्रस्ताव हो और उनका उद्देश्य :

(क) विदेशी मुद्रा के बहिर्गमन को कम करना और

(ख) देशीय अनुसन्धान तथा तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना हो।

(ग) और (घ) . जी, हां, कुछ व्यक्तियों ने और चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री ने सामान्यतः सरकार की उक्त नीति की आलोचना की है। आलोचना की प्रमुख बातें ये हैं कि यह नीति क्रियात्मक नहीं है, इसमें एक उद्योगपति के लिए कुछ अंशों में बाध्यता निहित है और यह नीति देश के अधिक हित में नहीं है।

## भारत की आर्थिक नीतियां

39. **श्री द० रा० परमार**
**श्री क० प्र० सिंह देव**
**श्री सी० मुत्तुस्वामी**
**श्री रा० की० अमीन**
**श्री रा० रा० सिंह देव**
**श्री सु० कु० तापड़िया**
**श्री चं० चु० देसाई**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जे० आर० डी० टाटा ने सरकार की आर्थिक नीतियों तथा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सरकार की अनिश्चयात्मकता के लिये हाल ही में सरकार की कठोर आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख). 3 तथा 4 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में हुई उद्योग की केन्द्रीय परामर्शदात्री परिषद की बैठक में श्री जे० आर० डी० टाटा ने इस बात पर बल दिया था कि अनुकूल आर्थिक प्रवृत्तियां जो कि हमारे कृषि के क्षेत्र में मिली सफलता से लक्षित हुई हैं, उनके विरुद्ध लगाए गए प्रतिबन्ध हटा दिये जाने चाहिएं और जहां कहीं प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता हो उसे शीघ्र तथा निर्णयात्मिक रूप से करना चाहिए। श्री टाटा ने यह भी कहा था कि निर्णय लेने वाला सरकारी तंत्र उलझनपूर्ण तथा सुस्त है। श्री टाटा का यह कथन कुछ प्रस्तावों जो कि अभी अनिर्णीत हैं के संदर्भ में था जैसे छोटी कार परियोजना, टाटा उर्वरक परियोजना, कोरबा तापीय बिजलीघर इत्यादि। क्योंकि यह ऐसे मामले हैं जहां बहुत अधिक विनियोजन की आवश्यकता है और जिनके प्रभाव दूरगामी होंगे इसलिए इन पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व अत्यन्त ध्यानपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है फिर भी सरकार श्री टाटा की स्पष्टवादिता की सराहना करती है।

**गैर-सरकारी उद्योगों के लिये औद्योगिक लाइसेंस**

40. **श्री द० रा० परमार**
**श्री क० प्र० सिंह देव**
**श्री गार्डिलिंगन गौड**
**श्री रा० की० अमीन**
**श्री सु० कु० तापड़िया**
**श्री चं० चु० देसाई**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से प्रत्येक तिमाही में (1) औद्योगिक लाइसेंसों, (2) आशय पत्रों तथा (3) क्षमता वृद्धि के लिये कितने-कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर अन्तिम निर्णय करने में कुल कितना समय लगा ; और

(ग) क्या इन आवेदन-पत्रों का निबटारा करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) औद्योगिक उपक्रमों के पंजीयन तथा लाइसेंस देने सम्बन्धी नियम, 1952 के अनुसार सरकार को आवेदन प्राप्त होने की तारीख अथवा आवेदक द्वारा अतिरिक्त सूचना भेजी जाने की तारीख से इनमें से जो भी तारीख बाद की हो, से तीन महीने के अन्दर आवेदन पर अपना निर्णय देना पड़ता है।

**Investment in Hindustan Steel Ltd.**

41. **Shri Balraj Madhok :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Molahu Prasad :**

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the total investment (equity shares plus loan) in the Hindustan Steel Ltd. is Rs. 128.50 crores ;

(b) if so, the amount of interest likely to accrue per annum on the aforesaid amount if it is given on loan ;

(c) the amount out of the total investment in the Hindustan Steel Ltd. on which Government/H.S.L. have to pay interest to foreign countries every year ;

(d) the amount of profit earned or loss incurred by the Company, year-wise during the last five years ;

(e) whether Government propose to run it on purely commercial lines like Tata Steel and also to recover the loss of the Company from its officers and engineers; and

(f) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) :** (a) The total investment on capital account based on Government funds in HSL at the end of the year 1967-68 was Rs. 10,725 million—equity Rs. 5,502 million and loans Rs. 5,205 million.

(b) Out of the total loan of Rs. 5,205 million, an amonnt of Rs. 3,571 million representing loans for the 1 million tonne stage carries an interest 5% per annum with effect from the 1st April, 1962 and the balance at 7% per annum. On this basis, and if the entire investment were in the shape of loan, the interest payable would come to about Rs. 620 million per year.

(c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) This information is available in the 14th Annual Report of the Company for the year 1967-68 which was laid on the Table of the House on the 19th December, 1968.

(e) and (f). Hindustan Steel Limited works on commercial lines like any other Company subject to the overall control of the Government. As explained in the Pamphlet 'Performance of Hindustan Steel Limited' placed on the Table of the House on 5th April, 1968, the working results of the Company have been adversely affected by a number of factors, some of which are of a basic nature and others like recessionary trends in the steel demand, disturbed industrial relations, damage to equipment, etc. Within these limitations and as indicated in the Pamphlet, a number of remedial steps have been taken to improve the working of the Company.

**Concentration of Industries in Town**

42. **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Narain Swarup Sharma :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the concentration of various types of industries in a particular town not only boosts the population of that city beyond limit but also poses a very serious problem for Government in regard to the making of arrangements for water, sanitation, traffic, residential accommodation, etc. for a large population ;

(b) if so, whether Government propose to frame rules with a view to restricting the number of industries in a particular town ; and

(c) whether Government proposes to provide adequate facilities at other places also for the expansion of industries ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The whole matter regarding regional dispersal of industries and avoiding concentration of industries in some areas is, at present, under the consideration of the Government.

**Large Scale and Small Scale Industries**

43. **Shri Bal Raj Madhok:**
**Shri Ram Swarup Vidyarthi:**
**Shri Bharat Singh Chauhan:**
**Shri Narain Swarup Sharma:**
**Shri Om Prakash Tyagi:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government gives more facilities and co-operation to large scale industries as compared to small scale industries;

(b) whether it is also a fact that small scale industries are more suited to India in view of our vast population and unemployment;

(c) whether Government propose to modify their present policy with a view to give more encouragement to small scale industries; and

(d) if so, the nature thereof?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad):** (a) The Government of India have been following the policy laid down in the Industrial Policy Resolution of 1956 which is based on speedy industrialisation of the country. Under this policy both large and small scale industries are given due emphasis.

(b) to (d). By and large, the small scale industries are labour-intensive and capital saving. They promote spatial and sector dispersal of the industries which offer convenient means for a more equitable distribution of national income. These industries also facilitate mobilisation of resources of capital and skill which might otherwise remain inadequately utilized; they are also linked with the rural economy on the one side and large scale industry on the other. Realising the importance of the small scale sector in the national economy, the Government has already taken a number of steps to promote systematic development of these industries in the country.

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि**

44. **श्री बलराज मधोक:**
**श्री ए० श्रीधरण:**
**श्री क० लकप्पा:**
**श्री मणिभाई जे० पटेल:**
**श्री रा० की० अमीन:**
**श्री हिम्मतसिंहका:**
**श्री बे० कृ० दासचौधरी:**
**श्री म० ला० सोंधी:**
**श्री सु० कु० तापड़िया:**
**श्री सीताराम केसरी:**
**डा० सुशीला नैयर:**
**श्री गार्डिलिंगन गौड**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1967-68 में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कुल कितनी हानि हुई तथा भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में कारखानेवार हानि का ब्योरा क्या है;

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को, उसकी स्थापना से अब तक, कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन कारखानों में इस्पात की प्रति टन उत्पादन लागत टाटा आयरन एण्ड स्टील तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील से कितना कम अथवा अधिक है ; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)**: (क) और (ख). वर्ष 1967-68 के लिये और उस वर्ष तक के लिए आवश्यक सूचना हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के वर्ष 1967-68 की 14 वीं वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है, जिसकी एक प्रति 19 दिसम्बर, 1968 को सदन के सभा-पटल पर रख दी गई थी। वर्ष 1968-69 के लिये सूचना उस वर्ष के लेख बन्द होने और लेखा परीक्षा किये जाने के बाद उपलब्ध हो सकेगी।

(ग) निम्नलिखित तालिका में वर्ष 1967-68 के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में होने वाले प्रति टन इस्पात पिण्ड पर लागत खर्च दिया गया है :

| | |
|---|---|
| भिलाई | 269·9 रुपये |
| राउरकेला | |
| (एल० डी०) | 321·7 रुपये |
| (ओ० एच०) | 322·7 रुपये |
| दुर्गापुर | 313.3 रुपये |
| टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | 301 रुपये |
| इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी | 335·9 रुपये |

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात के कारखानों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा किये गये तथा किये जाने वाले उपायों का उल्लेख "पर्फार्मेन्स आफ हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड" शीर्षक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सदन के सभा-पटल पर रखी गई थी। इन उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

**केरल में सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये गये सूती कपड़े के मिल**

45. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 6 महीनों में सरकार ने कुल कितनी मिलों का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया है;

(ख) ऐसी कितनी मिलें केरल में चल रही हैं ; और

(ग) अब तक कितना मुआवजा दिया गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) एक का।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**केरल में औद्योगिक लाइसेंस**

46. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लघु उद्योग और बड़े उद्योग आरम्भ करने के लिए पिछले महीनों के दौरान कितने नये लाइसेंस जारी किए गए; और

(ख) इन लाइसेंसों में से केरल में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए कितने लाइसेंस दिये गए ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) और (ख). विगत छह महीने के अन्दर (1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1968 तक) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत नये औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए 18 लाइसेंस दिए गए जिसमें से एक केरल में स्थापित होने वाले उद्योग के लिए था। (लघु उद्योग प्रारम्भ करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ।

**लघु उद्योगों को इस्पात का संभरण**

47. **श्री मंगलाथुमाडोम** :
**श्री समर गुह** :
**श्री पी० विश्वम्भरन** :
**श्री क० लकप्पा** :
**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात कारखानों से इस्पात की ढली हुई वस्तुओं तथा इस्पात के कच्चे माल का सम्भरण अपर्याप्त है;

(ख) वर्ष 1967-68 में लघु उद्योगों को इस्पात के रद्दी टुकड़ों का कितना सम्भरण किया गया था; और

(ग) लघु उद्योगों को इस्पात का नियमित सम्भरण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) से (ग). इस समय देश में चादरों, कच्चे लोहे और छड़ों की कमी है । उत्पादन को बढ़ाने और उपलब्ध माल को सभी उपभोक्ताओं में जिनमें लघु-उद्योग के उपभोक्ता भी शामिल हैं, समुचित वितरण करने के लिए सभी तरह से प्रयत्न किये जा रहे हैं। जहां तक रद्दी माल का संबंध है

इसका वितरण इस्पात कारखानों द्वारा उपभोक्ताओं तथा अपने नामित व्यक्तियों को सीधा किया जाता है ।

### दक्षिण रेलवे में मीटर गेज रेल लाइनें

48. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दक्षिण रेलवे में कितनी ऐसी मीटर गेज लाइनें बिछायी गईं, जिनमें ऐसी व्यवस्था थी कि जब उन्हें बड़ी लाइनों में बदला जाये तो बड़ी लाइन के पुल बनाये जा सकें;

(ख) क्या क्विलोन-एर्णाकुलम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना अतिरिक्त धन खर्च आयेगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) दक्षिण रेलवे की सेलम-बेंगलूरु मीटर लाइन पर तीसरी योजना में काम शुरू किया गया था और यह लाइन अभी हाल में पूरी हुई है । इस पर बड़ी लाइन मानक के पुलों के निचले ढांचों के लिए व्यवस्था की गयी है । मेंगलूरु-हसन लाइन पर भी, जिस पर तीसरी योजना में काम शुरू किया गया था और जो अभी चल रहा है, पुलों के निचले ढांचे बड़ी लाइन मानक के बनाये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग). एरणाकुलम-कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक इंजीनियरी और यातायात सर्वेक्षण 1969-70 में शुरू करने का विचार है । इन सर्वेक्षणों के पूरा होने के बाद ही यह मालूम हो सकेगा कि कोल्लम-एरणाकुलम खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने की अनुमानित लागत क्या होगी ।

### Electric trains between Delhi and Satellite Towns

49. **Shri Om Prakash Tyagi :**
**Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to introduce electric trains between Delhi and its satellite towns as in the case of Calcutta and Bombay in view of the increasing population and transport needs of Delhi ;

(b) if so, the time by which these trains are likely to be introduced ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) There is at present no possibility of introducing electric trains between Delhi and its satellite towns.

(b) and (c). The requirements of all metropolitan cities have been studied by a team constituted by the Planning Commission. It is too early to indicate any time schedule for electrification of suburban services in Delhi.

**Import of Tractors from Relations Abroad**

50. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person residing abroad can send tractors to his near relatives in India as a gift ;

(b) if so, the number of the near relatives to whom such a person can send tractors ;

(c) whether import duty is levied on the tractors received as a gift ; and

(d) if so, at what rate ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply** (**Chowdhary Ram Sewak**) : (a) and (b). A person residing abroad can send one agricultural tractor only as a gift to any of his close relatives like father, mother, son, daughter, brothers, sisters or husband/wife.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**Export of Utensils and Brass-wares**

51. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the value of utensils and other brass-wares exported from Moradabad (U. P.) in the year 1968 and the foreign exchange earned thereby ; and

(b) the scheme prepared by Government to encourage this industry in future ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply** (**Chowdhary Ram Sewak**) : (a) Statistics of exports are maintained on all-India basis. It is therefore not possible to indicate exports of Moradabad products. However, total all India exports of brass utensils and art brasswares including such artwares of copper, bronze and similar type of alloys during April-November, 1968 amounted to Rs. 3.87 crores.

(b) Facility for import of non-indigenous materials used in the manufacture of the products exported is provided on replenishment basis, under the current policy.

**स्कूटरों का निर्माण**

52. **श्री पी० विश्वम्भरन :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री सीताराम केसरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्कूटरों का निर्माण करने वाले कितने औद्योगिक कारखाने हैं;

(ख) इन कारखानों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) वर्ष 1968 में इन कारखानों ने कितने स्कूटरों का निर्माण किया;

(घ) वर्ष 1968 के अन्त में स्कूटरों के लिये कितने आवेदन-पत्र अनिर्णित पड़े थे; और

(ङ) क्या यह सच है कि देश में स्कूटर बनाने का नया कारखाना स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) तीन।

(ख) 60,000 स्कूटर प्रति वर्ष।

(ग) 35,952 स्कूटर।

(घ) सन् 1968 के अंत तक स्कूटर बनाने के औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए 17 आवेदन-पत्र सरकार के पास विचारार्थ थे।

(ङ) दोहरी पारी के आधार पर 50,000 स्कूटर प्रति वर्ष बनाने की क्षमता वाले एक और स्कूटर उत्पादन एकक को सरकार ने लाइसेन्स देने का निर्णय किया है। किसे औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया जाये इस पर निर्णय शीघ्र ही लिया जाने वाला है।

## Loss Due to Re-export of Indian Goods

53. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** **Shri Ram Gopal Shalwale:**
**Shri Brij Bhushan Lal:** **Shri S. S. Kothari:**
**Shri Jagannath Rao Joshi:** **Shri Jyotirmoy Basu:**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the total loss in rupees and foreign exchange suffered by India during the last two years and during the current year so far as a result of goods made of foreign material brought to India from Nepal and Indian jute and mica taken to other countries through Nepal ; and

(b) the preventive steps taken so far in this regard and the result achieved ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) and (b). The question of import into India from Nepal of goods based on foreign raw materials was discussed in detail during the talks held between the representatives of the two countries in Kathmandu in November, 1968. As a result of these discussions, the Government of Nepal agreed to limit the export of synthetic yarn fabrics and stainless steel manufactures to the level of 1967-68 and to restrict the allocation of foreign exchange for the production of these items to 1967-68 level. Import of these goods from Nepal does not involve any direct loss of foreign exchange to India. It was brought to Government's notice that raw jute was being imported by Nepal from India for diversion to third countries. This matter was brought to the notice of H. M. G. Nepal. To check the movement of raw jute to Nepal, its export to that country was brought within the purview of Export (Control) Order, 1962, with effect from the 14th February, 1967. It was also reported that Indian mica imported into Nepal was being diverted to third countries. It is not possible to assess the exact loss in foreign

exchange suffered by India as a result of such diversion. Government are, however, making efforts to check smuggling and deflection of trade. Additional staff has been made available for the prevention of smuggling across the Indo-Nepal border and preventive measures have been intensified. The problem was also discussed between the two Governments during the periodical talks and both the Governments agreed to continue to take preventive measures against smuggling and deflection of trade.

**Diesel Training for Firemen**

54. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1342 on the 19th November, 1968 regarding diesel training for Firemen and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)**: (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House giving the requisite information. **[Placed in Library. See No. LT-12/69.]**

**कपड़ा मिल**

55. **श्री न० कु० सांघी :**　　**श्री क० लकप्पा :**

**श्री रा० रा० सिंह देव :**　　**श्री य० अ० प्रसाद :**

**श्री ए० श्रीधरण :**　　**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छः कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कपड़ा मिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1969 में सरकार ने किन अन्य मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्ष 1969 में नियंत्रण में लिये जाने वाले मिलों का पूर्वानुमान लगाना और उनके नाम बताना कठिन है ।

**संयुक्त अरब गणराज्य को व्यापार शिष्टमंडल**

56. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त अरब गणराज्य के साथ विद्यमान व्यापार करार पर पुर्नविलोकन करने के लिये तीन सदस्यों का एक भारतीय व्यापार शिष्टमंडल काहिरा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या उस शिष्टमंडल ने भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार का और विस्तार होने की सम्भावनाओं का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी हां।

(ख) से (घ). वर्तमान करार अवधि (जुलाई 1968 से जून 1969) में भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच व्यापार का यह नियमित अर्धवार्षिक पुर्नविलोकन था और व्यापार के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों पर दोनों देश सहमत हो गए। आगामी वर्ष के लिए एक व्यापार करार सम्पन्न करने के उद्देश्य से दोनों देश जून, 1969 में बातचीत करने के लिए सहमत हो गए। तब वे अपने द्विपक्षीय व्यापार का और विस्तार के लिए करार करने का प्रयत्न करेंगे।

**हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा ईरानी तकनीशनों का प्रशिक्षण**

57. **श्री न० कु० सांघी :** **श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान में सरकारी इस्पात संयंत्र के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड 500 ईरानी तकनीशनों को प्रशिक्षण देगा;

(ख) क्या इस मामले में ईरान की सरकार के साथ कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) से (ग). हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने ईरान के राष्ट्रीय इस्पात कार्पोरेशन, तेहरान के साथ लगभग 509 ईरानी कर्मचारियों को अपने कारखानों में प्रशिक्षण देने के लिए एक करार किया है बशर्ते भारत और

ईरान की सरकारें इसकी पुष्टि कर दें।

इस करार के अनुसार प्रशिक्षार्थियों के भिन्न-भिन्न दलों को भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए जो 3 से लेकर 15 मास तक होंगी प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 1971 के अन्त तक चलेगा। ईरान का राष्ट्रीय इस्पात कार्पोरेशन हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को प्रशिक्षण-व्यय और अन्य सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अमरीकी डालर में प्रतिपूर्ति करेगा।

**प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने की योजना**

58. **श्री न० कु० सांघी :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
**श्री मणिभाई जे० पटेल :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**
**श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री राजदेव सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिये एक योजना मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक क्रियान्वित की जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). प्रथम श्रेणी के कुछ पदों के कार्यभार और उत्तरदायित्व में वृद्धि को देखते हुए 148 वरिष्ठ वेतनमान पदों को कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में और 106 कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम के पदों को मध्यवर्ती प्रशासनिक पदक्रम में प्रवर्तित करने का विनिश्चय किया गया।

निर्माण संवर्ग संकुचित हो जाने के कारण, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से काम करने वाले बहुत से द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के परावर्तन की स्थिति पैदा हो गयी थी।

यह विनिश्चय किया गया है कि द्वितीय श्रेणी के जिन अधिकारियों ने वरिष्ठ वेतनमान में 3 वर्ष से अधिक सेवा पूरी कर ली हो, उन्हें परावर्तित होने से बचाया जाये।

रनिंग कर्मचारियों की परिलब्धियों का प्रश्न विचाराधीन था और 1.12.68 से रनिंग भत्ते की दरें काफी बढ़ा दी गयी हैं। गाड़ियों के समय पर चलने में सुधार हो, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रोत्साहन योजना पर भी विचार किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी कुछ समय से अपने वेतनमान के अधिकतम पर काम कर रहे हैं, उनसे राहत के लिए अभ्यावेदन मिले हैं। स्थिति में सुधार के उपाय निकालने के लिए इस मामले की जांच की जा रही है।

(ग) प्रथम और द्वितीय श्रेणी के सम्बन्ध में तथा तृतीय श्रेणी के रनिंग कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। तृतीय श्रेणी की अन्य कोटियों के सम्बन्ध में सक्रियता के साथ विचार हो रहा है।

## तालचेर में उद्योग समूह

59. **श्री स० कुण्डू :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
**श्री श्रीनिवास मिश्र :**
**श्री एस० एम० कृष्ण :**

क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तालचेर उद्योग समूह की संभाव्यता के सम्बन्ध में विदेश से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) क्या सरकार ने तालचेर में उद्योग समूह स्थापित करने के लिये कोई निर्णय किया है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान व धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) विशेषज्ञों का वह दल, जो कोयला गैसीकरण करने की प्रक्रिया और तकनीक तथा कोयला-आधारित संयंत्रों के परिचालन और अनुरक्षण का अध्ययन करने यूरोप गया था वापिस आ गया है परंतु उस दल ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ख) कुछ विस्तृत परीक्षणों तक, जो कि किये जाने हैं, अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

## विकास योजनाओं के लिए धन का नियतन

60. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रचालित की जाने वाली विकास योजनाओं के लिए कितना धन नियत किया गया है; और

(ख) ऐसी योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजना इस समय तैयार की जा रही है। अतः इस स्तर पर पहले ही इस योजना काल में केन्द्रीय क्षेत्र में विकास योजनाओं के आंवटन के बारे में बता सकना सम्भव नहीं है।

**कारीसाठ रेलवे स्टेशन (पूर्वी रेलवे) पर गुंडागर्दी की घटना**

61. **श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के कारीसाठ रेलवे स्टेशन पर क्रुद्ध भीड़ ने बिना टिकट यात्रा करने वाले कुछ व्यक्तियों के बलात् रिहा कराने का प्रयत्न किया था तथा वहां पर खड़े रेलवे के माल डिब्बों को आग लगा दी थी और आरा स्टेशन के बुकिंग आफिस को लूट लिया था;

(ख) स्टेशन के रिकार्ड को जलाये जाने तथा माल शैड आदि में रखी रूई की गांठों में आग लगने के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई;

(ग) क्या इस मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां, लेकिन किसी खड़े माल डिब्बे में आग नहीं लगायी गयी थी ।

(ख) लगभग 7,900/-रुपये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

**एल्युमीनियम कंडक्टर**

62. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्युमीनियम कंडक्टर बनाने के लिए एल्युमीनियम उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की गई एल्यूमीनियम की सप्लाई की योजना को सरकार ने मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अन्य देशों को एल्यूमीनियम धातु के निर्यात के द्वारा व्यापार में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल से दिसम्बर, 1968 की अवधि में अन्य देशों को किये गए एल्यूमिनियम धातु के निर्यात के कारण व्यापार में 526 लाख रुपये की वृद्धि हुई है।

**बनरहाट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट मालगाड़ी का पटरी से उतर जाना**

63. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री रणजीत सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री बलराज मधोक :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 जनवरी, 1969 को प्रातः काल पूर्वोत्तर रेलवे में बनरहाट स्टेशन के निकट एक मालगाड़ी पटरी से उतर गयी थी, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी और तीन व्यक्ति घायल हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो पटरी से गाड़ी के उतर जाने के क्या कारण थे; और

(ग) दुर्घटना-ग्रस्त लोगों को क्या मुआवजा दिया गया और दोषी व्यक्तियों को क्या दंड दिया गया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) पटरी से गाड़ी उतरने की घटना पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बानरहाट स्टेशन पर हुई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मरा और 4 घायल हुए।

(ख) और (ग). दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कोई मुआवजा नहीं दिया गया है और न अभी तक कोई दावा ही प्राप्त हुआ है।

**अमादलवालसा में सायबाबा कपड़ा मिल**

64. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में अमादलवालसा के सायबाबा कपड़ा मिल में उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है;

(ख) क्या इस मिल को विकास के लिये सरकार ने कोई ऋण मंजूर किया है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि खर्च की गयी है और अब मिल किस अवस्था में है; और

(घ) उसमें कितने धागे का निर्माण किया जायेगा ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) सायबाबा कपड़ा मिल में उत्पादन शुरू नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). मिल को, 12,096 तकुओं के लिये, जिनपर 20 काउंट के आधार पर 1.30 लाख किग्रा प्रति मास उत्पादन किये जाने का अनुमान लगाया गया है, लाइसेंस दिया गया है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण मिल कोई अधिक प्रगति नहीं कर सकी, क्योंकि वह वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त नहीं कर सकी। सूचना मिली है कि वित्तीय सहायता के लिये उसके आवेदन-पत्र पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

**Ticketless Travel**

65. **Shri Yashwant Singh Kushwah :**
**Shri Shrichand Goyal :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the loss that has occurred to the Railways during the last three years separately as a result of ticketless travelling ;

(b) whether Government have taken a decision to adopt several measures to check travelling without ticket ;

(c) whether there are some lines on which the checking staff dare not check the persons travelling without tickets because such passengers indulge in goondaism ; and

(d) if so, whether some steps have been taken to provide armed police guards to the checking staff on such lines ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) An accurate estimate of the loss to the Railways on account of ticketless travel during the last three years separately is not available. However, on the basis of special checks conducted on all Railways, the loss is estimated roughly to be between Rs. 20 and 25 crores per annum.

(b) Yes.

(c) No, although there have been incidents of rowdyism occasionally on some sections.

(d) Government Railway Police & R. P. F. personnel assist the ticket checking staff when necessary. The regular provision of armed police guards is neither feasible nor necessary.

**बिरला समवाय समूह के विरुद्ध जांच**

66. **श्री हेम बरुआ :** **श्री बलराज मधोक**
**श्री नम्बियार** **श्री रणजीत सिंह**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री रा० कृ० सिंह :** **श्री बेणीशंकर शर्मा :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री विश्वनाथ मेनन :** **श्री रवि राय :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिरला उद्योग समूह के विरुद्ध कदाचार के कुछ गम्भीर आरोप लगाये गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये आरोप क्या हैं; और

(ग) क्या इन कथित कदाचारों की जांच का आदेश दिया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) श्री चन्द्र शेखर संसद् सदस्य द्वारा प्रेषित तीन अनुस्मारकों में बिड़ला उद्योग समूह पर कदाचार के कुछ आरोप लगाए गए हैं।

(ख) आरोपों का विषय क्षेत्र व्यापक हैं वे इस प्रकार है, सीमाशुल्क विनियमों का अतिक्रमण, आयकर, बीमा, केन्द्रीय उत्पादन कर, पूंजीगत मामले वैदेशिक मुद्रा, कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रदर्शित पक्षपात, सेवा निवृत्त सरकारी अधिकारियों और बिड़ला उद्योगों के प्रशासकों की पत्नियों और सम्बन्धियों की अधिक वेतन पर नियुक्तियों, निम्नस्तर का उत्पादन और नफाखोरी आदि।

(ग) आरोप-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त शीघ्र ही इन आरोपों की प्रारम्भिक जांच शुरू कर दी है।

## अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्यों में गिरावट

67. **श्री हेम राज :**
**श्रीमती इला पाल चौधरी :**
**श्री विश्वनाथ राय :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के मूल्य बहुत गिर गये हैं, जिससे भारतीय चाय उद्योग के लिये संकट पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संकट से उबारने के लिये इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या चाय उद्योग की सहायता के सम्बन्ध में चाय उत्पादक राज्यों से केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) वर्ष 1968 में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय का मूल्य गत वर्ष की तुलना में कम था ;

(ख) मूल्यों में गिरावट की क्षतिपूर्ति के उद्देश्य से निम्नलिखित रियायतें प्रदान की गईं: (1) 1 अक्तूबर, 1968 से निर्यात शुल्क छूट को 24 पैसे से बढ़ा कर 35 पैसे प्रति किग्रा

कर दिया गया, (2) मुख्य उत्पादन शुल्क पर 20 प्रतिशत विशेष उत्पादन शुल्क को 1 अक्तूबर, 1968 से समाप्त कर दिया गया, (3) पुराने चाय क्षेत्रों के पुनर्रोपण हेतु उद्योग को सहायता देने के लिए मैदानी बागानों के लिए 3,500 रुपए प्रति हेक्टेयर तथा पहाड़ी बागानों के लिए 4,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर पर एक पुनर्रोपण उपदान योजना की भी घोषणा की गई।

(ग) जी हां।

(घ) चाय के मूल्यों में गिरावट के रुख को गहन संवर्द्धन द्वारा बदलने के लिए और विपणन तन्त्र में कमियों का पता लगाने तथा सुधारने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उपाय किए गये हैं ताकि उन कारणों को दूर किया जा सके जिनसे मूल्यों में गिरावट आती है। चाय उद्योग की स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक आन्तरिक उपायों पर भी सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

**खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन**

68. **श्री हेम राज :**
**श्री जनार्दनन :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**
**डा० रानेन सेन :**
**श्री जि० मो० विस्वास :**
**श्री सरजू पाण्डेय :**
**श्री रामगोपाल शालवाले :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री बृजभूषण लाल :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 19 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1205 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग सम्बन्धी अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन पर राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की राय इस बीच प्राप्त हो गयी है ; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार करने का निर्णय कर लिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) अभी तक केवल पंजाब, हरयाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर प्रशासन, दादरा तथा नगर हवेली और नागालैण्ड सरकारों से ही उत्तर प्राप्त हुए हैं।

(ख) अन्य राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात सरकार द्वारा निश्चय किया जायेगा।

**अफगानिस्तान को विमान द्वारा भारतीय माल भेजा जाना**

69. **श्री हेमराज :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री 26 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रियायती दरों पर विमानों द्वारा भारतीय माल अफगानिस्तान को

भेजने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) भारतीय माल को रियायती दर पर विमानों द्वारा अफगानिस्तान भेजने का प्रस्ताव अब भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

### आउट एजेंसियों का पुनः खोला जाना

70. **श्री हेमराज** : क्या **रेलवे** मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3032 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी कुलु निगम, जिसमें केन्द्रीय सरकार के अंश हैं । गाग्रेट, भाखेन, प्रागपुर, नोदासु ज्वालामुखी में बन्द पड़ी आउट एजेंसियों को तथा कांगड़ा स्थित नगर बुकिंग एजेंसी को पुनः खोलने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो ये एजेंसियां कब तक काम करना शुरू कर देंगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मंडी कुलु रोड परिवहन निगम ने विनिश्चय किया है कि वह इन एजेन्सियों का संचालन अपने हाथ में नहीं लेगा ।

(ख) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता ।

### विन्नामंगलम (अम्बूर) में ऊन साफ करने का केन्द्र

71. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बूर के पास विन्नामंगलम में ऊन साफ करने का केन्द्र, जो मद्रास और मैसूर सरकारों का संयुक्त उपक्रम है और जिसके लिये केन्द्रीय सरकार ने भी वित्तीय सहायता दी है, खराब हालत में है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा ।

### हापुड़ बोन मिल्स

72. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हापुड़ बोन मिल्स के नाम से एक निर्यात एवं उर्वरक उद्योग,

जो 13 वर्ष से पश्चिमी पाकिस्तान से आये एक शरणार्थी के अधिकार में था, किसी ऐसी अन्य फर्म को हस्तान्तरित किये जाने के बाद, जिसका नाम काली सूची में है, नष्ट हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के, जो विदेशी मुद्रा कमा रहा था, इस प्रकार अनियमित तरीके से नष्ट होने देने के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**जापानी व्यापार मंडल का भारत का दौरा**

73. **श्री म० ला० सोंधी :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री मुत्तु स्वामी :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री रा० की० अमीन :**
**श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
**श्री रा० वे० नायक :**
**श्री मणि भाई जे० पटेल :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री जी० ब० सिंह :**
**श्री श्रीगोपाल साबू :**
**श्री शारदा नन्द :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :**
**श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से अधिक मात्रा में माल के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये जापान का एक व्यापार मंडल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो जापानी मिशन भारत से किन-किन वस्तुओं का आयात करने के लिये सहमत हुआ है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). जी हां । भारत से जापान को छर्रों, नमक, तम्बाकू पत्ती, झींगा मछलियों, भेड़ केसिंग, खलियां, रत्नों तथा सब्जियों तथा फलों के निर्यातों को और बढ़ाने की सम्भावनाओं का विशेषतया अध्ययन करने के लिये जापान का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल हाल ही में भारत आया था । प्रतिनिधिमंडल अपने परिणामों को जापान सरकार को बतायेगा । फिर भी प्रतिनिधिमंडल के

साथ बातचीत के दौरान यह पता लगा कि प्रतिनिधिमंडल ने अनुभव किया है कि भारत से जापान को उपर्युक्त उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने की पर्याप्त सम्भाव्यता है ।

**विशाखापत्तनम में जिंक स्मैल्टर**

74. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री न० कु० सांघी :**
**श्री रा० रा० सिंह देव :**
**डा० कर्णी सिंहजी :**
**श्री बलराज मधोक :**
**श्री रणजीत सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री वेणी शंकर शर्मा :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री रा० बरुआ :**
**श्रीमती इलापाल चौधरी :**
**श्री भोलानाथ मास्टर :**

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार विशाखापत्तनम में आयातित जिंक कन्संट्रेशन पर आधारित जिंक स्मैल्टर स्थापित करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है और सुझाव दिया है कि इसके बजाय राजस्थान के जिंक स्मैल्टर का विस्तार किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य में देश की अवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जिंक का अयस्क पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो विशाखापत्तनम में जिंक स्मैल्टर लगाने के क्या कारण हैं विशेषकर जब कि उस क्षेत्र में जिंक के निक्षेप नहीं हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) :** (क) जस्ता धातु की मांग तथा इसकी स्वदेशी उपलब्धता के बीच बहुत बड़े अन्तर तथा आयातित जस्ता संकेन्द्रकों से जस्ता धातु के उत्पादन से होने वाली विदेशी मुद्रा की बचतों की दृष्टि से, विशाखापत्तनम स्थान पर जस्ता प्रद्रावक की स्थापना का प्रश्न पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). देबरी (उदयपुर) के जस्ता प्रद्रावक के वर्तमान तथा विस्तार किये गये स्तरों पर जस्ता धातु के सम्भाव्य उत्पादन को तथा अलवेई स्थान पर गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक को अपनी वर्तमान पूरी निर्धारित क्षमता प्राप्त करने और भावी वर्षों में इसके संभावित विस्तार को विचार में रखते हुए भी ऐसा अनुमान है कि 1973-74 तक देश में जस्ता धातु की बहुत भारी कमी होगी क्योंकि तब तक मांग के प्रति वर्ष लगभग 1,40,000 मैट्रिक टन के स्तर तक पहुंच जाने की संभावना है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि धातु के रूप में

आयात करने के स्थान पर आयातित संकेन्द्रकों का देश में ही प्रद्रावण करने से 30-40 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा की बचत होगी। धातु की अनुमानित कमी के विचार से ऐसा महसूस किया गया है कि यदि विशाखापत्तनम स्थान पर आयातित संकेन्द्रकों पर आधारित जस्ता प्रद्रावक स्थापित किया जा सके तो यह देश के हित में होगा। तथापि, साधनों की कठिन स्थिति के कारण से इस प्रायोजना को पहले क्रियान्वयन के लिये नहीं लिया जा सका और क्योंकि साधनों की स्थिति अभी भी बड़ी विकट है, यह अनिश्चित है कि यह प्रायोजना नई पांचवी पंचवर्षीय आयोजना (1969—74) में सम्मिलित की जायेगी। जो भी हो इस प्रस्ताव से राजस्थान निक्षेपों के विकास पर किसी दुष्प्रभाव के पड़ने की आशा नहीं है।

**कपड़ा और चीनी उद्योग के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव**

75. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**
**श्रीमती इलापाल चौधरी :**
**श्री शारदानन्द :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**
**श्री ओंकार सिंह :**
**श्री जी० ब० सिंह :**
**श्री वंशनारायण सिंह :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कपड़ा और चीनी उद्योगों के आधुनिकीकरण का है तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं द्वारा इस, कार्यक्रम के लिये धन देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे अन्तिम रूप देने में कितना समय लगने की सम्भावना है?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). वस्त्र तथा चीनी उद्योगों का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता पर सरकार कुछ समय से ध्यान दे रही है और यह निर्णय किया गया है कि प्रत्येक मिल/कारखाने को भारत के औद्योगिक वित्त निगम जैसे वित्तीय अधिकरणों से सहायया लेने की सुविधा दी जानी चाहिए। वित्त-व्यवस्था करने वाले अभिकरणों को जो साधन उपलब्ध हैं वे इन उद्योगों को पुनः स्थापित करने और आधुनिकीकरण के लिये पर्याप्त समझे जाते हैं। यह भारत के औद्योगिक वित्त निगम तथा वित्त व्यवस्था करने वाले अभिकरणों की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि वे सहायता के लिये प्राप्त आवेदनों पर प्रत्येक आवेदक की उधार-पात्रता के लिये

कोई यथोचित कसौटी रख लें और उसके गुणावगुण के आधार पर इसका निर्णय करें कि प्रत्येक एकक को कहां तक सहायता दी जानी चाहिए ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**रूमानिया को फिएट कारों का निर्यात**

76. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्रीमती इलापाल चौधरी :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री रा० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया सरकार भारत-रूमानिया व्यापार करार के अन्तर्गत फियेट कारों को खरीदने के लिये सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या, मूल्य भुगतान तथा कारों के लिये, दिये जाने का ढंग क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1968 में भी फिएट अथवा अम्बैस्डर कारें अन्य देशों को निर्यात की गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो अलग-अलग उनकी संख्या क्या है, इनको आयात करने वाले देशों के नाम क्या हैं और प्रत्येक लाट कितने मूल्य का था; और

(ङ) यदि इस समय हाथ में कोई क्रयादेश हैं तो उनका ब्योरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) रूमानिया सरकार ने फिएट कारें खरीदने में अपनी दिलचस्पी प्रकट की है और राज्य व्यापार निगम इसकी आगे जांच कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

**प्रकाशन के लिये औद्योगिक लाइसेंस**

77. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री गाडिलिंगन गौड :**
**श्री चं० चु० देसाई :**
**श्री रा० की० अमीन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से पिछले चार वर्षों की प्रत्येक त्रैमासिक अवधि में

(एक) औद्योगिक लाइसेंसों, (दो) आशय पत्रों, (तीन) विस्तार के लिये कुल कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदनपत्रों पर अन्तिम निर्णय लेने में कुल कितना समय लगा; और

(ग) क्या इन आवेदनपत्रों के निपटाने के लिये कोई समय सीमा है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**सरकारी क्षेत्र में विस्तार कार्यक्रम के लिए लाइसेंस**

78. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री गार्डिलिगन गौड़ :** **डा० सुशीला नैयर :**
**श्री रा० की० अमीन :** **श्री चं० चु० देसाई :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों में सरकारी क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिये जारी किये गये लाइसेंसों का ब्योरा क्या है ; और

(ख) क्या नियमों के अन्तर्गत रखी गई अधिकतम अवधि में विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वित न किये जाने के कारण इन लाइसेंसों को वापस ले लिया गया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी किये गए लाइसेंसों जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पर्याप्त विस्तार के लाइसेंस भी सम्मिलित हैं का ब्योरा उद्योग लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक (बुलेटिन में) साप्ताहिक भारतीय व्यापार पत्रिका तथा मासिक उद्योग व्यापार पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है और इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद् के पुस्तकालय को भेजी जाती हैं ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 में लाइसेंस को वापिस लिए जाने की व्यवस्था नहीं है । यदि कोई लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति लाइसेंस में निर्दिष्ट समय के अन्दर या लाइसेंस की बढ़ाई गई अवधि के अन्दर औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रभावी पग नहीं उठाता है तो सरकार उस लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करने के पश्चात उस लाइसेंस को रद्द कर देती है । रद्द किए गए लाइसेंसों का विवरण भी उपरोक्त प्रकाशनों में प्रकाशित किया जाता है ।

### रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में तोड़-फोड़ करने वाले

79. **श्री बाबू राव पटेल : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन छः कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस ने जनवरी, 1964 में रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट को आग लगाने का आरोप लगाया गया था उनके नाम तथा पदनाम क्या थे ;

(ख) इन तोड़-फोड़ करने वालों के विरुद्ध क्या विशिष्ट आरोप हैं और सत्र-न्यायालय, रांची में किन आरोपों के अन्तर्गत इनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन तोड़-फोड़ करने वालों को भारत में पाकिस्तान के उच्च आयोग द्वारा धन दिया जाता था और उन्होंने ही इन्हें नियुक्त किया था ;

(घ) यदि हां, तो भविष्य में पाकिस्तान अथवा पाकिस्तानी एजेन्टों द्वारा तोड़-फोड़ की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या यथार्थ कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या इस अग्निकांड में किन्हीं हिन्दू कर्मचारियों का भी हाथ था और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जनवरी 1964 में रांची में हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट में आग लगने के मामले में पुलिस ने किसी भी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगाया था। पुलिस ने जांच करने के पश्चात् इस विशिष्ट घटना को दुर्घटना का नाम दिया था।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते।

### Fine Thread from Short Staples Cotton

80. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it has been found after research that fine thread can be taken out of the short staple cotton after carding it properly ; and

(b) if so, the extent to which the said results are likely to affect the export of short-staple cotton and the import of long-staple cotton ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Shri Chowdhary Ram Sewak) :** (a) No particular method evolved as a result of research for spinning fine yarn out of short staple cotton has come to notice so far.

(b) Does not arise.

### Development of Railways in Delhi

81. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the outlines of the Fourth Plan regarding the development of Railways in the area

under the Master Plan of Delhi ; and

(b) whether it is a fact that the Railway Board never pays any attention to the area under the Master Plan of Delhi ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) The Fourth Plan of the Railways is under preparation.

(b) No. The needs of all areas of the country and the availability of funds for development, are taken into account in preparing the Railways' development plans.

**Doubling of Railway Line between Meerut and Ghaziabad**

82. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to single railway line between Meerut and Ghaziabad, the Mail and passenger trains take much time and some trains take more time in reaching Delhi and less time in going from Delhi ; and

(b) if so, the reaction of Government in regard to the proposal of laying down double line up to Meerut situated in the area of Delhi Master Plan with a view to improve the situation ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) The journey time of Mail/Express/Passenger trains on the Meerut-Ghaziabad section is not excessive compared to other similar sections. It is correct that journey time of some of the down trains running from Meerut to Ghaziabad is some-what greater than that of up trains from Ghaziabad to Meerut, primarily due to the provision of extra time for engineering works, which is normally provided towards the last lap of the run.

(b) In order to ease the position with regard to line capacity on this section it is proposed to introduce diesel traction and construct two additional crossing stations. It is expected that with these measures, there will be no necessity for doubling of this section at present.

**लक्कदीव में औद्योगिक कारखाने**

83. **श्री प० मु० सईद : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कदीव द्वीपों में इस समय कितने और कौन-कौन से औद्योगिक कारखाने चल रहे हैं ;

(ख) पिछले चार वर्षों में, वर्ष वार, प्रत्येक कारखाने के लिये कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई ; और

(ग) इस अवधि में प्रत्येक कारखाने पर वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

### लक्कदीव द्वीपों में औद्योगिक कारखाने

84. **श्री प० मु० सईद :** क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्कदीव द्वीपों में विभिन्न औद्योगिक कारखानों के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद):** (क) से (ग) . जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

### Issue of Import Licences on the basis of Bogus Export Certificates

85. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :** **Shri Bal Raj Madhok :**
**Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some firms have in collusion with certain Custom authorities cheated Government in obtaining licences for the import of raw material on the basis of bogus export certificates ;

(b) if so, the number and particulars of such firms ; and

(c) the action taken by Government to punish the offenders ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) to (c) . Some firms are reported to have claimed drawback of duty on the basis of bogus exports. An investigation is being made into the allegation.

### Development of Indo-Iran Trade

86. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri P. C. Adichan :**
**Shri D. N. Patodia :** **Shri Himatsingka :**
**Shri S. C. Samanta :** **Shri S. K. Tapuriah :**
**Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Shah of Iran had, during his recent visit in India, mentioned about the possibility of tremendous increase in trade between India and Iran ;

(b) if so, the outcome of the negotiations held in this respect ; and

(c) the details regarding the agreement reached in the matter ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) to (c). During the discussions held at the time of the visit of the Shah of

Iran, it was recognised by both sides that there were immense possibilities of closer collaboration between India and Iran. No specific agreement on expansion of mutual trade was concluded. It was, however, decided to constitute a Joint Commission on Economic, Trade and Technical Cooperation headed by the Ministers of the two countries, to plan and implement specific schemes for co-operation through an exchange of technology, joint industrial ventures and the expansion of mutual trade.

### Export to European Countries via Caspian Sea

87. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri M. L. Sondhi : Shri Vishwanarayan Shastri : Shrimati Ila Palchaudhuri :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Shah of Iran had, during his visit to India in January, 1969, proposed the use of the new route to Europe via Caspian Sea and Soviet Union for the export of Indian goods to Europe ;

(b) if so, the advantages of the proposed route ; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) to (c). There was some general discussion on the subject at the time of the visit of the Shahanshah to India about the possibility of Indo-Iranian cooperation in various sectors including transport. It is not in the public interest to disclose any details in this regard.

### Textile Mills, Hathras

88. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three textile mills of Hathras, wherein about 14 thousand labourers were employed, are closed for the last one year ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether Government are taking action to reopen those mills ;

(d) if so, the nature of the action taken ; and

(e) whether Government propose to take over those mills and start ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) to (e). According to the information available with the Government, one mill employing about 2504 workers is lying closed in Hathras since 8th August, 1968, on account of disconnection of power supply. The case of this mill is being looked into, in consultation with the State Government. There are two other closed mills which have been considered fit to be scrapped.

### बिना टिकट यात्रा

89. **श्री मधु लिमये :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1968 तक की अवधि में भारतीय रेलों पर कितने व्यक्तियों को अवैध रूप से यात्रा करने के अपराध में पकड़ा गया ;

(ख) जुर्माने के रूप में उनसे कितनी राशि प्राप्त की गयी ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को जेल भेजा गया ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) 81,17,796.

(ख) 60,53,645 रुपये ।

(ग) 79,254.

### राज्य व्यापार निगम के द्वारा नेपाल से आयात

90. **श्री मधु लिमये : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है जिसमें नेपाल से भारत में कृत्रिम कपड़े तथा स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम द्वारा किया जाये जिससे किसी अन्य देश के कच्चे माल से बनी हुई नेपाली वस्तुओं को भारतीय मंडियों में अनधिकृत रूप से अत्यधिक मात्रा में आने से रोका जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री ( चौधरी राम सेवक )** : (क) जी, हां ।

(ख) श्री बली राम भगत के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा काठमांडू में की गई बातचीत के फलस्वरूप नेपाल सरकार संश्लिष्ट धागा-वस्त्रों तथा अविकारी इस्पात से निर्मित वस्तुओं के निर्यात को 1967-68 के स्तर पर सीमित करने तथा इसके अतिरिक्त 1967-68 के स्तर पर ही इन मदों के उत्पादन के लिए विदेशी मुद्रा के आवंटन को भी सीमित करने के लिए सहमत हो गई है । नेपाली सरकार द्वारा किये गये उपायों की कारगरता की समीक्षा अन्तः-सरकारी संयुक्त समिति की आगामी बैठक में की जायेगी और यदि आवश्यक समझा गया तो आयातों को एक उपयुक्त अभिकरण के माध्यम से ही करने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा ।

### मैसर्स कूपर एलेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

91. **श्री स० मो० बनर्जी** :
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :
**श्री चेंगलराया नायडू** :
**श्री श्रीचन्द गोयल** :
**श्री रा० कृ० सिंह** :
**श्री मृत्युंजय प्रसाद** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है सरकार ने कानपुर के मैसर्स कूपर एलेन एण्ड कम्पनी लिमिटेड,

जो ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का एक एकक है, को अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे एक विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा अथवा एक निगम द्वारा ; और

(ग) क्या बजोरिया के शेयरों को सरकार ने खरीद लिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) सरकार ने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर के कूपर एलन और नोर्थ वेस्ट टेनरी यूनिटों को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है। इन एककों (यूनिटों) को शीघ्र ही अधिकार में ले लिया जायेगा।

(ख) दोनों एककों के प्रबन्ध के लिए सरकारी क्षेत्र में एक प्राइवेट कम्पनी का गठन किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

### राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने नियंत्रण में ली गयी कपड़ा मिलें

92. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कपड़ा निगम ने कितनी कपड़ा मिलें अपने नियंत्रण में ली हैं ?

(ख) उनमें से कितनी मिलों ने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) सरकार ने ऐसी मिलों को स्थायी रूप से अपने नियंत्रण में लेने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) कोई नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

### न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर का नियंत्रण अपने हाथ में लेना

93. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कपड़ा निगम ने कानपुर की न्यू विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड को अपने नियन्त्रण में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्राधिकृत नियन्त्रक को नियुक्त करने का प्रश्न राज्य सरकार के परामर्श से विचाराधीन है। प्राधिकृत नियन्त्रक के नियुक्त हो जाने पर मिल को फिर चालू करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

**रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उत्पादन**

94. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में उसकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसके कार्य में सुधार के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पन्त) :** (क) और (ख). हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची, में तीन कारखाने हैं जिनके नाम हैं—हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, फौंडरी फोर्ज प्लांट और मशीन टूल्स प्लांट। ये कारखानें उत्पादन कर रहे हैं और इन कारखानों के उत्पादन और उत्पादन-क्षमता को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। चूंकि इस प्रकार के भारी इंजीनियरी उद्यमों का गर्भधारणकाल काफी लम्बा होता है, ऐसी आशा है कि ये कारखानें आगामी कुछ वर्षों में ही निर्धारित क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। इन तीनों कारखानों का वर्ष 1967-68 और 1968-69 का उत्पादन इस प्रकार है :

| | 1967-68 | 1968-69 (**अप्रैल-जनवरी,** 1969) |
|---|---|---|
| (i) हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट | 14611 टन | 19472 टन |
| (ii) फौंडरी फोर्ज प्लांट | 9003 टन | 13392 टन |
| (iii) हैवी मशीन टूल्स प्लांट | 15 मशीनें | 5 मशीनें |

(ग) इन कारखानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने और इनकी उत्पादन की गति को यथा सम्भव तीव्र करने के लिये समय-समय पर कई उपाय किये गये हैं और इन पर सतत ध्यान दिया जाता है। फौंडरी फोर्ज प्लांट और दूसरे दो कारखानों में घनिष्ट सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में एक निदेशक समन्वय नियुक्त किया गया है। उत्पादन-आयोजन इकाइयों को भी सशक्त बनाया गया है और ऐसी आशा है कि भविष्य में परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने के लिये विशेषतः करने वाले काम का और हैवी मशीनों के

कार्यों के प्रशिक्षण पर बल देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। प्रोत्साहन योजनायें उत्तरोत्तर लागू की जा रही हैं और कुछ निर्माणशालाओं में लागू की भी जा चुकी हैं। फौंडरी फोर्ज प्लांट को शीघ्र पूरा करने पर विशेष बल दिया गया है और हाल के कुछ महीनों में इस कारखाने से ढली वस्तुओं की सप्लाई में काफी प्रगति हुई है। हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए एक 90 दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। इस काल में फौंडरी फोर्ज प्लांट और हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट्स में विशेष रूप से उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई। इन प्रयत्नों के परिणामस्वरूप, जिन्हें जारी रखा जायेगा तथा और तेज किया जायेगा, हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के उत्पादन तथा इसकी उत्पादनक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने की आशा है।

### नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड

95. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के पास काम न होने की समस्या है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन के विविधिकरण की कोई योजना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा यह कारखाना अपने अधिकार में लेने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख्रुद्दीन अली अहमद)** : (क) तथा (ख) चूंकि कम्पनी के द्वारा निर्मित परम्परागत वस्तुओं की मांग गिर गई है, इसलिए कम्पनी अपने उत्पादन में विविधता लाने का कार्यक्रम प्रारम्भ कर रही है। इसके उत्पादन कार्यक्रम में ये वस्तुएं सम्मिलित हैं : (1) परम्परागत वस्तुएं जो केवल बिकाऊ वस्तुओं तक सीमित हैं (2) नई विकसित वस्तुएं जिनका व्यावसायिक उत्पादन प्रारम्भ किया जा चुका है और (3) प्रतिरक्षा क्रयादेशों से सम्बन्धित वस्तुएं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

### Introduction of a Fast "Workers' Express" Train from Tatanagar to Mughalsarai

96. **Shri Shiv Chandika Prasad:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that hundreds of workers daily travel by train from South Bihar particularly from Tatanagar, Ranchi, Rourkela and Bokaro to North Bihar, U. P. and Punjab and in the absence of fast running trains, several days of their leave are wasted to cover the long journey ; and

(b) if so, whether Government propose to introduce a fast "Workers' Express" from Tatanagar to Mughalsarai and back for the time being and attach separate bogies for Samastipur, Patna, Lucknow, Amritsar and Delhi with this train so that these bogies could be detached conveniently at Gaya for Patna and Samastipur and at Mughalsarai for Lucknow, Amritsar and Delhi and then attached with the connecting passenger and mail trains so that minimum time of these workers is spent on journey to their place of work?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) and (b). By and large, the existing travel arrangements by way of direct fast trains between Tatanagar/Ranchi and Patna with connected services from/to Rourkela on the one hand and stations in U. P., North Bihar and Punjab on the other plus the facility of through service coaches running between Tatanagar/Ranchi and Delhi and between Tatanagar and Samastipur have been found to cater satisfactorily to the requirements of the existing level of traffic moving on these routes. Apart from the question of traffic justification, introduction of a train between Tatanagar and Mughalsarai is also not feasible owing to paucity of requisite resources, viz. line capacity enroute, rolling stock etc.

## भारी इंजीनियरी निगम में वेतनमानों का संशोधन

97. **श्री सत्यनारायण सिंह : श्री पी० राममूर्ति :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री उमानाथ :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इन्जीनियरी निगम रांची ने श्रेणी एक के 400-950 रुपये के वेतनमान का संशोधन करके इसे 400-570 द० रो०—700-1100 रुपये कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन सभी व्यक्तियों को संशोधित वेतनमान दे दिया गया है जो 400-950 रुपये के वेतनमान में थे ;

(ग) यदि नहीं, तो किनको संशोधित वेतनमान नहीं दिया गया है ; और

(घ) इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) भारी इंजीनियरी निगम के सहायक अभियंताओं का वेतनमान 1 मई, 1968 से 400-950 रुपये से बढ़ाकर 400-1100 रुपये कर दिया गया था।

(ख) और (ग) चूंकि निगम ने केवल सहायक अभियंताओं के वेतनमान में ही संशोधन किया है, 400-950 रुपये के वेतनमान में दूसरे कर्मचारियों को 400-1100 रुपये का बढ़ाया हुआ वेतनमान नहीं दिया गया है।

(घ) कोई भेदभाव नहीं बर्ता गया है। प्रबन्धक वर्ग ने केवल सहायक अभियंताओं की शिकायतों की जांच करने के लिये ही एक समिति बनाई थी और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही वेतनमान में संशोधन किया गया था।

## एशियाई देशों के व्यापार मंत्रियों का सम्मेलन

98. **श्री गार्डिलिंगन गौड :**

**श्री अदिचन :**

क्या **विदेशी व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह तृतीय एशियाई व्यापार मंत्री सम्मेलन में भारतीय शिष्ट-मण्डल का नेतृत्व करने के लिये दिसम्बर, 1968 में बैंकाक गये थे ;

(ख) यदि हां, तो शिष्टमण्डल के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) सम्मेलन में किन विषयों पर विचार किया गया और उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ङ) क्या कोई व्यापार समझौता किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ?

**विदेशी व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :

1. श्री के० बी० लाल, सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
2. श्री के० आर० नारायणन्, राजदूत, भारत का राजदूतावास, बैंकाक।
3. श्री बी० डी० जयाल, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
4. श्री के० आर० पी० सिंह, संयुक्त सचिव, वैदेशिक कार्य मंत्रालय।
5. श्री जे० एल० मल्होत्रा, इकाफे में भारत के परामर्शदाता तथा स्थायी प्रतिनिधि/भारत का राजदूतावास, बैंकाक।
6. श्री के० जी० वैद्य, निदेशक, वाणिज्य मंत्रालय।
7. श्री ए० एस० सेठी, अवर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय।
8. श्री के० एस० रामनाथन्, वाणिज्य मंत्रालय के साथ संलग्न सूचना अधिकारी।

(ग) सम्मेलन ने पहले तथा दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों की सिफारिश की समीक्षा की, चुने हुए क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिये कार्यवाही के कार्यक्रम पर विचार किया तथा एशिया में क्षेत्रीय समेकित विकास नीति पर बातचीत की।

सम्मेलन की अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि समेकित क्षेत्रीय सहयोग की नीति पर एक संकल्प को स्वीकार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय अधिमान, निवेश, परिवहन और संचार आदि सहित व्यापार के क्षेत्र में आर्थिक सहयोग के विशिष्ट कार्यक्रमों तथा प्रायोजनाओं को अपनाने तथा लागू करने के लिए इकाफे के मंत्रियों की एक परिषद की स्थापना करने का विनिश्चय किया गया।

(घ) भारत सरकार इस विनिश्चय का स्वागत करती है और मंत्रियों की परिषद में अपना सम्यक् योगदान देने का उसका इरादा है।

(ङ) तथा (च): जी हां। 13 दिसम्बर, 1968 को थाईलैंड के साथ एक व्यापार करार किया गया। इससे भारत-थाईलैंड के साथ व्यापार के विस्तार में सहायता मिलने की सम्भावना है।

## बंगलौर में दूसरी औद्योगिक बस्ती

99. **श्री गार्डिलिंगन गौड़**: क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने बंगलौर में बाहरी क्षेत्र में दूसरी औद्योगिक बस्ती स्थापित करने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस्ती में स्थान लेने के इच्छुक उपक्रमियों के 85 से अधिक प्रार्थनापत्र पिछले कई वर्षों से सरकार के पास निलम्बित हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

## भारतीय मानक संस्था के निदेशक

100. **श्री गार्डिलिंगन गौड : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय मानक संस्था के निदेशक द्वारा 3 जनवरी, 1969 से नई दिल्ली में दिये गये 'मानकीकरण तथा जनसाधारण' सम्बन्धी भाषण की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने पुस्तकों तथा कागजों के बारे में कुछ मानक स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) भारतीय मानक संस्था के निदेशक द्वारा दिये गये सुझावों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) जी, नहीं।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

**अंगोरा ऊन का आयात**

101. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अंगोरा ऊन का आयात बन्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा बचने की सम्भावना है ;

(ग) क्या देश में उत्पादन बढ़ाकर अंगोरा ऊन की मांग पूरी करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमन्त्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी हां।

(ख) 1966-67 में अंगोरा ऊन के आयात के लिये 88,000 रु० का एक आयात लाइसेन्स दिया गया था। इसका आयात बन्द करने से प्रति वर्ष लगभग इसी परिमाण में विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है।

(ग) तथा (घ). इस समय कुल्लू में एक अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म है। जनवरी, 1969 में कृषि विभाग द्वारा एक अन्य फार्म की स्थापना की मंजूरी दी गयी है। देश में अंगोरा ऊन के उत्पादन को बढ़ाने के अन्य उपाय भी विचाराधीन हैं। देश में अंगोरा ऊन का विद्यमान उत्पादन इस ऊन की वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

**दण्डकारण्य तथा सम्बलपुर-बोलनगिर क्षेत्रों का सर्वेक्षण**

102. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशुद्ध धातु निक्षेपों का पता लगाने के लिये सोवियत संघ की सहायता से दण्डकारण्य तथा सम्बलपुर-बोलनगिर क्षेत्रों का चुम्बकत्वमापीय सर्वेक्षण शुरू करने के लिये कोई प्रबन्ध किये हैं ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन):** (क) से (ग). रूस की सहायता से दंडकारण्य और संभलपुर-बोलनगिर क्षेत्रों का वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण करने के लिये बातचीत अभी भी चल रही है।

**चाय, पटसन, कपास तथा लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्कों में कमी करने से हानि**

103. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय, पटसन, कपास तथा लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्कों में कमी किये जाने के फलस्वरूप सरकार को अब तक कितनी हानि हुई है ; और

(ख) निर्यात शुल्कों में कमी के फलस्वरूप चाय, पटसन, कपास तथा लौह अयस्क के निर्यात से आय में अब तक कितनी वृद्धि हुई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**खुरदा डिवीजन में कर्मचारी लाभार्थ निधि**

104. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्वी रेलवे में खुरदा डिवीजन में 1968-69 में बच्चों तथा कर्मचारियों की शिक्षा के लिये कर्मचारी लाभार्थ निधि से कितनी राशि उपलब्ध होगी ;

(ख) उसके लिये प्रार्थियों की संख्या कितनी है ;

(ग) इस निधि से कितने बच्चों तथा कर्मचारियों को लाभ हुआ ; और

(घ) इस निधि से पर्याप्त धन क्यों उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ताकि अधिक संख्या में विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को लाभ पहुंच सके ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) से (घ). दक्षिण-पूर्व रेलवे से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मशीन निर्माण उद्योग में बेकार क्षमता**

105. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अन्दर बनी मशीनों के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि

से कर में राहत देने की योजना से सूती कपड़ा, सीमेंट तथा चीनी उद्योगों को लाभ होगा ;

(ख) देश में इन मशीनों के निर्माण उद्योगों में बेकार क्षमता कितनी है ; और

(ग) इन उद्योगों के लिये ऐसी मशीनरी तथा फालतू पुर्जों के आयात पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**Removal of Fish-plates between Chakia and Pipra Stations (N. E. Rly.)**

106. **Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that fish-plates of Railway lines between Chakia and Pipra Stations in the Muzaffarpur-Narkatiaganj Section of the North Eastern Railway were removed on the 6th January, 1969 ;

(b) if so, whether any accident took place as a result thereof ; and

(c) the action taken to apprehend the offender and award him punishment ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Yes.

(b) No.

(c) Government Railway Police, Sagauli registered the case on 7-1-1969 u/s 126 of the Indian Railways Act which is under investigation.

**विदेश व्यापार के आंकड़े**

107. **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश व्यापार सम्बन्धी आंकड़े प्राप्त करने तथा उन्हें तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब होता है जिसके कारण सरकार द्वारा नीति बनाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब दूर करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). भारत में वैदेशिक व्यापार के आंकड़े संकलित करने में जो समयान्तर होता है वह युक्ति-युक्त ही है और सरकार द्वारा नीति बनाए जाने पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । फिर भी, इसमें सुधार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

### छोटी लाइन के इंजन

108. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी लाइन के इंजनों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इनका आयात करने का विचार है ;

(ग) अगले दो वर्षों में ऐसे कितने इंजनों की आवश्यकता होगी ; और

(घ) क्या अगले दो वर्षों में छोटी लाइन सेक्शनों पर भाप के इंजनों के स्थान पर डीजल तथा विद्युत इंजनों का प्रयोग करने का कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां। चितरंजन रेल इंजन कारखाने में छोटी लाइन के डीजल रेल इंजनों के निर्माण की एक योजना है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) और (घ). एक योजना बनाई गयी है जिसके अनुसार 1969-70 से 1973-74 के पांच वर्षों की अवधि में चितरंजन इंजन कारखाने में निर्माण करके छोटी लाइन खंडों पर बदलाव के रूप में 10 छोटी लाइन डीजल रेल इंजनों की व्यवस्था की जायेगी।

### भारत मलेशिया औद्योगिक उपक्रम

109. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :
**डा० कर्णी सिंह** :
**श्री नारायण स्वरूप शर्मा** :
**श्री रामस्वरूप विद्यार्थी** :
**कुमारी कमला कुमारी** :
**श्री ओम प्रकाश त्यागी** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 नवम्बर से 16 नवम्बर, 1968 तक मलेशिया की यात्रा करने वाले भारतीय औद्योगिक प्रतिनिधिमण्डल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हमने सत्रह विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त भारत-मलेशिया औद्योगिक उपक्रमों का सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). यह एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमण्डल था। इसकी रिपोर्ट संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

## हीरों का निर्यात

110. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में कटे और पालिस हुए हीरों के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ;

(ख) इन्हीं वर्षों में कच्चे हीरों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ; और

(ग) क्या हीरों के उत्पादन तथा निर्यात को और बढाने के लिए, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का विचार, देश के अन्य क्षेत्रों में अपने खनन कार्य को बढ़ाने का है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) तथा (ख). विगत तीन वर्षों में तैयार हीरों का निर्यात और तराशे हुए हीरों का आयात निम्नोक्त था :

| | लाख रु० | लाख रु० |
|---|---|---|
| 1965-66 | 745 | 31 |
| 1966-67 | 1124 | 142 |
| 1967-68 | 1572 | 441 |

(ग) जी हां ।

### Accumulation of Coal in Dhanbad, Jharia and Asansol

111. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri S. K. Tapuriah :**
**Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether considerable quantity of coal has accumulated in Dhanbad, Jharia and Asansol ;

(b) whether it has accumulated because of non-availability of Railway wagons or due to some other causes ; and

(c) the measures being adopted to improve the situation in this regard ?

**The Minister of Petro-Chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen)**: (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

### Export Promotion Programme

112. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether Government propose to adopt some new measures to promote export trade ;

(b) whether some prominent countries have laid down some conditions therefor ;

(c) if so, the extent to which Government are in agreement with those conditions ; and

(d) whether some new markets have been explored for promoting the export trade ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) A list of measures taken by Government to promote export trade is being laid on the Table of the House in reply to Unstarred Question No. 182 due for answer in the Lok Sabha on 18-2-1969.

(b) and (c). Apart from agreements with certain countries on specific commodities, India's export trade is governed by policies formulated by the Government of India and not by conditions laid down by other countries.

(d) The search for new markets for promoting our export trade is a continuing process.

### Railway Accident Enquiry Committee's Report

113. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri D. C. Sharma :**
**Shri Beni Shanker Sharma :**
**Shri Ranjit Singh :**
**Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken some new decisions on the basis of the Report of the Railway Accidents Enquiry Committee ;

(b) the persons mainly held responsible for the accidents in the report ; and

(c) whether some new scientific measures are also being considered to check the accidents ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) to (c). The report of the Railway Accidents Enquiry Committee has already been placed on the Table of the House and the views of the Government on the various recommendations made by the Committee will also be placed on the Table of the House shortly.

### रेलवे पटरियों का टूटना

114. **श्रीमती इला पाल चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल में अक्तूबर, 1968 के आरम्भ में भारी बाढ़ तथा भूमि स्खलन के कारण रेलवे पटरियों के टूट जाने से दार्जिलिंग-हिमालय रेलवे का चलना बन्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चूंकि दार्जिलिंग-हिमालय रेलवे को पूर्णतया समाप्त करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, इसीलिये टूटी हुई रेलवे पटरियों की मरम्मत नहीं की गई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त रेलवे के बन्द पड़े कार्य को अब तक पुनः आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चूंकि सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग छोटी लाइन खण्ड पर यातायात बहुत सीमित है और पिछली बाढ़ों में इस लाइन को भारी क्षति पहुंची है, इसलिए इस बात की जांच की जा रही है कि इस खण्ड को किस ढंग से पुनःस्थापित किया जाय ताकि जब इसे फिर से चालू किया जाये तो पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से यह एक आदर्श लाइन बन सके । यह जांच पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है ।

**गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों का तकनीकी विकास के महानिदेशक की सूची पर स्थानान्तरण**

115. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1967 तथा 1968 के दौरान भारत सरकार के तकनीकी विकास के महानिदेशक की सूची के कई गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों को उन राज्यों की सूची में स्थानान्तरित कर दिया गया है जहां ये संस्थान स्थित थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार राज्यवार स्थानान्तरित उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ग) प्रत्येक के बारे में स्थानान्तरण करने के आधार अथवा कारण क्या है ;

(घ) इन स्थानान्तरणों के विरुद्ध अपील और अथवा विरोध प्रकट करने वाले औद्योगिक संस्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) केन्द्रीय सूची में बाद में पुनः सम्मिलित किये जाने वाले, तथा जिन संस्थानों के बारे में अभी विचार किया जा रहा है, उनके नाम क्या हैं ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ङ). 1966 में लघु उद्योगों की परिभाषा का पुनरीक्षण किये जाने के परिणामस्वरूप ऐसे सभी औद्योगिक एकक जिनका संयंत्रों तथा मशीनों (भूमि तथा इमारत को छोड़कर) पर पूंजीगत विनियोजन 7.50 लाख रुपये तक था, लघु उद्योगों में सम्मिलित कर लिए गए थे । 1967-68 में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले ऐसे लगभग 1500 औद्योगिक एककों को संबंधित राज्यों के उद्योग निदेशकों को हस्तान्तरित कर दिया गया । इन एककों के हस्तान्तरण की कार्यवाही उन एककों द्वारा प्रस्तुत पूंजीगत विनियोजन के आंकड़ों के आधार पर ही की गई थी । कुछ एककों ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिए हैं और कहा है कि उनका पूंजीगत विनियोजन वस्तुतः 7.5 लाख रुपये से अधिक है । इसलिए अप्रैल, 1968 में यह निश्चय किया गया था कि जो एकक अपने चार्टर्ड-एकाउन्टेन्ट से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि

उनका पूंजीगत विनियोजन 7.5 लाख रुपये से अधिक है और ऐसे प्रमाण-पत्र की संबंधित राज्य का उद्योग निदेशक समर्थन कर दे तो उन एककों को पुनः औद्योगिक विकास के महानिदेशालय की केन्द्रीय सूची में रखने पर प्रत्येक मामले में उसके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाये। इस प्रकार के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप कुछ एककों को तकनीकी विकास के महा-निदेशालय की सूची में पुनः रख लिया गया है और ऐसे अन्य कई एककों के मामले अभी विचाराधीन हैं।

**आर्ट सिल्क वीविंग उद्योग**

116. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्ट सिल्क वीविंग उद्योग ने विस्कोस-फिलामैन्ट अथवा रेयन यार्न उचित लाभप्रद (इकानामिक) मूल्यों पर प्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में सरकार को अभ्यावेदन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) तथा (ख). जी, हां। उद्योग ने, कुछ कत्तिनों की एकाधिकार प्रवृतियों के विरुद्ध, जिन्होंने विस्कोस फिलामैंट यार्न के मूल्यों को बढ़ा दिया है, अभ्यावेदन दिया है। उद्योग ने सरकार को कहा है कि वह सीधे उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर यार्न के समान वितरण की व्यवस्था करे।

(ग) टैरिफ आयोग को, जो पहले ही मानव-निर्मित रेशा उद्योग के लागत ढांचे की जांच कर रहा है, विस्कोस फिलामैंट यार्न के मूल्यों के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है। उपर्युक्त प्रतिवेदन की प्राप्ति पर कोई सुधारोपाय आवश्यक हुए तो उन पर विचार किया जायेगा।

**औद्योगिक लाइसेन्सों का जारी किया जाना**

117. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेन्स जारी करते समय सरकार किसी लाइसेंस में उत्पादन की क्षमता का भी उल्लेख करती है और यदि हां, तो क्या यह क्षमता केवल उल्लेख के लिये ही होती है अथवा क्या इसका यह अर्थ है कि लाइसेन्सधारी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन नहीं कर सकता;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि उसका विचार लाइसेन्स प्राप्त

क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाले औद्योगिक एककों से स्पष्टीकरण मांगने का है, और यदि हां, तो इसका क्या ब्योरा है तथा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले भी सरकार ने लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन होने पर भी अधिक उत्पादन को बढ़ावा दिया है यदि उसमें अधिक विदेशी मुद्रा का खर्च न हो ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जारी किये गए लाइसेन्सों के लिए एक शर्त यह है कि भारत सरकार की पूर्वानुमति के अतिरिक्त किसी भी औद्योगिक उपक्रम की क्षमता लाइसेन्स में उल्लिखित क्षमता से काफी अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिनियम की धारा 13 (1) (घ) के अनुसार भी किसी भी औद्योगिक उपक्रम का स्वामी सरकार द्वारा उसकी और से जारी किये गए लाइसेन्स के अतिरिक्त स्वीकृत/पंजीयित औद्योगिक उपक्रम का पर्याप्त विस्तार नहीं करेगा। फिर भी, उत्पादन बढ़ाने तथा स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किये जाने की दृष्टि से सरकार ने जहां कहीं आवश्यक समझा समय-समय पर लाइसेन्स कार्य विधियों में कुछ छूट दी है। इसके अनुसार औद्योगिक उपक्रमों को उनकी लाइसेन्स प्राप्त पंजीयित क्षमता से 25 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि करने की स्वतन्त्रता दे दी है बशर्ते कि (देश में निर्मित छोटे संतुलन उपकरणों को छोड़कर) कोई भी अतिरिक्त संयंत्र और उपकरण नहीं लगाया जाता और कुछ भी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की जाती।

(ख) ऐसे औद्योगिक उपक्रमों जो अपनी लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से कहीं अधिक क्षमता उत्पन्न करते जा रहे हैं विशेषकर उन मामलों में जिनमें पर्याप्त संख्या में आयातित उपकरण लगाये जा चुके हैं अथवा जिनमें यह विस्तार आयातित कच्चे माल पर किया गया है, के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाई पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन दिया है भले ही वह लाइसेन्स प्राप्त क्षमता से अधिक हो किन्तु केवल वहीं तक कि जिसमें अधिक विदेशी मुद्रा न व्यय हो। किन्तु यह छूट औद्योगिक उपक्रमों में और अधिक संयंत्र और मशीनें लगाकर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए तब तक लागू नहीं होती जब तक कि विस्तार के लिए पहले लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया गया हो।

### विदेशी विशेषज्ञ

118. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

**श्री अचिन्त :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सर नार्मन किपींग के नेतृत्व में ब्रिटिश उद्योग

महासंघ का एक शिष्टमंडल भारत आया था और उसने सरकार के साथ, विशेषकर विदेशी विशेषज्ञ प्राप्त करने के मामले में सरकार के नवीनतम विचारों के बारे में बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो भारत में यह शिष्टमंडल किस तारीख को आया था और उस शिष्ट-मंडल के सदस्यों के नाम क्या थे और किन-किन मंत्रियों ने बातचीत में भाग लिया था;

(ग) क्या इस शिष्टमंडल ने गैर-सरकारी निकायों के साथ बातचीत की थी;

(घ) विदेशी विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के बारे में शिष्टमंडल की क्या प्रतिक्रिया है और क्या शिष्टमंडल के दौरे से सरकार के विचारों में परिवर्तन आया है;

(ङ) क्या किसी अन्य देश ने विदेशी विशेषज्ञों के बारे में उसके विचार पर कोई टिप्पणी अथवा सुझाव अथवा आलोचना की है; और

(च) शिष्टमंडल की टिप्पणियों का सार क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) जी, हां।

(ख), (घ) तथा (च). भारत सरकार तथा शिष्टमंडल के बीच हुई चर्चा के विषयों का ब्योरा सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 13/69**]

(ग) शिष्टमंडल ने "भारत में विदेशी विनियोजन" विचार गोष्ठी में भी भाग लिया। इस गोष्ठी का आयोजन इन्टरनेशनल चेम्बर्स आफ कामर्स की भारत की राष्ट्रीय समिति तथा भारतीय विनियोजन केन्द्र ने संयुक्तरूप से किया था। सरकार को शिष्टमंडल द्वारा इस गोष्ठी के अतिरिक्त किसी गैर-सरकारी संगठन से किए गए विचार-विमर्श के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

## हड़ताल में भाग लेने वाले रेलवे कर्मचारियों की रिहाई

119. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री बृजभूषण लाल :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री ओंकार सिंह :**
**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री सूरजभान :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन रेलवे कर्मचारियों को, जिनकी 19 सितम्बर,

1968 की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के लिये मुअत्तिल किया गया था अथवा मुकदमा चलाया जा रहा था, रिहा करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह रिहाई आदेश मुअत्तिल हुए अथवा जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है ;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितने कर्मचारियों को रिहा नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी नरमी बरतने तथा शीघ्र अनुकूल निर्णय करने का है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जिन रेल कर्मचारियों पर अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश/अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अथवा अन्य किसी कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा रहा है उनकी रिहाई के सम्बन्ध में कोई हिदायत जारी नहीं की गई है। लेकिन यह हिदायत दी गयी है कि जो कर्मचारी केवल अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अध्यादेश/अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत दोषी पाये गये हैं, उनको आगे कोई और सजा देने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके की उनकी अनुपस्थिति को सेवा भंग माना जाये। जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई हैं तथा जिनको इसी तरह केवल 19 सितम्बर 1968 को अनुपस्थित रहने के कारण मुअत्तल या बर्खास्त किया गया है, उनके साथ नर्मी बरती जानी है और उन्हें, उनकी सेवा भंग करके पुनः ड्यूटी पर लिया जा रहा है।

(ख) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, इसमें निर्दिष्ट हिदायत केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होती है जो 19 सितम्बर, 1968 को केवल काम से अनुपस्थित थे। ये हिदायतें उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होतीं जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को काम पर अनुपस्थित रहने के साथ-साथ अन्य अपराध किये थे।

(ग) 4068 कर्मचारियों को अभी तक वापस काम पर नहीं लिया गया है।

(घ) चूंकि भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित हिदायतों के अनुसार मामलों की अलग-अलग समीक्षा की गयी है यथासमय कुछ और कर्मचारियों के ड्यूटी पर लिये जाने की सम्भावना है।

## परियोजनाओं में सुधार करने हेतु रूसी प्रतिनिधिमण्डल

120. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :** **श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री रणजीत सिंह :** **श्री गार्डिलिंगन गौड :**
**श्री ब्रज भूषण लाल :** **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**
**श्री राम गोपाल शालवाले :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री स्केचकोव के नेतृत्व में एक रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने हाल

ही में भारत का दौरा किया था तथा रूसी सहायता-प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं के संचालन में सुधार करने के बारे में विभिन्न मंत्रालयों से विचार विमर्श किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का सारांश क्या है और इन परियोजनाओं में सुधार करने के लिए रूसी प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य रूप से क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्य सुझावों के साथ-साथ एक सुझाव यह भी था कि इन परियोजनाओं के पूंजी-ढांचों में आधारभूत परिवर्तन और संशोधन किया जाये ; और

(घ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन तथा हरिद्वार हैवी इलैक्ट्रिकल्स प्रोजैक्ट सहित विभिन्न एककों की क्षमताओं के कम उपयोग के बारे में सुधार करने हेतु किन विशिष्ट प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). इन प्रायोजनाओं से सम्बन्धित कई बातों पर विचार-विमर्श किया गया था। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कारखाना विशेष से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट मामलों, जिनमें उनके पूंजी ढांचे का पुनरीक्षण भी शामिल था, इन कारख़ानों को मिलने वाले आर्डरों, इनकी पूर्ण क्षमता के उपयोग के लिए उपायों संबंधी बातें और इसके साथ-साथ इन कारखानों के उत्पादन और इनकी उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि करने की बातें शामिल थीं। 19 दिसम्बर, 1968 को लोक-सभा में एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें सोवियत प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बातचीत का स्वरूप और किये गये निर्णयों के बारे में बताया गया था।

(घ) धातु कार्मिक, खनन और भारी विद्युत उपकरणों के लिए आगामी कुछ वर्षों की संभावी आदेश स्थिति के संदर्भ में इन कारखानों की पूर्ण क्षमता के उपयोग के बारे में विस्तार से बातचीत हुई थी। परन्तु इस बारे में पूरा चित्र चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिमरूप दिये जाने के पश्चात ही सामने आयेगा। फिर भी यह बात स्पष्ट हो गई कि उत्पादन करों में बहुत हद तक विभिन्नकरण करने की आवश्यकता होगी विशेषतः माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन तथा हरिद्वार स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल प्रोजेक्ट के उत्पादन का इस सम्बन्ध में विशेष दल ब्योरे तैयार करेंगे।

## राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सलाहकार समिति

121. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री प० मु० सईद :**
**श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम की सलाहकार समिति ने देश के विभिन्न भागों में स्थित

40 कपड़ा मिलों को, जो बन्द हो जाने वाली हैं, पुनः चालू करने के बारे में हाल ही में मोटे तौर से क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) क्या इन सिफारिशों पर उचित रूप में विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों में से किन सिफारिशों को स्वीकार अथवा कार्यान्वित किया गया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 14/69]

(ख) तथा (ग). सूती कपड़ा उद्योग को राहत देने के लिये इन तथा अन्य उपायों पर सरकार विचार करती रही है और यथाशक्य कार्यवाही की जाती रही है ।

### बोकारो इस्पात कारखाना

122. **श्री रा० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण को समय पर पूरा करने के लिये अत्यावश्यक उपकरणों की समय पर सप्लाई के बारे में भारत और सोवियत संघ के बीच एक समझौता हुआ है ;

(ख) क्या सरकार दो मुख्य बातों में सोवियत संघ से निश्चित वचन लेने में असफल रही है ;

(ग) यदि हां, तो किन बातों पर समझौता नहीं हो सका ; और

(घ) असफलता के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत):** (क) सोवियत शिष्ट मंडल, जिसके नेता सोवियत संघ के विदेशी आर्थिक संबंध की मंत्रिपरिषद की राजकीय समिति के अध्यक्ष श्री एस० ए० स्काचकोव थे, की भारतीय यात्रा की समाप्ति पर इस देश में सोवियत ऋण से लगाये गये कुछ कारखानों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में दोनों सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। इस समझौते का एक परिच्छेद बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के लिए कुछ अतिरिक्त उपकरणों के संभरण की यथा शीघ्र संपूर्ति के बारे में था ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते।

## इस्पात संबंधी सौदों के बारे में सरकार समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करना

123. **श्री रा० बरुआ :** **श्री क० लकप्पा :**
**श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री ए० श्रीधरन :** **डा० सुशीला नैयर :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समिति की सिफारिशों को, जिसने इस्पात के कुछ सौदों की जांच की थी, क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जिम्मेदार पाये गये कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया है ;

(ग) उनको क्या दण्ड दिया गया है ;

(घ) क्या सतर्कता आयोग को सौंपे गये अन्य अधिकारियों के विरुद्ध लगे आरोपों पर टिप्पणियां मिल गयी हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग का उनके बारे में क्या विचार है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) से (ङ). भारत सरकार इस्पात, खान और धातु मंत्रालय के तारीख 10 मई, 1968 के संकल्प संख्या एस० सी० II-14 (3) / 68 द्वारा सरकार समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। संगत सेवा नियम और विनियम के अनुसार तथा जहां कहीं आवश्यक है केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्हें लापरवाही और कोताही के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, विभागीय कार्यवाही की जा रही है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजे गये सभी मामले वापिस आ गये हैं। दो अफसरों (सर्वश्री बी० सी० माथुर और सी० ए० नायर) के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सिफारिश की है कि उन्हें चेतावनी देना पर्याप्त होगा, श्री एस० एन० बनर्जी को हल्का दण्ड और श्री एस० बी० बसु को भारी दण्ड देने के लिए कार्यवाही करने की सिफारिश की है। सर्वश्री ए० एस० बाम, एस० सी० मुखर्जी, एस० गुप्ता, जी० एन० सेन गुप्ता और डी० पी० मित्र को भारी दण्ड देने हेतु अनुशासनिक कार्यवाही की गई है। तीन अफसर सर्वश्री एस० भूतलिंगम, वी० डोरेस्वामी और बी० बी० पाठक सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और उनका निवृत्ति वेतन भी पहले ही मंजूर हो चुका है। सिविल सर्विस रेगूलेशन्स के अनुच्छेद 351 ए० और संविधान के अनुच्छेद 314 (जो भारतीय सिविल सेवा के अफसरों पर लागू होता है) के अधीन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। श्री एल० के० बोस सेवा-निवृत्ति हो चुके हैं परन्तु उनका सेवा-निवृत्ति वेतन अभी मंजूर नहीं किया गया है। सेवा-निवृत्ति वेतन में उचित कमी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

### Ticket Collectors at Kanpur Station

124. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3000 on the 5th March, 1968 and state:

(a) whether Government are aware that the Ticket Collectors have not so far been posted against their respective posts but are forced to work in the booking and enquiry offices of the Kanpur Railway Station; and

(b) the reasons for which the responsibility has not so far been fixed for this irregularity on the officer concerned and punishment awarded to him?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

### Ticket Collectors with Headquarters at Kanpur Central Station

125. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the Ticket Collectors with Headquarters at Kanpur Central working in the TTE Squad are cheating Government by escorting the ticketless travellers to their destination and keeping their fare with themselves;

(b) whether it is a fact that the head of this squad is an employee against whom proceedings were conducted for several years in regard to such cases;

(c) the reasons for not sending him back to his original post of Ticket Collector; and

(d) whether Government propose to conduct a secret enquiry in this regard?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) No.

(b) He figured in a case in the year 1960 which related to his having allegedly carried three passengers without ticket after accepting fare from them. While departmental proceedings against him were being processed, the same matter came up in the Court of Law, which ultimately acquitted him. His services were subsequently terminated by the Railway Administration in 1962, but he was reinstated in 1964 following a judgement of the Supreme Court.

(c) and (d). The head of the squad is substantive holder of the post of Ticket Collector in grade I in scale Rs. 150-240 and is working as such. There are at present no complaints against his working, but action is being taken to keep a watch on him.

### T. T. E. Squad

126. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that nepotism and corrupt practices are adopted in the matter of deputing Ticket Collectors for working in the TTE Squad in Allahabad Division of the Northern Railway;

(b) the details regarding the Income return submitted so far by the employees who have been working in the said squad for the last one year; and

(c) whether only those Ticket Collectors are deputed to work in the said squad who realise maximum amount of money ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) No such complaint has come to notice.

(b) Information will be laid on the Table of the House.

(c) Ticket Collectors are deputed to work in Squads on the basis of suitability.

### Stopping by a T. T. E. of 11 UP Delhi Express Train at Etawah

127. **Shri Arjun Singh Bhadoria:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a T. T. E. had unnecessarily stopped 11 UP Delhi Express train at Etawah Station on the 2nd December, 1968 by pulling the chain;

(b) whether Government are aware that the said employee had pulled the chain simply because he wanted to board the train after beating the Ticket Collectors of the station at the platform; and

(c) the punishment given to the employee who was guilty of stopping the train by pulling the chain ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) and (b). 11 UP Delhi Express was stopped at Etawah Station on 2-12-1968 by pulling the alarm chain after the train started from this station. The person who pulled the alarm chain remained undetected. There was no case of beating of any Ticket Collector of the station at the platform.

(c) The question does not arise.

### गोरखपुर को बड़ी लाइन से मिलाना

128. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर को बड़ी लाइन से मिलाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). भटनी के रास्ते वाराणसी (मडुआडीह) से गोरखपुर और गोंडा के रास्ते बाराबंकी से गोरखपुर मीटर लाइनों को बड़ी लाइन में बदलकर गोरखपुर को बड़ी लाइन से मिलाने (तथा बाराबंकी और गोंडा के बीच एक अतिरिक्त बड़ी लाइन बनाने) का प्रस्ताव विचाराधीन है । इस योजना के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षणों की मंजूरी दी जा चुकी है और काम जारी है । सर्वेक्षण पूरे हो जाने पर और रेलवे बोर्ड द्वारा सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच किये जाने के बाद इन मीटर लाइनों के वास्तविक बदलाव के बारे में विनिश्चय किया जायेगा ।

**आनन्दनगर स्टेशन पर पैदल ऊपरी पुल तथा द्वीप (आइलैंड) प्लेटफार्म**

129. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के आनन्दनगर स्टेशन के लिये एक पैदल ऊपरी पुल तथा द्वीप (आइलैंड) प्लेटफार्म की मंजूरी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) इन कामों का केवल कार्यक्रम बनाया गया था, इनकी मंजूरी नहीं दी गयी थी ।

(ख) यातायात के निम्नस्तर और अर्थोपाय की कठिन स्थिति को देखते हुए, इन कामों का निष्पादन फिलहाल रोक दिया गया है ।

**रूस को काजू का निर्यात**

130. **डा० महादेव प्रसाद** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत किन-किन देशों को काजू का निर्यात करता है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत से सबसे अधिक काजू रूस मंगाता है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस दुर्लभ मुद्रा कमाने के लिए भारत से आयातित काजुओं का दुर्लभ मुद्रा वाले क्षेत्रों को पुनर्निर्यात कर रहा है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 15/69]

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ।

**बोकारो इस्पात कारखाने से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन**

131. **श्री जनार्दनन** :
**श्री इन्द्रजीत गुप्ता** :
**श्री जागेश्वर यादव** :
**श्री रामावतार शास्त्री** :
**डा० रानेन सेन** :
**श्री बृजभूषण लाल** :
**श्री रणजीत सिंह** :
**श्री सूरज भान** :
**श्री रामगोपाल शालवाले** :
**श्री जगन्नाथ राव जोशी** :
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 222 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात कारखाने से सम्बन्धित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और,

(ग) इन पर क्या निर्णय किया गया है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) जी, नहीं । ऐसी संभावना है कि समिति शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

## कृत्रिम रेशम के धागे का वितरण

132. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 के अन्त के महीनों में कृत्रिम रेशम धागे के एकाधिकारी कर्तकों (स्पिनर्स) ने, जिन्होंने मनमाने ढंग से धागे के दाम बढ़ा दिये थे, कृत्रिम कमी उत्पन्न कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप अमृतसर में 65 प्रतिशत एककों को अपना काम बन्द करना पड़ा था ;

(ग) कृत्रिम रेशम धागे के दस सर्वोच्च एकाधिकारी कर्तकों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक को कुल कितना प्रतिशत धागा दिया गया था ;

(घ) क्या छोटे उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार का विचार बुनकर संस्थाओं के माध्यम से सीधे बुनकरों को धागा देने का है जैसा कि ऊन बुनाई तथा शांडी नाई उद्योग के मामले में किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो कब; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) तथा (ख). जी नहीं ।

(ग) विस्कोस तन्तु रेयन धागे के निर्माता कत्तिनों के नाम तथा जनवरी-नवम्बर, 1968 में हुए कुल उत्पादन में उनके भाग निम्नलिखित हैं :

| नाम | कुल उत्पादन में प्र० श० भाग |
|---|---|
| 1. नेशनल रेयन | 24.85 |
| 2. सेंचुरी रेयन | 29.26 |
| 3. केशो राम रेयन | 12.05 |
| 4. साउथ इण्डिया विस्कोस | 8.20 |

| | |
|---|---|
| 5. जे० के० रेयन | 7.33 |
| 6. ट्रावन्कोर रेयन | 4.00 |
| 7. बड़ौदा रेयन | 8.05 |
| 8. इण्डियन रेयन | 6.26 |

(घ) से (च). इस समय विस्कोस रेयन धागे पर कोई सांविधिक वितरण नियंत्रण नहीं है। टैरिफ आयोग रेयन धागा उद्योग के लागत ढांचे की जांच पहले ही कर रहा है। आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात कोई सुधारोपाय आवश्यक हुए तो वे किये जायेंगे।

**Survey of Maharashtra**

133. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Petro-chemical and Mines and Metals** be pleased to state:

(a) whether the Geological survey conducted recently in Maharashtra has indicated the availability of some new metals and minerals; and

(b) if so, the details thereof?

**The Minister of Petro-chemicals and Mines and Metals (Dr. Triguna Sen):** (a) and (b). As a result of survey carried out by the Geological Survey of India recently in Maharashtra, sizeable reserves of bauxite, coal, iron ore, limestone and manganese ore have been recorded. The details of the investigations are as follows:

**Bauxite:** The bauxite deposits in Maharashtra are found in the districts of Thana, Colaba, Satara, Kolhapur and Ratnagiri. Based on the preliminary observations the probable reserves of these deposits are expected to be of the order of 57 million tonnes. Two of these deposits namely (1) Udgiri and (2) Dhangarwadi, Kolhapur districts, were examined in detail by drilling for proving reserves of highgrade bauxite. The estimated reserves are 9 and 15 million tonnes, respectively.

**Coal:** Maharashtra is endowed with fairly large deposits of coal in Kamptee near Nagpur. The collieries near Bandar, Warora, Majri, Chanda, Ghugus and Ballarpur in Wardha Valley in Chanda district and Rajur in Yeotmal district were examined. The reserves of coal in the Wardha Valley area are estimated to be of the order of 1400 million tonnes.

**Iron Ore:** The iron ores of Chanda and Bhandara and Ratnagiri districts were examined by the Geological Survey of India. The deposits in Chanda and Bhandara districts are located near Lohara, Asola, Dewalgaon, Bissi, Pipalgaon, Fuser and Surajgarh These ores are massive and carry between 60 and 65% Fe. Except the deposits at Surajgarh the other occurrences are sporadic and small. The estimated reserves of the deposits near Reddi in Ratnagiri district are of the order of 30 million tonnes to a depth of 40 metres.

**Limestone:** The important deposits are Rajur belt, Gaurala belt and Kurli-Pardi-Parthri belt. The limestone in general are low in magnesium but rather high in silica contents. Recently the Geological Survey of India undertook mapping and sampling of the Naikari-Kusumbi belt in the Chanda district and estimated the reserves of cement grade limestone to be around 100 million tonnes. A few bands of flux grade limestone have also been noticed associated with these limestones.

**Manganese Ore:** Preliminary and detailed investigation of the manganese ore deposits in the Nagpur and Bhandara districts have been carried out. Bhandara deposits are characterised by the large extent of the ore body and are conspicuous near Dongri Buzurg, Bhamasur, Sakardara and Rongha areas. The estimates reserves of the deposits from Bhandara district are over 6 million tonnes. The deposits of the Nagpur district are assessed at 3 million tonnes.

Other mineral deposits of economic significance such as ilmenite, kyanite, wolframite, ochres and Barytes have also been recorded by the Geological Survey of India. Mineral occurrences of barytes, clays, copper, glass sands, gold, mica and steatite-talc have also been recorded in Maharashtra.

**Yeotmal-Ellichpur Railway Line**

134. **Shri Deorao Patil:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the passengers travelling on Yeotmal-Ellichpur via Murtazapur and Pulgaon-Arvi metre gauge Railway (C. P.) have to face lot of difficulties and the journey on this line takes a very long time:

(b) if so, whether Government propose to take over this railway and to convert this line into broad gauge line in view of the industrial development in this region; and

(c) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) to (c). I am not aware of any specific complaints of this nature. There is no proposal now under consideration for taking over the line or converting it to broad gauge.

**Mussoorie Express**

135. **Shri Kashi Nath Pandey:** **Shri Onkar Lal Berwa:**
**Shri Ram Gopal Shalwale:** **Shri Arjun Singh Bhadoria:**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the bogies which are attached to Mussoorie Express for Kotdwar are far less in view of the rush therein;

(b) whether it is also a fact that some compartments of these bogies have been reserved only for military personnel for the last few months;

(c) if so, whether Government propose to provide more bogies for Kotdwar in the said train; and

(d) if not, the reasons therefor?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh):** (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Lack of traffic justification.

**Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi**

136. **Shri Kashi Nath Pandey :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of workers employed in the Birla Cotton and Spinning Mills, Delhi ;

(b) the number out of them who are permanent and temporary, separately, and the number of those whose services are terminated after three months ; and

(c) the number of workers who are re-appointed after their services being terminated after three months ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Industries in Garhwal District**

137. **Shri Kashi Nath Pandey :**
**Shri Arjun Singh Bhadoria :**
**Shri Jamna Lal :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Garhwal District (U. P.) is the most backward area in the State as regards industrial development ;

(b) if so, whether the State or Central Government propose to set up any industries there ;

(c) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmad) :** (a) to (c). For the purpose of setting up industries, it is not feasible to divide the country on districtwise basis. Taking U. P. State as a whole, four central industrial projects have been set up in that State. They are : Diesel Loco Factory, Varanasi ; Gorakhpur Fertilisers, Gorakhpur ; Antibiotics Plant, Rishikesh and Heavy Electrical Equipment Factory, Hardwar. Another project viz., Heavy Structurals Project is under implementation at Naini. In the State Sector, the important projects set up so far are : Cement Factory, Churk and Precision Instrument Factory, Lucknow. One more cement factory is being set up at Dalla. Since the Fourth Five Year Plan is under preparation at present, it is not possible to indicate at this stage which new industrial projects will be set up in U. P. and whether any of them will be in Garhwal district.

**हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स एण्ड कंसट्रक्शन लिमिटेड**

138. **श्री ए० श्रीधरन :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री प्रेम चन्द वर्मा :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स एण्ड कंसट्रक्शन

लिमिटेड की कार्य-पद्धति का मूल्यांकन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस अवधि में किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत)** : (क) सरकार हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के कार्यकरण पर उसी प्रकार सतत ध्यान देती है जिस प्रकार कि सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के कार्यकरण पर देती है। कम्पनी के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा सभा-पटल पर भी रखी जाती है। कम्पनी कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययी ढंग से कार्य कर रही है और इसने 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 के वर्षों के लिए 15 प्रतिशत का लाभांश भी घोषित किया है।

(ख) कोई अनियमिततायें नहीं पाई गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## कटक-पारादीप रेलवे लाइन

139. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री रवि राय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक से पारादीप पत्तन तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम क्या है ; और

(ख) क्या इस लाइन के निर्माण के लिये रेलवे अधिकारियों को जमीन का कब्जा मिल गया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) यह लाइन 1971 के अन्त तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

(ख) इस प्रायोजना के लिए जितनी जमीन चाहिए उसमें से सबका कब्जा अभी रेलवे को नहीं सौंपा गया है।

## मिश्रित इस्पात कारखाने का विस्तार

140. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री कामेश्वर सिंह :**
**श्री गणेष घोष :**
**श्री पी० पी० एस्थोस :**
**श्री के० रमानी :**
**श्री पी० राममूर्ति :**

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 213 तथा 291 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) उस पर कुल कितना खर्च आयेगा और कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ;

(घ) क्या देश में विभिन्न किस्मों के मिश्रित तथा विशेष इस्पात की मांग का बाजार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी की रिपोर्ट पर विचार किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए इस आधार पर परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के बारे में आदेश दे दिया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) से (च). मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी की बाजार-सवक्षण सम्बन्धी रिपोर्ट का बाजार-प्रतिवेदन, आर्डरों की मात्रा, बाजार की मांग को देखते हुए आर्डरों की मियव्ययिता आदि के दृष्टिकोणों से विस्तृत रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है । हिन्दुस्तान स्टील के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया गया अध्ययन दल इन समय इन बातों पर विचार कर रहा है । लोहा और इस्पात उद्योग की कर्णधार समिति भी मिश्र और विशेष इस्पात की मांग और क्षमता के बारे में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे रही है । इन अध्ययनों के पूर्ण होने पर प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने पर विचार किया जायेगा ।

**विभागीय अधीक्षक कार्यालय उत्तर रेलवे एक्सचेंज**

141. **श्री यशपाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963 में काम की तुलना में उत्तर रेलवे एक्सचेंज के विभागीय अधीक्षक कार्यालय का वास्तविक कार्य-भार बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और कितना प्रतिशत काम बढ़ा है ;

(ग) क्या कर्मचारी भी उसी अनुपात में बढ़ाये गये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) :** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर रेलवे के सभी मण्डल कार्यालय एक्सचेंजों की कुल क्षमता 1963 में 660 लाइनों की थी जो अब 1969 में 1210 है, अर्थात् उसमें 83% की वृद्धि हुई है । सभी मण्डल अधीक्षकों के कार्यालयों में ट्रंक एक्सचेंजों की कुल ट्रंक पोजीशन 7 से बढ़कर 11 हो गई है अर्थात् इसमें लगभग 57% की वृद्धि हुई है ।

(ग) और (घ). अनुरक्षण कर्मचारी 57% बढ़ा दिये गये हैं और उनकी संख्या में यह वृद्धि कार्यभार में वृद्धि के अनुरूप है। टेलीफोन आपरेटरों की संख्या भी 38% बढ़ा दी गई है।

### Ticketless Travellers' Association in Bombay

142. **Shri Yashpal Singh :**
**Shri B. K. Das Chowdhury :**
**Shri Yajna Datt Sharma :**
**Shri K. Lakkappa :**
**Shri P. Vishvambharan :**
**Shri Surendranath Dwivedi :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there exists an association of ticketless travellers in Bombay which provides legal and financial assistance to ticketless travellers on payment of a monthly contribution of Rs. 2 ;

(b) whether such an association is legal ; and

(c) if not, the action being taken against it ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) No such association has come to light.

(b) No.

(c) Does not arise in view of reply to part (a).

### Purchase of Medicines in Central Hospital of Northern Railway

143. **Shri Yashpal Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the value of Medicines purchased locally in the Central Hospital of the Northern Railway in 1968 ; and

(b) the value of medicines out of them purchased for officers' class ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) :** (a) Rs. 1,24,820.25 p.

(b) Rs. 22,069.36 p.

### भारत का निर्यात

144. **श्री अदिचन :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के 9 पहले महीनों में (1) परम्परागत तथा (2) गैर-परम्परागत वस्तुओं का कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ख) इस अवधि में परम्परागत तथा गैर-परंम्परागत वस्तुओं का विभिन्न देशों की

कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ग) इस निर्यात से आयात को बराबर आने में कितनी सफलता मिली है और निर्यात में वृद्धि की वर्तमान दर को देखते हुए भारत के किस समय तक निर्यात को आयात के बराबर आ जाने की सम्भावना है ; और

(घ) भारत के निर्यात को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) वस्तुवार आंकड़े केवल अप्रैल-नवम्बर, 1968 की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। इस अवधि में 908.30 करोड़ रु० मूल्य का कुल निर्यात हुआ। निर्यात का परम्परागत तथा गैर-परम्परागत वस्तुओं के रूप में आधिकारिक रूप से वर्गीकरण करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। तथापि अप्रैल-नवम्बर, 1968 में सामान्यतः परम्परागत मानी जाने वाली वस्तुओं (संलग्न अंग्रेजी सूची के अनुसार) से 540.52 करोड़ रु० की कुल निर्यात आय हुई। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 16/69] अतः शेष 367.78 करोड़ रु० की राशि निर्यात की अन्य मदों के मूल्य की प्रतीक है।

(ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है, जिसमें अप्रैल-नवम्बर, 1968 की अवधि में विभिन्न देशों को भारतीय निर्यात व्यापार की गतिविधियों को दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 16/69] व्यापार की दिशा के सम्बन्ध में आंकड़े कुल निर्यात के रूप में रखे जाते हैं तथा परम्परागत और अपरम्परागत मदों के रूप में नहीं।

(ग) गत तीन वर्षों में भारत का व्यापार घाटा उत्तरोत्तर घटकर 1966-67 में 921.9 करोड़ रु० से 1967-68 में 775.6 करोड़ रु० और अप्रैल-दिसम्बर, 1967 में 581.8 करोड़ रु० से अप्रैल-दिसम्बर, 1968 में 357.5 करोड़ रु० रह गया। यह सब निर्यात में वृद्धि तथा आयात में गिरावट के कारण हुआ। यह देखते हुए कि विकास की प्रक्रिया में देश की आयात आवश्यकताएं सामान्यतः उसकी निर्यात क्षमता से काफी समय के लिये अधिक रहती हैं, अतः निकट भविष्य में हमारे विदेशी व्यापार में आयातों तथा निर्यातों के बीच पूर्ण संतुलन प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती है जब तक कि अर्थ-व्यवस्था के विकास की गति को कम न किया जाये।

(घ) अपेक्षित जानकारी 18-2-1969 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 182 के उत्तर में सभा-पटल पर रखी जा रही है।

## बिड़ला उद्योग समूह

145. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बिड़ला के ऐसे शेष कारखानों के बारे में अन्तिमरूप

से निर्णय कर लिया है जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये थे तथा जिनके बारे में सरकार आवश्यक आंकड़े इकट्ठे कर रही थी ;

(ख) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) बिड़ला के ऐसे कितने कारखाने हैं जिनके बारे में अनियमितताओं का पता लगा था तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न हों, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) जैसाकि मैंने 22 जुलाई, 1968 को राज्य सभा में बताया था कि श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत तीन ज्ञापनों में बिड़ला उद्योग समूह पर लगाये गये 88 आरोपों में से सरकार ने 64 आरोपों का निपटान कर दिया है । शेष 24 में से भी 13 अन्य आरोपों का निपटान किया जा चुका है । अब केवल 11 आरोप ही बचे हैं जिन पर निर्णय अभी लिया जाना है ।

(ख) अन्तिम निर्णय लिये जाने में विलम्ब कई कारणों से हुई है जैसे कई आरोपों की पड़ताल के लिए भारत तथा विदेशों में जांच किया जाना आवश्यक है, कई मामलों में सरकारी कार्यवाही कई न्यायालयों की निषेध आज्ञा के कारण रुक गयी है ।

(ग) माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न के (क) भाग में उल्लिखित शेष आरोपों (जिनकी संख्या 24 है, में से 4 में प्रारम्भिक जांच से प्रथम दृष्टया वर्तमान कानून की अवज्ञा के मामले स्थापित हुए हैं उनमें सम्बन्धित कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

(घ) वर्तमान स्थिति को देखते हुए किसी द्वारा की जाने वाली अनियमितताओं को एक दम रोका नहीं जा सकता किन्तु यह बताने की आवश्यकता नहीं कि जो भी अनियमितता करता है वह उस कारण दण्ड का भागी बनने का खतरा मोल लेता है ।

## राष्ट्रीय खनिज विकास निगम परियोजना के लिये विदेशी परामर्शदाता

147. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम अपनी एक परियोजना के लिये परामर्श सेवा हेतु एक विदेशी इन्जीनियरिंग फर्म की सेवा प्राप्त कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उस फर्म को कितना धन दिया जायेगा तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा होगी ;

(ग) क्या किसी भारतीय परामर्शदात्री फर्म ने उपर्युक्त काम के लिए अपनी सेवायें पेश करने का प्रस्ताव किया था ; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी फर्म की सेवा प्राप्त करने के क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) क्योंकि माननीय सदस्य ने उस प्रायोजना का नाम नहीं बताया जिसके विषय में सूचना पूछी जा रही है अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रश्न बेलाडिला निपेक्ष संख्या 5 के निर्माण के सम्बन्ध में है । इससे पूर्व, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने इस प्रायोजना को चालू हालत में लाने के आधार पर कार्य हाथ में लेना और उसकी इंजीनियरी, निर्माण, लगाये जाने और चालू किये जाने के लिये उत्तरदायी होना स्वीकार कर लिया था । तथापि, अभी हाल ही में, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सूचित किया है कि अब वह अपने कार्य क्षेत्र को संयंत्र और उपकरणों की कुछ मद्दों की पूर्ति तक ही सीमित रखेंगे । इसके परिणाम-स्वरूप संयंत्र की इंजीनियरी तथा उसके चालू करने सम्बन्धी उत्तरदायित्व अब राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हो गया है और उनके लिए परामर्शदाताओं की सेवाओं को प्राप्त करना आवश्यक है । जब हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की कार्य-सीमा संयंत्र को चालू हालत में लाना था तब वह भी परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के बारे में सोच कर रहे थे और कुछ भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम उनके विचाराधीन थे । कार्य-सीमा में परिवर्तन के पश्चात् राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को परामर्शदाताओं की उन्हीं फर्मों के साथ बातचीत करने के लिये कहा गया है जिनके नाम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के विचाराधीन थे और इस बात को ध्यान में रख कर कि स्वदेशी जानकारी अधिकतम सीमा तक प्राप्त की जायेगी ; सबसे उपयुक्त फर्म का चुनाव करेंगे । क्योंकि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिमरूप देना है अतः अभी यह नहीं बताया जा सकता कि इस प्रायोजना के लिये किसी विदेशी या भारतीय परामर्शदाता फर्म को चुना जायेगा ।

यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की एक अन्य प्रायोजना अर्थात् बोकारो इस्पात संयंत्र को लौह-अयस्क सप्लाई करने की किरिबुर विस्तार योजना के लिये भी उसी प्रकार के प्रबन्ध करने होंगे ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

**उत्तर प्रदेश में मशीनी औजार बनाने का कारखाना**

148. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में मशीन औजार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या इस कारखाने को फैजाबाद डिवीजन में स्थापित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) और (ख). हरयाणा, केरल और आन्ध्र प्रदेश के विद्यमान एककों के विस्तार के पश्चात् और मध्य प्रदेश में प्रस्तावित नये कारखाने की स्थापना के उपरान्त हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के पास उत्तर प्रदेश में एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव था। विगत दो वर्षों से मशीन टूल्स उद्योग के सामने विद्यमान क्षमता के पूर्णरूप से उपयोग में न आने की समस्या है, अतएव वर्तमान एककों के विस्तार और नये एककों की स्थापना के कार्य को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने आस्थगित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कारखाना स्थापित करने के स्थान के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स लिमिटड, खरर का प्रबन्धक निदेशक**

149. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री बाल्मीकि चौधरी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी विधि प्रशासन ने पानीपत वूलन एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड में श्री शिव कुमार गुप्ता के प्रबन्धक निदेशक के रूप में 1 मई, 1967 से नियुक्ति का निरनुमोदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि श्री शिव कुमार गुप्ता अभी भी पत्रों तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर संस्थान के प्रबन्धक निदेशक के रूप में लिखा पढ़ी कर रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1967-68 के नवीनतम संतुलन-पत्र में प्रबन्धक निदेशक के रूप में श्री शिव कुमार गुप्ता का नाम दिखाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) हां, श्रीमान्। श्री शिव कुमार गुप्ता को, 1 अप्रैल, 1967 से कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद की नियुक्ति के लिए कम्पनी का प्रस्ताव, कम्पनी विधि बोर्ड ने 13 जून, 1968 को खारिज कर दिया था।

(ख) तथा (ग). कम्पनी रजिस्ट्रार जालन्धर ने सूचित किया है कि 15 नवम्बर, 1968 को उस कार्यालय में मिसिल की गई इस कम्पनी की 31 मार्च, 1968 की वर्ष समाप्ति की 21वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे में, श्री शिव कुमार गुप्ता को कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक दिखाया गया है। उसे कुछ अन्य व्यक्तियों से शिकायतें तथा उनके साथ-साथ, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड,

खरड़ की अनादृत धनादेश की फोटो कापियां भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर 5 सितम्बर, 1968 को किये गये, श्री शिव कुमार गुप्ता के हस्ताक्षरों से उसका कम्पनी का प्रबन्ध निदेशक होने का आशय है।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रार, जालन्धर ने, कम्पनी के पत्र-व्यवहार में, श्री शिव कुमार गुप्ता को, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के पद की उपाधि धारण न करने का परामर्श दिया है, क्योंकि इस पद के लिये, उसकी नियुक्ति का कम्पनी विधि बोर्ड ने निरनुमोदन किया है।

## सरकार द्वारा नियंत्रण में ली गई कपड़ा मिलें

150. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री अदिचन :**
**श्री बाल्मीकी चौधरी :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का विचार किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने गत तीन महीनों में कितनी कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लिया है तथा प्रत्येक राज्य में कितनी मिलें अब तक नियंत्रण में ली जा चुकी हैं ;

(ग) भविष्य में कितनी मिलों को नियंत्रण में लेने का विचार है तथा किन-किन परिस्थितियों में ; और

(घ) कपड़ा उद्योग को वर्तमान संकट से निकालने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी हां।
(ख) एक। अब तक नियंत्रण में ली गई मिलों की संख्या राज्यवार निम्नलिखित है :

| | |
|---|---|
| गुजरात | 1 |
| मध्य प्रदेश | 4 |
| महाराष्ट्र | 5 |
| पांडिचेरी | 1 |
| राजस्थान | 1 |
| उत्तर प्रदेश | 1 |
| | 13 |

(ग) भविष्य में नियंत्रण में ली जाने वाली मिलों की संख्या का बताया जाना कठिन है। सरकार केवल उन्हीं मिलों को अपने नियंत्रण में लेती है जिनकी उद्योग (विकास तथा विनियमन)

अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत जांच की जा चुके और जो लोक-धन की उपयुक्त राशि लगाने से सक्षम एकक बन सकती है।

(घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें सूती कपड़ा उद्योग को सहायता देने के लिये अब तक किये जा चुके उपायों का ब्योरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 17/69] अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

**बिना टिकट यात्रा की रोकथाम**

151. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में निरीक्षण दल द्वारा टिकटों के निरीक्षण को कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) क्या निरीक्षण दल द्वारा टिकटों का निरीक्षण करने की व्यवस्था की बजाय जहां तक सम्भव हो प्रत्येक गाड़ी के साथ एक विशेष टिकट निरीक्षक नियुक्त करने से रेलवे प्रशासन को अधिक लाभ तथा लोगों को अधिक सुविधा नहीं होगी ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) रेलों में टिकटों की सामूहिक जांच सफल सिद्ध हुई है और इसके उपयोगी परिणाम भी निकले हैं क्योंकि इसके फलस्वरूप अनियमित यात्रा करते हुए बहुत से लोग पकड़े जाते हैं और उन पर वहीं मुकदमा चलाकर फौरन रेलवे का किराया और जुर्माना वसूल किया जाता है। जिन ममालों में देय किराये और जुर्मानों का भुगतान नहीं किया जाता, दोषी लोगों को फौरन जेल भेज दिया जाता है। इन जांचों के परिणामस्वरूप टिकट खिड़कियों पर बिक्री भी बढ़ जाती है।

(ख) विशेष टिकट परीक्षकों द्वारा गाड़ियों में टिकटों की जांच पहले से होती रही है लेकिन बिना टिकट चलने वाले यात्रियों के बच कर निकल जाने की सम्भावनाओं को कम करके टिकटों की जांच को अधिक कारगर और रेलवे प्रशासन के लिए लाभदायक बनाने के उद्देश्य से सामूहिक जांच प्रणाली भी अपनायी जाती है।

**रोहतक-पानीपत रेलवे लाइन**

152. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रोहतक-पानीपत लाइन को आपातकालीन परिस्थितियों में बन्द कर दिया गया था ;

(ख) क्या उस लाइन के एक भाग को बाद में चला दिया गया था;

(ग) क्या उस क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि शेष भाग को भी फिर से चलाया जाये ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां। 1958 में इसके रोहतक-गोहाना भाग को फिर से चालू किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) फिर से चालू किये गये रोहतक-रोहाना भाग पर घाटा हो रहा है। इस क्षेत्र में सड़क परिवहन के साथ कड़ी प्रतियोगिता चल रही है और रेलवे की वर्तमान वित्तीय स्थिति भी कठिन है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, पानीपत तक के शेष भाग को फिर से चालू किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना सम्भव नहीं है विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जबकि इससे रेलवे को और अधिक प्रत्यक्ष घाटा होने की सम्भावना है।

## कालका-शिमला रेलवे लाइन

153. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला-कालका रेलवे लाइन को बन्द करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उस क्षेत्र के लोगों की ओर से अभ्यावेदन मिला है कि ऐसा न किया जाये ; और

(ग) क्या उस लाइन को मुनाफे पर चलाने के उद्देश्य से अन्य कारगर उपाय किये जा सकते हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) कालका-शिमला लाइन को बन्द करने का अभी कोई विचार नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह विचार किया जा रहा है कि इस लाइन को उखाड़ने के सिवाय क्या इसे लाभप्रद बनाने अथवा कम से कम इसका घाटा कम करने के लिये कुछ उपाय किये जा सकते हैं।

## अमृतसर में नकली रेशम उद्योग

154 **श्री श्रीचन्द गोयल** : **श्री सु० कु० तापड़िया** :
**श्री यज्ञदत्त शर्मा** : **श्री रा० की० अमीन** :

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमृतसर में नकली रेशम उद्योग को गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को संकट से निकालने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री ( चौधरी राम सेवक )** : (क) से (ग). अमृतसर में नकली रेशम उद्योग की कठिनाइयां मुख्यतः इस कारण से हैं कि इसके उत्पादों की कम मांग है। टैरिफ आयोग मानव निर्मित रेशम उद्योग के लागत ढांचे के सम्बन्ध में पहले ही जांच कर रहा है और विस्कोज तन्तु धागे पर लिये जाने वाले उचित मूल्यों के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये आयोग से अनुरोध किया है । अन्तरिम प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर उपचारात्मक उपायों पर विचार किया जायेगा ।

**रेलवे कर्मचारियों के लिये नया वेतन आयोग**

155. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नया वेतन आयोग बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह आयोग किस तारीख से नियुक्त किया जायेगा; और

(ग) क्या यह सच है कि शंकर आयोग की सिफारिशें परिस्थितियां बदल जाने के कारण पुरानी हो गई हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रेल कर्मचारियों की कुछ कोटियों में विभिन्न ग्रेडों के पदों के वितरण के सम्बन्ध में शंकर शरण अधिकरण के अधिनिर्णय से है । यदि हां, तो ऐसा वितरण अभी भी लागू है और बिल्कुल ठीक है ।

**राज्य व्यापार निगम**

156. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
**डा० सुशीला नैयर :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को इसकी स्थापना से लेकर अब तक अनियमितताओं, चोरियों, भण्डार में कमी, आग लगने अथवा अन्य ऐसे कारणों के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ख) क्या इन मामलों के बारे में जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग गाड़ी बन्द करना**

157. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग हिमालयन रेलगाड़ी बन्द करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें यह पता है कि इस 'टाय ट्रेन' के बन्द हो जाने से इस सुन्दरता की रानी के लिये पर्यटकों का आकर्षण कम हो जाने की सम्भावना है ?

**रेलवे मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** : (क) और (ख). चूंकि सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग छोटी लाइन खण्ड पर यातायात बहुत सीमित है और पिछली बाढ़ों में इस लाइन को भारी क्षति पहुंची है, इसलिए इस बात की जांच की जा रही है कि इस खण्ड को किस ढंग से पुनःस्थापित किया जाय ताकि जब इसे फिर से चालू किया जाये तो पर्यटकों के आकर्षण की दृष्टि से यह एक आदर्श लाइन बन सके । यह जांच पर्यटन मंत्रालय के परामर्श से की जा रही है ।

**Running of an Express Train between New Delhi and Vishakhapatnam**

159. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision regarding the running of an Express train from New Delhi to Vishakhapatnam via Raipur and back from Vishakhapatnam to New Delhi ; and

(b) if so, when the train is likely to be introduced and the amenities likely to be provided therein ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) and (b). The present level of through traffic between Vishakhapatnam/Raipur and Delhi does not justify introduction of a direct train on this route. Besides, requisite resources by way of line capacity, rolling stock etc. are also not available, at present, for introduction of the proposed service.

**Conversion of Raipur-Dhamtari Railway Line into Broad Gauge**

160. **Shri Lakhan Lal Gupta** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have taken a decision to convert the Raipur-Dhamtari railway line (South Eastern Railway) into a broad-gauge one ;

(b) if so, when the work in this regard is likely to be undertaken ; and

(c) if not, the difficulty in the work being undertaken ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Conversion of this section is considered not justified at present.

**रेयन तथा कृत्रिम धागे से बने कपड़े के निर्यात में कमी**

161. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि रेयन तथा कृत्रिम धागे के कपड़े का निर्यात वर्ष 1963 में 10 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 1968 में लगभग 2 करोड़ रुपये का रह गया है;

(ख) क्या सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, बम्बई ने इन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सिफारिशें भेजी हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) 1968 में रेयन तथा संश्लिष्ट धागे के कपड़े के निर्यात 3 करोड़ रु० मूल्य के थे जो 1966 से पूर्व के निर्यातों की तुलना में निस्सन्देह कम थे परन्तु 1967 में हुए निर्यातों की तुलना में, जो कि केवल 95 लाख रु० के थे, सुधार हुआ है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निर्यात संवर्द्धन उपायों की, जो इस समय लागू हैं, निरन्तर समीक्षा की जाती है और निर्यातों को बढ़ाने के लिये, उद्योगपतियों तथा व्यापारियों, जिनमें सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स एसोसिएशन, बम्बई भी शामिल है, से प्राप्त सुझावों पर सरकार विचार करेगी ।

**Indian Standards Institution**

162. **Shri Shashi Bhushan :**
**Shri S. Kundu :**
**Shri S. M. Krishna :**
**Shri Srinibas Misra :**
**Shri K. Lakkappa :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the news that the employees of the Indian Standards Institution have threatened to go on strike ;

(b) whether it is also a fact that some employees of this Institution have been served with termination of service notices while some others have been issued warning ;

(c) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :** (a) No, Sir.

(b) and (c). Disciplinary action has been taken against two employees against whom charges of serious mis-conduct have been proved. Their cases are pending before the Industrial Tribunal. Warning letters were issued to employees who were found guilty of minor mis-conduct.

**रेयन और कृत्रिम धागे का आयात**

163. **श्री नन्द कुमार सोमानी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेयन और कृत्रिम धागे का आयात केवल राज्य व्यापार निगम के माध्यम से ही किया जाता है तथा क्या राज्य व्यापार निगम वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी सप्लाई करके 150 से 200 प्रतिशत तक मुनाफा लेता है; और

(ख) यदि हां, तो इस गम्भीर स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). राज्य व्यापार निगम के माध्यम से केवल संश्लिष्ट (नायलन) धागे का ही आयात किया जाता है। यह कहना सही नहीं है कि राज्य व्यापार निगम ऐसे आयातों पर 150 से 200 प्रतिशत लाभ कमा रहा है। राज्य व्यापार निगम सीमा शुल्क, प्रति शुल्क, भाड़ा, बीमा तथा प्रबन्ध और वितरण प्रभार चुकाने के उपरांत तथा उसके द्वारा तीन मूल्य कटौतियां देने के पश्चात जो लाभ लेता है वह अल्प ही होता है। इस लाभ का उपयोग भी कृत्रिम रेशमी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

**'ब्लीडिंग मद्रास' कपड़े का निर्यात**

164. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमेरिका को 'ब्लीडिंग मद्रास' कपड़े का निर्यात करने के बारे में वर्ष 1966 में वेंकटारमन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) हथकरघा-कपड़ा निर्यात संवर्द्धन परिषद को कई महीनों से इस मामले का पता है, अतः उसकी इस मामले में क्या राय है; और

(ग) अधिक डालर, जिसकी देश को बहुत आवश्यकता है, कमाने के उद्देश्य से 'ब्लीडिंग मद्रास' का निर्यात बढ़ाने के लिये कारगर उपाय कब तक किये जायेंगे ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) माननीय सदस्य संभवतः, श्री आर० वेंकटरामन के नेतृत्व में अप्रैल-मई, 1966 में सं० रा० अमरीका को गये प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गयी सिफारिशों का उल्लेख कर रहे हैं। यदि यह बात ठीक है, तो वेंकटरामन प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विचार करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्यवाही वर्ष 1966 के अन्त तक पूरी की जा चुकी थी।

(ख) वेंकटरामन प्रतिनिधिमंडल की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा नहीं ।

(ग) 'ब्लीडिंग मद्रास' फैशन वाला वस्त्र है तथा प्रतिनिधिमंडल की उपपत्तियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले 'ब्लीडिंग मद्रास' के निर्यातों में गिरावट के प्रमुख कारण ये हैं : (1) फैशन में परिवर्तन, (2) अमरीका तथा जापान के मिलों में निर्मित वस्त्रों से प्रतियोगिता, (3) भारत तथा हांगकांग में बने परिधानों का आयात । अतः 'ब्लीडिंग मद्रास' वस्त्रों के निर्यातों में धीरे-धीरे ही वृद्धि हो सकती है और इस सम्बन्ध में उपाय किये गये हैं और निरन्तर किये जा रहे हैं । इन उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(1) क्रीड़ा-परिधानों आदि के नये फैशनों का आविष्कार करने के लिए हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने एक डिजाइनर नियुक्त किया है ।

(2) सं० रा० अमरीका में पंजीयित 'इंण्डिया मद्रास' नाम का किसी प्रकार के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करके, कारगर संरक्षण करने के लिए सं० रा० अमरीका में वकीलों की एक फर्म को नियुक्त किया गया है ।

(3) सं० रा० अमरीका में 'ब्लीडिंग मद्रास' सहित हथकरघा वस्त्रों का प्रचार करने के लिए 1.5 लाख डालर की व्यवस्था की गयी है ।

परन्तु हाल ही की कुछ सूचनाओं से यह पता चलता है कि 'ब्लीडिंग मद्रास' में बहुत ज्यादा दिलचस्पी पैदा होना निकट भविष्य में संभव नहीं ।

## खखरियों सम्बन्धी मांग

165. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में अमेरिका, कनाडा तथा पश्चिमी जर्मनी से भारत में निर्मित नेपाली खुखरियों (छोटी तलवार) की बड़ी मांग आई है;

(ख) क्या इन देशों में तथा अन्य देशों में खुखरियों की मांग का पता लगाने के लिये कोई सवक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) भारत निर्मित नेपाली खुखरियों का भारत से निर्यात किया जाता है । परन्तु यह मद भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अन्तर्गत अलग से वर्गीकृत नहीं है । किन्तु वे चाकुओं के सामान्य वर्ग में, जिनके निर्यातों में विगत तीन वर्षों में वृद्धि का रुख रहा है, शामिल हैं ।

(ख) से (घ). चूंकि खुखरियां हस्तशिल्प निर्यातों की एक छोटी सी मद है अतः इस विशिष्ट मद का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

**Indian Standards Institution**

166. **Shri Shashi Bhushan:** **Shri Srinibas Misra:** **Shri S. Kundu:** **Shri K. Lakkappa:** **Shri S. M. Krishna:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the action is being taken to convince the employees that the enquiry conducted into the incident of slapping of the General Secretary of the Union by the Director of the Indian Standards Institutions was impartial; and

(b) if so, the details thereof ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)**: (a) No.

(b) Does not arise.

**साइकिलों और कारों के टायरों की कमी**

167. **श्री समर गुह :** **श्री क० लकप्पा :** **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री स० कुण्डू :** **श्री दिनकर देसाई :** **श्री एस० आर० दामानी :**

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में साइकिलों तथा कारों के टायरों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Ring Railway in Delhi**

168. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the date from which the work relating to Ring Railway in Delhi was started and the further time likely to be taken in its completion;

(b) the amount of expenditure incurred so far by Government on this project and the amount likely to be spent thereon till its completion as per allocation made to this effect; and

(c) the number of Stations constructed so far for this Ring Railway and of those whose construction is at present under consideration and the time by which they are likely to be constructed ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) The sanctioned project is called "Delhi Avoiding Lines and Connected Traffic Facilities". The construction work on this project was started on 1-4-1962 and the line has been opened for Goods Traffic on 16th February, 1969.

(b) The total expenditure incurred up to March, 1968 is Rs. 4.38 crores and an expenditure of approximately Rs. 1.85 crores is further expected to be incurred till its completion.

(c) Two stations one at Moti Bagh (Flag Station) and the other at Brar Square (Crossing Station) are under construction and nearing completion. In addition, Patel Nagar existing station which now caters for only M. G. Passenger traffic, will also deal with B. G. Passenger traffic. A new and bigger station building is being provided at Patel Nagar for this purpose. No other station is under consideration for construction.

## Bomb Explosion at Kotalpukur Station

169. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some persons were injured as a result of bomb explosion in the third class waiting room at Kotalpukur station on the Sahibganj section of the Eastern Railway in October, 1968 ; and

(b) if so, the number of persons injured and the number of persons arrested so far in this regard and the action taken by Government against them ?

**The Minister of Railways (Dr. Ram Subhag Singh)** : (a) Yes.

(b) Five persons were injured ; seven persons have been arrested so far and the case is under investigation by the Police.

## विल्लियंवाक्कम स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना

170. **श्री समर गुह** :
**श्री ज० अहमद** :
**श्री क० लकप्पा** :
**श्री दिनकर देसाई** :
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के पहले सप्ताह में मद्रास से 10 मील दूर विल्लियंवाक्कम रेलवे स्टेशन पर मद्रास-त्रिवेंद्रम जाने वाली कई रेलगाड़ियों पर पथराव किया गया था और उन्हें रोका गया था; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) कुछ गाड़ियों को रोका गया था लेकिन उन पर पथराव नहीं किया गया था ।

(ख) रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंची ।

**अमरीका के मैसर्स शुल्टन्स द्वारा भारत में प्रसाधन सामग्री और नहाने के साबुन का निर्माण**

171. **इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री 10 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3893 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के मैसर्स शुल्टंस को भारत में अपनी 'ओल्ड स्पाइस' ब्रांड प्रसाधन सामग्री तथा नहाने का साबुन आदि बनाना शुरू करने की अनुमित दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस उद्योग में देसी तकनीकी जानकारी का अभाव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस देश में पहले से ही काम कर रही 11 विदेशी फर्मों की सूची में वृद्धि करने का क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) और (ख). गोआ के मैसर्स कासमे मेटियाज मेन्जेम के प्रस्ताव को जो लन्दन के मैसर्स शुल्टन (ग्रेट-ब्रिटेन) लिमिटेड के सहयोग से गोआ में प्रसाधन सामग्री बनाने के बारे में था, 1964 में सहमति दे दी गई थी । इक्विटी पूंजी में विदेशी साझा 40 प्रतिशत तक सीमित था और उसमें यह भी व्यवस्था थी कि वस्तुओं का निर्बाध रूप से निर्यात करने की अनुमति दी जायगी और यह निर्यात विदेशी मुद्रा की राशि के कम से कम दुगने मूल्य का होना चाहिये जिससे आयातित कच्चे माल और विदेशी विनियोजन पर लाभांश के खर्च को पूरा किया जा सके ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस सहयोग के लिये 1964 में एक विशेष मामले के रूप में गोआ में लघु उद्योग को प्रोत्साहन देने के प्रयोजन से सहमति दी गई थी । इसके अलावा इस योजना में शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन करने की भी कल्पना की गई है ।

**पटसन उद्योग सम्बन्धी कार्यकारी दल**

172. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन उद्योग की समस्याओं के अध्ययन के लिये एक कार्यकारी दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देश पद क्या हैं;

(ग) क्या इस उद्योग को आधुनिकीकरण के लिये 5 करोड़ रुपये देने का भी निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो आधुनिकीकरण की योजनाओं का ब्योरा क्या है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). पटसन उद्योग को ऐसे उत्पादन के, जिनके तात्कालिक निर्यात की संभावना है, विविधीकरण की योजनाओं के लिये भारतीय वित्त निगम के मार्फत ऋण सहायता देने के लिये 5 करोड़ रु० की राशि रखी गई है ।

## भिलाई इस्पात कारखाने को हानि

173. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक टर्बो-ब्लोअर के फटने से 22 अक्तूबर, 1968 को भिलाई इस्पात कारखाने में एक गम्भीर दुर्घटना हुई थी;

(ख) इसके कारण कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह सच है कि जहां टर्बो-ब्लोअर का परीक्षण किया जा रहा था वहां पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं था; और

(घ) यदि हां, तो क्या काम की कोताही के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) जी, हां। 22 अक्तूबर, 1968 को टर्बो-ब्लोअर नं० 6 की टरबाइन फट गई थी और क्षतिग्रस्त हुई थी ।

(ख) अनुमान है कि क्षतिग्रस्त टरबाइन और सहायक साज-सामान तथा कन्ट्रोल पैनल का प्रतिस्थापन व्यय 8 लाख रुपये के लगभग बैठेगा। पांच कर्मचारियों को जिनमें दो अफसर और 3 कामगार हैं, चोटें आई थीं । एक अफसर की मृत्यु हो गई थी ।

(ग) जी, नहीं। टरबाइन परिचालन और संधारण का जनरल फोरमैन और टर्बो रोटरी मशीन की भारी मरम्मत का जनरल फोरमैन तथा सहायक फोरमैन टरबाइन्स घटना-स्थल पर उपस्थित थे ।

(घ) कारखाना अधिकारियों ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति नियुक्त की थी और उसकी रिपोर्ट के अनुसार किसी भी कर्मचारी की कोताही नहीं पाई गई ।

**रेलवे कर्मचारियों को रियायतें**

174. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगचल कर्मचारियों के भत्तों, मूल वेतन के साथ मंहगाई भत्ता जोड़ने तथा विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अधिक अवसरों के बारे में हाल ही में घोषित की गई रियायतों का ब्योरा क्या है;

(ख) इससे कितना अतिरिक्त व्यय होगा; और

(ग) 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल से पहले इन रियायतों की घोषणा न करने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है जिसमें दी गयी रियायतों के साथ-साथ रनिंग भत्तों तथा कुछ प्रयोजनों के लिए मंहगाई भत्ते के एक अंश को वेतन मानने के वित्तीय फलितार्थ बताये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 18/69]

कुछ समय से कुछ कोटियों में जो कर्मचारी अपने ग्रेड के अधिकतम पर रुके हुए हैं, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों आदि की दशा सुधारने के उपाय निकालने के प्रश्न की सविस्तार जांच की जा रही है। इसके वित्तीय फलितार्थ फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

(ग) सरकार कुछ समय से इन मामलों पर विचार कर रही थी। सभी सम्बद्ध बातों को ध्यान में रखकर और उनके सभी पहलुओं की जांच करने तथा श्रमिक संगठनों से बातचीत करने के बाद उसने ये निर्णय किये और इस सम्बन्ध में आदेश जनवरी, 1969 में ही जारी किये जा सके।

**कोरापुट डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता**

175. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कोरापुट जिले में काम करने वाले रेलवे कर्मचारी पुनर्वास मंत्रालय के दिनांक 20 सितम्बर, 1968 के सर्क्युलर संख्या डी० एन० के०/1 (28)/(58) के अनुसार सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किये गये विशेष प्रतिकर भत्ते के हकदार हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उनके हकदार न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर 'हां' में हो, तो क्या यह भत्ता पिछली तिथि से दिया जायेगा ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

## पूर्वोत्तर रेलवे का डिवीजनीकरण

176. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री पूर्वोत्तर रेलवे के डिवीजनीकरण के बारे में 12 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 313 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रारंभिक कार्य इस बीच पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) और (ख). इस सम्बन्ध में घोषणा शीघ्र ही की जायेगी ।

## बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा के लेखों में अनियमितता

177. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री 3 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3131 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के लेखों में अनियमितताओं के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक) :** (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

## वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा जारी किये गये लाइसेंस

178. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों से लाइसेंस जल्दी मंजूर कराने के लिये उनके मंत्रालय को गत 10 वर्षों में कितनी बार तथा किन मामलों के बारे में स्मरण पत्र तथा सिफारिशें आदि प्राप्त हुईं ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** वांछित जानकारी देने के लिए पहले यह आवश्यक है कि गत दस वर्षों में आयात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण संगठन द्वारा प्राप्त लगभग 26.69 लाख आयात तथा 9.22 लाख निर्यात लाइसेंस आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में सभी फाइलें उपलब्ध हों । ऐसी फाइलों के रखने के लिए निर्धारित सीमित अवधियों के कारण, सभी फाइलें उपलब्ध नहीं हैं । उपलब्ध फाइलों की जांच करने पर भी निकलने वाले निष्कर्ष इस जांच में लगने वाले समय तथा श्रम के अनुरूप नहीं होंगे ।

**मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों का रुकना**

179. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अधिकतर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां अनेक ऐसे स्टेशनों पर रुकती हैं जो बहुत छोटे हैं और उन स्टेशनों पर न तो अधिक यात्री चढ़ने के लिये होते हैं और न ही उतरने के लिये;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के इस प्रकार रुकने को कम करेगी ताकि उनकी रफ्तार बढ़ सके और वे कम समय लें; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). यातायात और परिचालन की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों को कम से कम स्टेशनों पर कम से कम समय तक ठहराया जाता है और गाड़ियों की यात्रा में लगने वाला समय उत्तरोत्तर यथासंभव घटाने के लिए समय-समय पर इस सम्बन्ध में समीक्षा भी की जाती है ।

**मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टेशनों पर बिना अनुसूची के रुकना**

180. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पता है कि अधिकांश मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियां स्टेशनों तथा उन अन्य स्थानों पर जो कि रेलवे समय सारिणी में नहीं दिये गये हैं, बिना अनुसूची के ही रुक जाती हैं जिसके फलस्वरूप उनके रुकने के स्थान उतने ही हो जाते हैं तथा उनके द्वारा समय भी उतना ही लिया जाता है जितना कि साधारण यात्री रेलगाड़ियों द्वारा लिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में सरकार मेल/एक्सप्रेस तथा साधारण यात्री रेलगाड़ियों के टिकटों की कीमत के बीच धन का जो अन्तर है, उसको यात्रियों को वापिस कर देगी ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) यद्यपि यह सच है कि कभी-कभी डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने के फलस्वरूप विशेषकर व्यस्त इकहरी लाइन खण्डों पर 'क्रास' व्यवस्था भंग हो जाने; उपद्रवों/प्रदर्शनों द्वारा गाड़ियों के आवागमन में रुकावट पड़ने, दुर्घटनाओं की छुट-पुट वारदात होने; सिगनल/यांत्रिक उपस्करों में खराबी होने आदि विभिन्न अदृष्ट कारणों से अनिश्चित स्थानों पर रुक जाती हैं, फिर भी, ऐसे मामलों में, इस बात की पूरी कोशिश की जाती है कि अनिश्चित ठहराओं के कारण नष्ट समय की

यथासंभव पूर्ति की जाय और यह सही नहीं है कि अधिकतर डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां उतना ही समय लेती हैं जितना की साधारण सवारी गाड़ियां लेतीं हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) इस सम्बन्ध में कोचिंग टैरिफ नं० 19, भाग I के नियम 117 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

## दक्षिण जाने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां

181. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दक्षिण जाने वाली मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को बरास्ता मनमड तथा ढोंड चलाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

## भारत के निर्यात में वृद्धि

182. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**

**श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :**

**श्री शिव चन्द्र झा :**

क्या **वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का निर्यात काफी बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है और किन वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है ; और

(ग) परम्परागत वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (चौधरी राम सेवक)** : (क) जी, हां ।

(ख) अप्रैल, नवम्बर, 1967 की तुलना में अप्रैल-नवम्बर, 1968 में निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी ।

मूल उत्पादों में काजू गिरी, लौह अयस्क, अरण्डी का तेल, खली, मूंगफली, कच्चा पटसन, मछली, मसाले (हल्दी तथा मिर्च), मैंगनीज अयस्क तथा संगध तैल और इंजीनियरी सामान, लोहा तथा इस्पात, चमड़ा तथा चमड़े का सामान (जूतों को छोड़कर), रत्न तथा जवाहरात,

सूती कपड़े के थान (मिल निर्मित), रासायनिक तथा सम्बद्ध उत्पाद, सूत, खनिज, ईंधन तथा स्नेहक, विविध सूती माल, फैरो मैंगनीज तथा मिश्रित धातुएं, कागज तथा गत्ता, नकली रेशम के वस्त्र, कलात्मक धातु, पीतल तथा तांबा, हस्तनिर्मित गलीचे, रबड़ का सामान, नारियल जटा का धागा तथा उससे निर्मित माल, रुई का कचरा तथा सूती परिधान निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित माल में।

उपर्युक्त अवधि में निम्नलिखित वस्तुओं का निर्यात मन्द रहा :

मूल उत्पादों में चाय, चीनी, लोहे तथा इस्पात की कतरन, खालें तथा चर्म (कच्चा), कपास, तम्बाकू, अभ्रक, काली मिर्च तथा प्याज, कच्ची ऊन, पशु केसिंग तथा पटसन का माल, निर्मित माल में हथकरघा कपड़ा, सिनेमा की फिल्में तथा जूते।

(ग) 1. पटसन माल के निर्यात में कमी, पटसन की फसलों के असाधारण रूप से कम होने के कारण आई। कच्चे पटसन/मिस्टा के उत्पादन को सुधारने के उपाय किये जा रहे हैं। सरकार उत्पादन की विविधता को भी प्रोत्साहन दे रही है। इस प्रयोजन के लिये पटसन मिलों को ऋण सहायता दी जा रही है।

2. कुछ मदों जैसे पटसन माल, चाय नारियल जटा उत्पादों आदि पर 7-2-1968 से निर्यात शुल्क कम कर दिया गया है।

3. चाय निर्यात संवर्धन के लिये श्री लंका के साथ संयुक्त निर्यात प्रयत्न शुरू किया गया है।

4. सूती कपड़े के निर्यात के लिये भारतीय सूती कपड़ा मिल संघ द्वारा नकद सहायता की एक योजना चलाई जा रही है।

5. परम्परागत वस्तुओं के निर्यातक, जिनका निर्यात 2 करोड़ रु० प्रति वर्ष का है निर्यात सदनों के रूप में मान्यता प्राप्त करके पात्र बना दिये गये हैं जिससे उन्हें विदेशों में कार्यालय खोलने, बाजार गवेषणा और निर्यात कार्यों के लिये सहायक उपदानों की अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं।

6. व्याज उपदान योजना शुरू की गई है जो परम्परागत तथा अपरम्परागत निर्यात उत्पादों, दोनों पर, लागू होती है।

एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें निर्यात संवर्धन के लिये किये गये अन्य उपाय दिये गये हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 19/69]

## राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को हानि

183. **श्री मृत्युंजय प्रसाद** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की वर्ष 1966-67 की

9वीं रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि इस निगम को 31 मार्च, 1967 तक, जापान के साथ लौह-धातु के व्यापार में 295 लाख रुपये की हानि हुई है जबकि रेलवे, नौवहन तथा सीमा शुल्क विभागों ने काफी लाभ कमाया है;

(ख) यदि हां, तो इस हानि की पूर्ति करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि जापान के साथ लौह-धातु के व्यापार का ठेका 31 मार्च, 1969 को समाप्त हो जायेगा यदि हां, तो प्रथम अप्रैल, 1969 से, जापान अथवा किसी अन्य देश के साथ इस व्यापारिक समझौते के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्ष 1967-68 के दौरान जापान के साथ लौह-धातुक के इस व्यापार में इस निगम को कितनी हानि अथवा लाभ होने का अनुमान है ?

**पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्री (डा० त्रिगुण सेन)** : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की 9वीं वार्षिक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि 31 मार्च, 1967, को समाप्त हुए वर्ष में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 863 लाख रुपये की प्राप्ति हुई, रेलवे विभाग को भाड़े के रूप में 811 लाख रुपये की विशाखापत्तनम पत्तन को पत्तन और चढ़ाने-उतारने के खर्चे के रूप में 231 लाख रुपये, निर्यात शुल्क के रूप में सरकार को 125 लाख रुपये, 40 लाख रुपये राज्य सरकार को स्वामित्व के रूप में और खनिज तथा धातु व्यापार निगम को एजेंसी के कमीशन के रूप में 14 लाख रुपये प्राप्त हुए। सेवा करने वाली सभी एजेन्सियों को सभी आवश्यक अदायगियां करने और सांविधिक वचनबद्धताओं को पूरा करने के पश्चात् राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के लेखों ने 295 लाख रुपए की हानि दिखाई। रेलवे विभाग द्वारा लाभ कमाये जाने के बारे में कोई निर्देश नहीं है।

(ख) हानियों की क्षति पूर्ति करने के लिये सहायता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) जापान के साथ मूल समझौते किरिबुर और बेलाडिला से लम्बी अवधि तक अयस्क की सप्लाई के बारे में है और इनके ढांचे के अन्तर्गत खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा मूल्य के सम्बन्ध में छोटी अवधियों के लिये करार किये जाते हैं। इस प्रकार का अन्तिम समझौता 31 मार्च, 1969 को समाप्त हो रहा है। 31 मार्च, 1969, के पश्चात् और आगे की अवधि के लिए एक करार के सम्बन्ध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा जापानियों के साथ बातचीत की जा रही है।

(घ) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को 1967-68 के वित्तीय वर्ष के दौरान जापान को लौह-अयस्क की सप्लाई में लगभग 141 लाख रुपए की हानि हुई।

### Export of Iron Ore to Japan and North Korea

184. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) whether India is selling iron ore to Japan and North Korea ;

(b) if so, the conditions for the supply, the quantity of iron ore exported in the years 1967-68 and 1968-69 (up to 31st December, 1968), the price charged and the mode of payment ; and

(c) the names of other countries to which iron ore is exported and the conditions of sale to them ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) India is exporting iron ore to Japan. No exports of iron ore have been made to the People's Democratic Republic of Korea.

(b) Indian exports of iron ore to Japan are as under :

| | **Quantity** | **Value** |
|---|---|---|
| | Million Tonnes | Crores of Rs. |
| 1967-68 | 11.266 | 60.63 |
| 1968-69 (up to December, 1968) | 8.740 | 48.47 |

The above exports are paid for in free foreign exchange. It is not in our commercial interests to disclose the per unit export price or the terms and conditions of the sale contracts.

(c) Czechoslovakia, Rumania, Yugoslavia, Poland, Hungary and G. D. R. in the Eastern Europe, and Belgium, West Germany, France and Italy in the Western Europe are the other countries to whom Indian iron ore is being exported. Exports to East European countries are generally made under rupee payment arrangement and the countries in Western Europe in free foreign exchange.

### M/s. Mysore Tobacco Ltd., Bangalore

185. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the date on which the Mysore Tobacco Ltd., Bangalore, applied for a licence and when this concern started functioning ;

(b) the terms and conditions in regarding to the setting up of the said Company and the nature of commodities being produced by it ; and

(c) the quantity of commodities produced by it since its inception ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :** (a) M/s. Mysore Tobacco Ltd., appear to be engaged in curing and processing of leaf tobacco. This Industry is not included in the schedule of industries covered by the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. No licence has, therefore, been granted to the firm under the said Act.

(b) and (c). Government have no information.

**Ashok Leyland Ltd., Madras**

186. **Shri Sharda Nand:**
**Shri Bansh Narain Singh:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 148 on the 11th November, 1968 and state :

(a) the names of commodities for manufacturing which the Ashok Leyland Ltd., Madras, had applied for licence;

(b) the date on which the licence was granted to the Company and when the work was started;

(c) whether the aforesaid Company manufactured goods other than those in respect of which the licence was given ; and

(d) if so, the details thereof?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)** : (a) and (b). A statement giving the information is laid on the Table **[Placed in Library. See No. LT-20/69.]**

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

**Bombay-Burma Trading Corporation Ltd., Bombay**

187. **Shri Sharda Nand:**
**Shri Bansh Narain Singh:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 148 on the 11th November, 1968, and state:

(a) the names of commodities for manufacturing which the Bombay-Burma Trading Corporation Ltd., Bombay had applied for licence;

(b) the date on which licence was issued to the Company and the date on which it started functioning;

(c) whether this concern manufactured any goods other than those for which licence was granted to it ; and

(d) if so, the details thereof?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed)**: (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**Goodyear (India) Ltd., Calcutta**

188. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the names of the articles for manufacturing which the Goodyear (India) Ltd., Calcutta had applied for licence ;

(b) the date on which licence was sanctioned to the said Company and the date on which it started functioning ;

(c) whether that Company manufactured some other articles also in addition to these for which the licence was granted to it ; and

(d) if so, the details therefor ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :** (a) Automobile tyres (including motor cycle/scooter, Animal Drawn Vehicle, Wheelbarrow and Aero tyres) and tubes, Repair Materials, Rubber Dock Fenders and Bicycle tyres and tubes.

(b) Particulars of licences issued are as follows :

| Licence Number and date | Item of manufacture | Date of commencement of production |
|---|---|---|
| 1. L/30(1)/N-9/59, dated 21-9-1959. | Automobile tyres and tubes and Repair Materials. | 1961. |
| 2. L/30(1)/8-SE/CH(I)/61, dated 8-6-1961. | Ditto | First phase implemented in 1966 and the second and last phase is under implementation. |
| 3. L/30(4)/136/66-L. Ind. II, dated 13-12-1966. | Rubber Dock Fenders .. | May 1967. |
| 4. L/30(1)/17/68-L.Ind.II, dated 6-12-1968. | Bicycle tyres and tubes .. | Scheme is yet under implementation. |

(c) and (d). According to the Production Returns furnished to the Directorate General of Technical Development by the Company every month, the production of the following items is being reported by the Company :

1. Automobile tyres and tubes ;
2. Rubber Dock Fenders ; and
3. Repair Materials.

It is however understood that the Company have also been marketing certain other articles under their trade name, such as bicycle tyres and tubes, various types of beltings like conveyor, transmission, fan, etc., which are actually manufactured by other producers.

**Morarji Gokuldas Spinning and Weaving Company Ltd.**

189. **Shri Sharda Nand :**
**Shri Bansh Narain Singh :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state :

(a) the date on which the Morarji Gokuldas Spinning and Weaving Company Ltd.,

Bombay had applied for licence and the date on which it started functioning;

(b) the terms and conditions which were laid down for its running and the articles being produced by the Company at present; and

(c) the total production of this company since it was started?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak):** (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-21/69.]**

### M/s. Kohinoor Mills Ltd., Bombay

190. **Shri Bansh Narain Singh:**
**Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) the date on which the Kohinoor Mills Ltd., Bombay, applied for a licence and the date from which this concern started functioning;

(b) the term and conditions in regard to the setting up of the said Company and the nature of articles being produced by it; and

(c) the total production of the Company since its inception?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak):** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### M/s. Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay

191. **Shri Bansh Narain Singh:**
**Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the date on which the Tata Engineering and Locomotive Company Ltd., Bombay applied for a licence and when it started functioning;

(b) the conditions on which this concern was to function and the items which are being produced by it; and

(c) the extent of production by this concern since its inception?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed):** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### M/s. Mackenzies Ltd., Bombay

192. **Shri Bansh Narain Singh:**
**Shri Sharda Nand:**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the date on which M/s. Mackenzies Limited, Bombay applied for licence and the date

on which it started functioning ;

(b) the terms and conditions for starting this company and the nature of goods manufactured by it ; and

(c) the quantum of goods manufactured by this company since it started functioning ?

**The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :** (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

### एक सदस्यीय रेलवे न्यायाधिकरण

193. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
**श्री समर गुह :**
**श्री क० लकप्पा :**
**श्री रा० कृ० सिंह :**
**श्री बे० कृ० दास चौधरी :**
**श्री ओंकारलाल बेरवा :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक संसदीय रेलवे न्यायाधिकरण नियुक्त करने का है जो रेलवे कर्मचारियों के अनिर्णित मामलों की जांच करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में जारी किए गए संकल्प का उद्धरण संलग्न है जिसमें इस अधिकरण का ब्योरा दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 22/69]

### रेलवे माल की चोरी

194. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1968 की अवधि में विभिन्न रेलवे लाइनों पर माल की चोरी के कितने मामलों की सूचना सरकार को मिली है;

(ख) उपरोक्त चोरियों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी हानि हुई है ;

(ग) इन मामलों से सम्बन्धित लोगों को किस प्रकार का दण्ड दिया गया है; और

(घ) विभिन्न रेलवे लाइनों पर सरकारी माल की चोरी रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) 20,108 ।

(ख) चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य 34.76 लाख रुपए था, जिसमें 15.68 लाख रुपए

की सम्पत्ति रेलवे की थी। इसमें से 6.42 लाख रुपए की सम्पत्ति बरामद कर ली गई। इस प्रकार, कुल हानि 28.34 लाख रुपए की हुई।

(ग) रेल कर्मचारियों और बाहरी व्यक्तियों को मिलाकर 5,031 व्यक्ति कानूनी कार्यवाही के लिए पुलिस के सुपुर्द किए गए। उन्हें क्या सजाएं दी गयीं, इसकी अभी जानकारी नहीं है।

(घ) इस सम्बन्ध में रेलों पर निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं :—

(1) भेद्य और बड़े यार्डों में सशस्त्र रेल सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा रेल सुरक्षा दल के कुत्ता-दस्तों द्वारा गश्त लगाया जाना ;

(2) भेद्य खण्डों पर महत्वपूर्ण मालगाड़ियों में रेल सुरक्षा दल के सशस्त्र कर्मचारियों को रखना ;

(3) भेद्य स्थलों पर चोरी की गुंजाइश हो, वहां सशस्त्र अनुरक्षी टुकड़ियां तैनात करना ;

(4) पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा जांच कार्य को तेज करना ;

(5) अपराधियों और चोरी गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने वालों का पता लगाने के लिए अपराध आसूचना को सुदृढ़ बनाना;

(6) अपराधियों को रंगे-हाथ पकड़ने के लिए रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारियों द्वारा आकस्मिक जांच करना ;

(7) अपराधियों और चोरी गयी सम्पत्ति को प्राप्त करने वालों से निबटाने के लिए रेल सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस तथा राज्य पुलिस के अधिकारियों के बीच निकट सम्पर्क रखना ;

(8) जिन चुनी हुई स्टेशन-जोड़ियों के बीच थोक माल का यातायात होता है और जहां उठाईगिरी की घटनाएं होती हैं वहां माल चढ़ाने-उतारने के काम पर निगरानी रखना ; और

(9) चुरायी गयी या गैर-कानूनी ढंग से प्राप्त की गयी रेल सम्पत्ति को कब्जे में रखने वाले या इस सम्बन्ध में संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम के अधीन कार्यवाही करना।

**पूर्वोत्तर रेलवे के गुड्स बुकिंग आफिसों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी**

195. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर रेलवे के कई गुड्स बुकिंग आफिसों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो 1968 में ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायगी ; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे के गुड्स बुकिंग आफिसों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मामलों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां, पूर्वोत्तर रेलवे के माल बुक करने वाले कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार और घूसखोरी की कुछ शिकायतें मिली हैं।

(ख) 1968 में ऐसे पांच मामले नोटिस में आए जिनमें अनुचित पक्षपात दिखाए जाने का सन्देह था, लेकिन इन मामलों में रिश्वत मांगना और/या रिश्वत लेना सिद्ध करने के लिए आवश्यक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी इस सम्बन्ध में आगे आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(ग) माल बुक करने के मामलों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए विभागीय तथा चौकसी सम्बन्धी रोक के लिए आवश्यक तन्त्र की व्यवस्था है। निर्दिष्ट शिकायतों की जांच भी की जाती है और जो मामले साबित हो जाते हैं उनमें उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

### मुजफ्फरपुर-बगाह यात्री गाड़ी (पूर्वोत्तर रेलवे) में गोली चलना

196. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 दिसम्बर, 1968 की रात को पूर्वोत्तर रेलवे की मुजफ्फरपुर-बगाह यात्री गाड़ी में दो सशस्त्र गार्डों और एक खजांची को गोली से मार दिया गया था और लगभग दो लाख रुपए लूट लिए थे ;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां, लेकिन उन्हें गोली से नहीं मारा गया था। इन तीनों की हत्या तेज हथियारों से की गयी।

(ख) रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस ने शीघ्र कार्यवाही की। इस सम्बन्ध में सरकारी रेलवे पुलिस ने एक मामला दर्ज किया जिसकी जांच हो रही है। अब तक पांच व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। जांच कार्य का पर्यवेक्षण बिहार (पटना) के उप महा निरीक्षक अपराध तथा रेलवे ने स्वयं किया है।

जनवरी, 1969 से पूर्वोत्तर रेलवे में लाइन पर जाने वाले वेतन-क्लर्क केवल दिन में यात्रा करते हैं। बिहार की सरकारी रेलवे पुलिस ने प्रभावित खण्डों पर चलने वाली रात की सभी गाड़ियों में सशस्त्र अनुरक्षकों की व्यवस्था की है।

## उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए ऋण

197. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 10 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को औद्योगिक विकास हेतु कितना ऋण दिया गया ;

(ख) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्हें न्यूनतम और अधिकतम ऋण राशि प्रदान की गई तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी धन राशि दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि ऋण प्राप्त कर लेने पर भी अनेक कम्पनियों ने औद्योगिक एकक स्थापित नहीं किये, और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही करने का विचार है ?

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

## दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र में तालाबन्दी के कारण हुई श्रम दिनों की क्षति

198. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर स्टील संयंत्र के वित्त तथा लेखा विभाग में हुई तालाबन्दी के कारण कितने श्रम-दिनों की क्षति हुई है ;

(ख) तालाबन्दी अन्तिम रूप से कब समाप्त की गई है ; और

(ग) सम्बन्धित पक्षों के बीच जो समझौता हुआ था उसकी किन शर्तों के अन्तर्गत तालाबन्दी समाप्त की गई है ?

**इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) :** (क) 36,597 ।

(ख) 18-1-1969 ।

(ग) समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं :

प्रबन्धक वर्ग द्वारा यह आश्वासन दिये जाने पर कि कम्प्यूटरों के लगाए जाने से कोई छंटनी नहीं की जायगी, सम्बन्धित मजदूर संघ ने इस बात का जिम्मा लिया कि वे प्रबन्धक वर्ग द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार सौंपे गए कार्य कर्मचारियों से करवायेंगे

और कम्प्यूटर सम्बन्धी सभी काम करवायेंगे। प्रबन्धक वर्ग भी, जैसे-जैसे इलेक्ट्रोनिक कम्प्यूटर द्वारा नये-नये कार्य करवाएगा, उसकी सूचना यथा समय मजदूर संघ को दिया करेगा। कर्मचारी संघ ने कर्मचारियों की ओर से यह भी आश्वासन दिया कि वे कार्यालय में अनुशासन बनाए रखेंगे और किसी गैर कानूनी कार्यवाही में भाग न लेंगे। न्यायालय के विचाराधीन मामलों और अनुशासनिक कार्यवाहियों को बिना प्रभावित किये उन परिस्थितियों के लिए खेद प्रकट किया गया जिनके कारण तालाबन्दी करनी पड़ी थी। जो कर्मचारी बिना किसी वैध कारण के तालाबन्दी उठाने की तारीख के सात दिनों के अन्दर काम पर नहीं लौटते, उनके बारे में यह समझा जायेगा कि उन्होंने स्वेच्छा से कम्पनी की नौकरी छोड़ दी है।

## अखिल भारतीय लोको शेड सुपरवाइजर सम्मेलन

199. **श्री जार्ज फरनेंडीज :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय लोको शेड सुपरवाइजर सम्मेलन में किये गये इस निर्णय की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने अपने सदस्यों का आह्वान किया है कि वे 13 मार्च, 1969 से सामूहिक अनशन करें ;

(ख) यदि हां, तो किन मांगों की पूर्ति के लिए यह अनशन किया जा रहा है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय में इन मांगों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो मांगों के बारे में कोई समझौता करने में क्या कठिनाई है ?

**रेलवे मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) इस सम्मेलन के बारे में जो समाचार स्थानीय समाचार-पत्रों में छपा था उसे सरकार ने देखा है।

(ख) मांगें निम्नलिखित बतायी जाती हैं :

(i) अन्य सरकारी उपक्रमों के समतुल्य वेतनमान।

(ii) पदोन्नति के पर्याप्त अवसर।

(iii) यथोचित सेवा शर्तें।

(iv) फैक्टरी अधिनियम को इंजनों शेडों में लागू किया जाना।

(ग) और (घ). रेलवे कारखानों और इंजन शेडों के पर्यवेक्षण कर्मचारियों की इन मांगों और अन्य मांगों की जांच अतीत में की गई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति में रेल कर्मचारियों के वेतनमान आदि में बड़े पैमाने पर कोई संशोधन करना सम्भव नहीं पाया गया है। जिसका एक कारण यह है कि सभी रेल कर्मचारियों की सेवा-शर्तें एक-दूसरे से सम्बद्ध हैं और इसे देखते हुए केवल इस वर्ष की मांगों पर विचार नहीं किया जा सकता।

फिर भी, नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन की यह मांग कि यांत्रिक कारखानों में पर्यवेक्षण कर्मचारियों के पदों का उनकी जिम्मेदारियों के अनुरूप पुनर्वितरण किया जाय और उनकी पदोन्नति के लिए समुचित माध्यम की व्यवस्था की जाय, रेलवे श्रम न्यायाधिकरण, 1969

को सौंप दी गई है। न्यायाधीश श्री एन० एम० मियाभाई को न्यायाधिकरण नियुक्त किया गया है।

**Export of Pepper**

200. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri E. K. Nayanar :**

Will the Minister of **Foreign Trade and Supply** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are huge stocks of pepper with the Indian pepper exporters and that they are facing stiff competition abroad ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take to boost the export of pepper ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade and Supply (Chowdhary Ram Sewak) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Publicity through participation in Fairs/Exhibitions, documentary films and recipe folders, etc. in different languages is being carried out by the Exports Promotion Council, Ernakulam and the Council's Foreign Officer at Brussels.

---

## सभा-पटल पर रखे गये पत्र
## PAPERS LAID ON THE TABLE

### सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में व्याख्यात्मक विवरण

**संसद कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया):** मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (2) के अधीन यथापेक्षित सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 3/69]

### इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा-सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

**औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :** मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा (619)क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा का 1967-68 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी०** 4/69]

## दल बदलने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : मैं दल बदलने सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 5/69]

## परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, लोक वक्फ (सीमा का विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश तथा बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश

**संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया)** : मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अधीन निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 1968(1968 का संख्या 12) जो राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(2) लोक वक्फ (सीमा का विस्तारण) संशोधन अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 13) जो राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसम्बर, 1968 को प्रख्यापित किया गया था।

(3) सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 1) जो राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था।

(4) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का संख्या 2) जो राष्ट्रपति द्वारा 10 जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**6/69]

---

## राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक
## BILLS PASSED BY RAJYA SABHA

**सचिव** : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा पारित ये दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिवक्ता (दूसरा) संशोधन विधेयक, 1968

(2) मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, 1968

---

## विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति
## PRESIDENT'S ASSENT TO BILLS

**सचिव** : महोदय, मैं पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सात विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग रेलवे (संख्या 5) विधेयक, 1968

(2) विनियोग (रेलवे) (संख्या 6) विधेयक, 1968
(3) भारतीय टैरिफ (संशोधन) विधेयक, 1968
(4) पंजाब विनियोग विधेयक, 1968
(5) पांडेचेरी विनियोग विधेयक, 1968
(6) विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1968
(7) बिहार विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1968

**सचिव** : महोदय, मैं पिछले सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा परित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दस विधेयकों की राज्य सभा में सचिव द्वारा विधिवत प्रमाणीकृत प्रतियां सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1968
(2) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक, 1968
(3) मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक, 1968
(4) निक्षेप बीमा निगम (संशोधन) विधेयक, 1968
(5) खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1968
(6) बैंकिंग विधियां (संशोधन) विधेयक, 1968
(7) अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखना विधेयक, 1968
(8) राज्य कृषि ऋण निगम विधेयक, 1968
(9) नागालैंड विधान सभा (प्रतिनिधित्व में परिवर्तन) विधेयक, 1968
(10) बीमा (संशोधन) विधेयक, 1968

## लोक लेखा समिति
## PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

### इकतालीसवां प्रतिवेदन

**श्री मी० रु० मसानी** (राजकोट) : मैं परिहार्य व्यय के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के पैरा 41 पर लोक लेखा समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## प्राक्कलन समिति
## ESTIMATES COMMITTEE

### सत्तरवां प्रतिवेदन

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : मैं रेलवे मंत्रालय में विद्युतीकरण परियोजनाएं—के बारे में प्राक्कलन समिति का सत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

## मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे नियम 198 के अन्तर्गत सर्वश्री पी० राममूर्ति, रवि राय, वासुदेवन नायर, मधु लिमये तथा एस० एम० बनर्जी से मंत्रिपरिषद में अविश्वास के प्रस्ताव का नोटिस मिला है।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a point regarding today's list on business. You have not taken up calling attention motions.

**अध्यक्ष महोदय :** ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना अध्यक्ष-पीठ के क्षेत्राधिकार में है । अब हम अविश्वास प्रस्ताव को लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इस प्रकार है।

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद में अविश्वास व्यक्त करती है"

अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के कारण ये बताये गये हैं—मतदाताओं द्वारा केन्द्रीय सरकार की निर्वाचित सरकारों को गिराने की नीति के विरुद्ध रोष प्रकट करना, शिव सेना तथा लचित सेना इत्यादि जैसे क्षेत्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देना और देश के विभिन्न भागों का संतुलित विकास करने में सरकार की असफलता।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि जो अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति देने के पक्ष में हैं, वे कृपया अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायें।

चूंकि खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है, इसलिये अनुमति दी जाती है।

**Shri Rabi Ray** (Puri) : Mr. Speaker, Sir, my suggestion is that a meeting of the Business Advisory Committee may be called and time should be fixed for taking up this no Confidence Motion.

**अध्यक्ष महोदय :** इस बारे में मुझे सरकार से भी राय लेनी है। पिछली बार विपक्ष ने सरकार को एक घण्टे का भी समय नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार को कायम रहने का तथा काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिये अविश्वास प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा आरम्भ की जाये। सरकार ने विपक्ष की चुनौती स्वीकार कर ली थी और अविश्वास प्रस्ताव पर तुरन्त चर्चा शुरू कर दी गई थी। इस समय मैं सरकार की सलाह लेना चाहता हूं।

**प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** हमें कोई आपत्ति नहीं है हम इसी समय तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यदि विपक्ष को समय की आवश्यकता हो, तो हम इस पर कल चर्चा आरम्भ कर सकते हैं।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : My suggestion is that a meeting of the Business Advisory Committee may be called just after 1 p. m. and time should be fixed for the discussion on this motion.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं

हैं। कार्य संचालन नियमों के अधीन समय का निर्धारण सभा नेता की सलाह से आप द्वारा किया जाता है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur): We can meet after 1 p. m. and decide the time to be allocated for it.

**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रस्ताव को आज 2 म० प० पर लिया जायेगा।

---

## सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक
## CUSTOMS (AMENDMENT) BILL

**वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968 को 3 दिसम्बर, 1968 को लोक सभा में पुरः स्थापित किया गया था। लोक सभा में विधान सम्बन्धी अधिक कार्य होने के कारण उस विधेयक पर विचार नहीं किया जा सका था। जैसा कि सभा को पता है इस बीच 3 जनवरी, 1969 को राष्ट्रपति द्वारा सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 जारी किया गया है। उक्त अध्यादेश में उस विधेयक में मौलिक उपबन्ध शामिल थे। परन्तु अध्यादेश जारी करते समय अध्यादेश में प्रारूप सम्बन्धी कुछ परिवर्तन किये गये थे, ताकि उपबन्धों को स्पष्ट किया जा सके। अब इस अध्यादेश के स्थान पर एक नया विधेयक लाने का विचार है तथा सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968 को हम वापस लेना चाहते हैं। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968 को वापस लेने की अनुमति दी जाये।

**श्री श्रीचंद गोयल** (चण्डीगढ़) : महोदय, यह प्रस्ताव नियम 110 के अन्तर्गत पेश किया गया है, जो इस प्रकार हैं :

विधेयक का भार साधक सदस्य विधेयक के किसी प्रक्रम पर विधेयक को इस आधार पर वापस लेने की अनुमति का प्रस्ताव कर सकेगा कि—

(क) विधेयक में अन्तर्विष्ट विधायिनी प्रस्थापना समाप्त की जानी हैं ; या

(ख) बाद में उस विधेयक के स्थान में एक नया विधेयक लाया जाना है जिससे उसमें अन्तर्विष्ट उपबन्ध में सारवान रूप से फेरबदल हो जायेगी ; या

(ग) बाद में उस विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक लाया जाना है जिसमें अन्य उपबन्धों के अतिरिक्त उसके सभी या कोई उपबन्ध सम्मिलित हों...

मेरा निवेदन यह है कि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक को वापस लेने की अनुमति लेने वाला विधेयक उपरोक्त तीन शर्तों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करता है क्योंकि इस विधेयक की विधायिनी प्रस्थापना को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई

ऐसा विधेयक लाया जा रहा है जिसमें अन्तर्विष्ट उपबन्धों में सारवान रूप से फेर बदल किया गया हो तथा न ही नये विधेयक में कोई अन्य अतिरिक्त उपबन्ध शामिल है जिससे भार साधक सदस्य को इसे वापस लेने की अनुमति दी जा सके।

मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि जब कि वह विधेयक सभा के सामने था तो सरकार अथवा राष्ट्रपति द्वारा इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने का कोई औचित्य नहीं था। यह सच है कि सभा 20 दिसम्बर को स्थगित की गई थी तथा 3 जनवरी को जब अध्यादेश जारी किया गया, उस समय सभा का अधिवेशन नहीं था, परन्तु यह विधेयक सभा की कार्य सूची में शामिल था तथा उसे अगले अधिवेशन में लिया जा सकता था। अतः मैं इस प्रस्ताव का कि सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1968 को वापस लेने की अनुमति दी जाये, कड़ा विरोध करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को, जो 3 दिसम्बर, 1968 को पेश किया गया था, वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री प्र० चं० सेठी :** मैं विधेयक को वापस लेता हूं।

**विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया**

**The Bill was, by leave, withdrawn**

**श्री प्र० चं० सेठी :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है

**Shri Shiva Chandra Jha** (Madhubani): Sir, I have already written to you that I am going to oppose the Customs (Amendment) Bill, 1968 at its introduction stage. I oppose this bill at the introduction stage because it is a very defective bill. It has been stated in the statement of aims and objects attached to the bill that it is being brought forward to check smuggling, whereas the fact is that smuggling is being legalised by this Bill. There are so many exceptions in this Bill and this Bill will result in a heavy increase in smuggling.

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य कृपाकर बैठ जायं। विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने के समय उसके गुणों तथा दोषों की व्याख्या नहीं की जा सकती। केवल संवैधानिक आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**श्री प्र० चं० सेठी :** मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

## दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक
DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL

**संसद् कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरामैया)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली मोटरगाड़ी करारोपण अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**
**The motion was adopted**

**श्री कोत्ता रघुरामैया** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

## जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण विधेयक के बारे में प्रस्ताव
MOTION RE: REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS BILL

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : श्री यशवन्त राव चह्वाण की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संसक्त विषयों की व्यवस्था करने वाले, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विधेयक पर वाद-विवाद, जो 14 नवम्बर, 1968 को स्थगित कर दिया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

पिछली बार जब 14 नवम्बर को इस विधेयक पर बहस हो रही थी तो कुछ माननीय सदस्यों ने खण्ड 10 के उपखण्ड (1) में उल्लिखित "स्वीपर" शब्द का विरोध किया था । "स्वीपर" शब्द का हिन्दी अनुवाद "भंगी" था । भंगी एक अधिसूचित अनुसूचित जाति है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**]

माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुए हमने संशोधन संख्या 8 द्वारा "स्वीपर" शब्द को विधेयक से निकाल दिया है । हमने खण्ड 10 के उपखण्ड (i) के उपखण्ड (ii) को विधेयक से पूर्णतया निकाल दिया है । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अब इस विधेयक से सहमत होंगे । अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर पुनः चर्चा आरम्भ की जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : महोदय, मैं आपका ध्यान इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अन्य तथ्यों की ओर दिलाना चाहता हूं । यह कहना सच नहीं है कि विधेयक पर चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने विधेयक में उल्लिखित केवल "स्वीपर" शब्द पर ही आपत्ति उठाई थी । वास्तविकता यह है कि माननीय सदस्यों ने विधेयक में उल्लिखित कई अन्य महत्वपूर्ण बातों के बारे में भी आपत्ति उठाई थी तथा माननीय मंत्री ने इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करवा दी थी और यह आश्वासन दिया था कि सरकार इस प्रश्न पर फिर से विचार करेगी और पर्याप्त संशोधन पेश करेगी । परन्तु सरकार ने उन महत्वपूर्ण बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया है तथा केवल एक संशोधन को स्वीकार किया गया है । अतः क्या हमें इस विधेयक की सब खामियों पर नये सिरे से चर्चा करनी है, जब कि कार्य सूची में कहा गया है कि केवल संशोधनों पर चर्चा की जायेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : इस समय प्रस्ताव यह है कि विधेयक पर पुनः चर्चा आरम्भ की जाये अतः चर्चा आरम्भ हो जाने के बाद मननीय सदस्य को वे सब बातें कहने की स्वतंत्रता होगी जो पिछली बार नहीं कही गई ।

जब हम वाद-विवाद पुनः आरम्भ करेंगे, तो वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने उसे छोड़ा था, अब मैं वाद-विवाद पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के विनियमन और तत्संसक्त विषयों की व्यवस्था करने वाले, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में विधेयक पर वाद-विवाद जो 14 नवम्बर, 1968 को स्थगित किया गया था, अब पुनः आरम्भ किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

---

## जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण विधेयक—जारा

REGISTRATION OF BIRTHS AND DEATHS BILL—Contd.

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी) : पहले प्रस्तुत किये गये संशोधन का क्या हुआ ?

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : हम आशा करते हैं कि गत सत्र में प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर विचार होगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको पुनः सूचना देनी होगी ।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापतनम) : हमसे फिर सूचना देने के लिये कहने के क्या कारण हैं ? यदि पुराने विधेयक पर चर्चा जारी रहती है, तो हमें अपने संशोधनों की फिर से सूचना देने की आवश्यकता नहीं है अन्यथा हम फिर सूचना देंगे ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने से पूर्व चर्चा के दौरान जिन सदस्यों ने संशोधन पेश किये थे, वे व्यपगत हो चुके हैं और यदि वे उन्हें फिर पेश करना चाहें तो टेबुल आफिस में उनकी औपचारिक सूचना दे दें और मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा। इस बीच वाद-विवाद जारी रहेगा। पहले सरकारी संशोधन पेश किये जायेंगे और मंत्री महोदय यह स्पष्ट करेंगे कि वह क्या निकलवाना चाहते हैं।

वाद-विवाद स्थगित करते समय सभा खण्ड 10 पर विचार-विमर्श कर रही थी जब "भंगी" (स्वीपर) शब्द पर कड़ी आपत्ति की गई थी, इसलिये अब हम खण्ड 10 से वाद-विवाद आरम्भ करेंगे। स्थिति यह है कि सरकार पंक्तियां 8-9 निकलवाने के लिये संशोधन पेश करने की सभा की अनुमति मांग रही है।

कुछ भ्रांति पैदा हो गई थी। स्थिति इस प्रकार है। एक संशोधन अर्थात् "पंक्तियां 8-9 निकाल दी जागें" तब पेश किया गया था और वह सभा के समक्ष था। जब उसे एक बार पेश किया जाता है, तो वह कार्यवाही-वृतान्त का एक अंग बन जाता है, अब दो नये सरकारी संशोधन हैं और मैं मंत्री जी को उन्हें पेश करने की अनुमति दे रहा हूं।

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 10,—

"(iii)" (तीन) **के स्थान पर** "(ii)" (दो) **रखा जाये।**

पृष्ठ 6, पंक्ति 13,—

"(iv)" (चार) **के स्थान पर** "(iii)" (तीन) **रखा जाये।** (10)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह संशोधित रूप में इस खण्ड को पढ़ें ताकि सदस्य उसे समझ सकें।

**श्री के० एस० रामास्वामी :** यदि खण्ड 10 के सम्बन्ध में मेरा संशोधन संख्या 8 स्वीकार किया जाता है तो उप खण्ड (i) का (ii) निकाल दिया जायेगा। इसलिये मेरे संशोधन संख्या 9 तथा 10 केवल आनुषंगिक हैं। (iii) के स्थान पर (ii) और (iv) के स्थान पर (iii) हो जायेगा।

**श्री लोबो प्रभु** ( उदीपी ) **:** मेरा संशोधन पुराने उप-खंड (iv) से सम्बन्धित है जो सरकार को किसी भी व्यक्ति को जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना देने के लिये निर्दिष्ट करने की निरंकुश शक्ति प्रदान करता है। उप खण्ड (1) (iv) को स्पष्ट करना तथा यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि उससे खण्ड 8 को, जो बहुत व्यापक है, पुनरावृत्ति न होने पावे और किसी व्यक्ति को शामिल करने की व्यापक शक्ति प्रदान न की जाये। इसलिये मेरा संशोधन इस आशय का है कि पृष्ठ 6, पंक्ति 15,—खण्ड 10 में "दोनों" शब्द के बाद "खण्ड 8 के अन्तर्गत अधिसूचित न किया गया" शब्द जोड़े जायं। खण्ड 8 स्वतः पूरा तथा व्यापक है। जब

खण्ड 8 सरकार को किसी व्यक्ति तथा स्थान को शामिल करने की व्यापक शक्ति प्रदान करता है, तो फिर खण्ड 10 का विशेषत: उप खण्ड (1) (iv) का, जो सरकार को फिर से व्यापक शक्ति देता है, क्या औचित्य है। मैं मंत्री महोदय से इसका जवाब चाहता हूं।

**श्री देवराव पाटिल** (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

Sir, this is a very important Bill concerning all the countrymen. Among the persons responsible for intimating to Government or the Registrar of Births and Deaths are included the health attendant, the keeper or owner of a place set apart for disposal of dead bodies. Similarly, how a chowkidar can determine the cause of death? I agree that a midwife can say in a restricted way what the cause of death is. But it is not good to cast such heavy burden upon a petty health attendant, chowkidar, keeper or owner of a place etc. who have not the capacity or the qualifications to determine the cause of death. Secondly, this broad clause which gives blanket power to the Government to include any person, if accepted, would create a lot of harassment of the common people in the rural areas. I, therefore, move for the deletion of lines 8 to 12. I want the Hon. Minister to reply to my points.

**डा० रानेन सेन** (बारसाट) : मेरा संशोधन भी लगभग उसी प्रकार का है जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने पेश किया है। मेरा प्रस्ताव है कि खण्ड 10, पृष्ठ 6 में 19 से 22 तक पंक्तियां निकाल दी जायें।

जहां तक मैं समझता हूं, सरकार अथवा जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को सूचित करने के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों में कीपर अथवा शवों के संस्कार के लिये नियत स्थान के मालिक को शामिल किया गया है। लेकिन उनके लिये मृत्यु का कारण बताना कैसे संभव है? जहां तक मिडवाइफ का सम्बन्ध है वह भी कुछ हद तक ही बतला सकती है। इसलिये मेरा संशोधन यह है कि जो व्यक्तियों में मृत्यु का कारण बताने की क्षमता अथवा अर्हताएं नहीं हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानी में न डाला जाय। दूसरी बात इस व्यापक खण्ड के स्वीकार किये जाने पर उस क्षेत्र के आम लोगों के लिये काफी परेशानी उत्पन्न हो जायेगी। इसलिये मैं अपने संशोधन संख्या 16 तथा 17 प्रस्तुत करता हूं।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** (विशाखापतनम्) : कई मामलों में तो मृत्यु के कारण का पता केवल शव-परीक्षा के बाद ही लग पाता है। इसलिये ऐसी भारी जिम्मेदारी हैल्थ एटैन्डैन्ट तथा चौकीदार आदि पर डाल देनी उचित नहीं है। अच्छा यही होगा कि मंत्री महोदय इस मामले पर सावधानी से विचार करें और इस हेतु विधेयक में कोई उचित व्यवस्था करें।

**श्री ई० के० नायनार** (पालघाट) : खण्ड 10 में उप खण्ड (3) के बाद भूख से मृत्यु के बारे में एक और खण्ड जोड़ा जाना चाहिए। सरकारी आकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भूख के कारण आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई है। भूख से जितनी भी मौतें हुई हैं उनका कारण कोई न कोई बीमारी बताई गई है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोजन के लिये एक नया उप-खण्ड जोड़ा जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत ऐसी मौतें रिकार्ड की जा सकें।

**Shri Om Prakash Tyagi** (Moradabad) : Sir, under clause 10, responsibility to report deaths and births to the concerned authorities has been imposed on midwives and medical or health attendants. But in most of the villages in the country there is no midwife or medical attendant available. At the same time it is not necessary that members of every family will get the births and deaths registered, In this connection, I would like to invite the attention of the Government to this fact that there is one person who definitely attends to every birth and death in every family—whether it is a Hindu family, Muslim family or a christian family throughout the country in order to perform religions duties at birth and death and the person is a religious priest therefore my amendment seeks to include religious priests also such as **purohits, maulvis** and **padris** in this category. I am happy that the word "Sweeper" has already been omitted by the Government.

My amendment, if accepted, would help a lot to achieve the objects of the Bill. I hope the Hon. Minister will give a careful consideration to what I have suggested.

I beg to move my amendment No. 15.

**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी)** : खण्ड 8 कुछ लोगों पर जन्म तथा मृत्यु के बारे में सूचना देने की कानूनी जिम्मेदारी डालता है। खण्ड 10 के अन्तर्गत, उन व्यक्तियों को जिन्हें जन्म तथा मृत्यु के बारे में जानकारी हो, सम्बन्धित अधिकारियों को बताना पड़ेगा। ऐसे भी मामले होते हैं जहां लावारिस आदमी मरते हैं, और ऐसा आदमी अस्पताल में भी मर सकता है। तो ऐसी स्थिति में मेडिकल आफिसर अथवा एटैन्डैन्ट को जानकारी देनी पड़ेगी और ऐसे मामलों में उन्हें केवल जानकारी ही देनी है। जहां दुहरी जानकारी प्राप्त हो, वहां रजिस्टरिंग अधिकारी जानकारी का मिलान तथा सत्यापन करेगा।

यह सच है कि हर व्यक्ति मृत्यु का कारण नहीं मालूम कर सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी व्यक्ति सूचना दे उसे मृत्यु का कारण भी बताना पड़ेगा। केवल वही व्यक्ति नियमों में निर्धारित तरीके से मृत्यु का कारण देंगे जो कि उसके बारे में जानते हों। इससे किसी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी। पुरोहित, मौलवी तथा पादरियों को इस वर्ग में शामिल करना संभव नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : सभी संशोधन की नये सिरे से सूचनाएं दी गई हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वे सभी परिचालित किये गये हैं अथवा नहीं। इसलिये उन्हें इस समय सभा के मतदान के लिये रखना संभव नहीं है। इसलिये मैं विधेयक के खण्डों तथा संशोधनों को अगले अवसर पर सभा के मतदान के लिये रखूंगा।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे (म० प०) तक के लिए स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2 बजकर 3 मिनट (म० प०) पर पुनः समवेत हुई ।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock**

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**
**[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]**

---

## मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव —जारी
## MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है ।"

यह कहा जाता है कि हर सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाना एक प्रथा सी बन गई है । लेकिन मैंने इस प्रस्ताव को केवल तीन विशेष घटनाओं तक ही सीमित रखा है । सबसे पहले मैं शिव सेना सम्बन्धी घटनाएं सामने रखूंगा । हम सब जानते हैं कि पिछले एक सप्ताह से बम्बई में क्या हो रहा है, सम्पत्ति कैसे जलायी गई है, और पिछले एक सप्ताह में बम्बई के लोगों के एक वर्ग पर शिव सेना कैसे छा गई है, कैसे टूट पड़ी है । सैकड़ों जलपान-गृह जला दिये गये हैं, हजारों गैर-महाराष्ट्र भाषा-भाषी लोगों को रोजगार से हटा दिया गया है और बेघर-बार बना दिया गया है जो आज गलियों में ठोकरें खा रहे हैं । 25 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई है । 25 अगस्त, 1967 को भी बम्बई भर में ऐसी एक लहर—विध्वंस की लहर दौड़ी थी जिसकी गम्भीरता का आभास करते हुए भारत के साम्यवादी दल (मार्किसस्ट) ने श्री उमानाथ, संसद सदस्य को और मद्रास के स्वर्गीय मुख्य मंत्री श्री अन्नादुरै ने संसद सदस्य श्री कृष्णमूर्ति को शिव सेना की गति-विधियों तथा स्थिति का अध्ययन करने के लिये बम्बई भेजा था और उन्होंने अपने-अपने पक्षों को संयुक्त रिपोर्ट दी । संसद् का उस समय सत्र चल रहा था, हमने प्रधान मंत्री तथा गृह-कार्य मंत्री को वह रिपोर्ट पेश की और सारी स्थिति पर विचार करने तथा उचित कार्यवाही करने का उनसे अनुरोध किया । यह दक्षिण भारतीय बनाम उत्तर भारतीय का प्रश्न नहीं है । हमें महाराष्ट्री लोगों तथा वहां के श्रमजीवी वर्ग के विरुद्ध कोई ईर्ष्या नहीं है । दुर्भाग्यवश, महाराष्ट्री लोगों तथा महाराष्ट्री श्रमजीवी वर्ग के नाम पर एक घृणित, निन्दनीय तथा जहरीला प्रचार किया जाता है कि इस देश के कुछ अन्य नागरिकों के कारण महाराष्ट्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है । ऐसा प्रचार कई महीनों से करने दिया जा रहा है ।

दक्षिण भारतीयों के विरुद्ध श्री बाल थैकरसे ने खुले आम लोगों को भड़काया और खुले आम नोटिस दिया कि यदि फलां-फलां तारीख तक गैर-महाराष्ट्री मजदूर तथा दुकानदार बम्बई

शहर से अपना बोरा-बिस्तर उठाकर चल नहीं देते, तो दूसरे दिन उन पर हमला किया जायेगा और यह बात शिव सेना द्वारा चलाये जा रहे "मार्मिक" में छपी है। पुलिस जो आम सभाओं में हमारे भाषणों को नोट करने के लिये अपने आशुलिपिक हमारे पीछे-पीछे भेजा करती है, इन लोगों के सामने शक्तिहीन है।

खुले तौर पर ये सब बातें उनके अखबारों में छपीं, श्री उमानाथ ने इन सब कतरनों की प्रतियां दो वर्ष पूर्व प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को भेजी थीं। वहां दक्षिण भारतीयों के मन में जो भय और असुरक्षा की भावना फैली हुई है, उसका मुख्य कारण पुलिस वालों द्वारा जान-बूझकर शिव सेना की तरफदारी करना और दक्षिण भारतीयों के प्रति दुर्भावना है। पुलिस वालों से सुरक्षा मांगी जाती है परन्तु फिर भी उन पर आक्रमण होते रहते हैं और पुलिस वाले देखते रहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। फिर भी इसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जब गैर-मराठा कर्मचारी, दुकानदारों को यह धमकी दी गई थी कि यदि अमुक तिथि के अन्दर वे अपने स्थानों से नहीं चले गये, तो उन पर आक्रमण किया जायेगा, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध किया। हमने केवल यह मांग की थी कि इस देश के सामान्य नागरिकों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाये परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया।

जब लूट-मार की घटनाएं हो रही थीं, तो उन्होंने इसको रोकने की कोशिशें क्यों नहीं कीं ? कुछ मामलों में उन्होंने शिव सेना के साथ सांठ-गांठ की ताकि दक्षिण भारतीयों से बदला लिया जाये, दक्षिण भारतीयों को पीटा गया तथा उन्हें जेल में बन्द करके झूठे आरोप लगाए गए। सरकार ने इन सबको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ? यह सब बातें श्री वी० के० कृष्ण मेनन के चुनाव लड़ने के समय से आरम्भ हुईं, आखिर सरकार शिव सेना के विरुद्ध कार्यवाही क्यों करेगी जबकि वह मराठी लोगों को गैर-मराठी लोगों के विरुद्ध भड़का रही है। शिव सेना ने लोगों से कहा कि वे श्री कृष्ण मेनन को वोट न दें और उनके समर्थन करने वालों के मकान जला दिए जाएं। क्या श्री चह्वाण यह बतायेंगे कि उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, जिन्होंने गैर-मराठी लोगों पर घातक हमले किये तथा ऐसे कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये जा रहे हैं, जिन्होंने दुकानों को लूटा तथा झोपड़ियों को जलाया। वे कृपया ऐसे मामलों की सूची बतायें, जिन पर कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं। महाराष्ट्र की पुलिस ने इस प्रश्न में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई है ?

जब भी कार्मिक संघ की हड़ताल होती है तो तुरन्त यह कहानियां गढ़ी जाती हैं कि साम्यवादी हिंसा पर उतारू हो गए हैं। परन्तु यहां जब खुले आम लोगों को भड़काया जा रहा है तो कुछ भी नहीं किया जा रहा है, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? मैं कांग्रेस दल और कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगाता हूं कि उनका इन आक्रमणों में हाथ है।

शिव सेना 'मार्मिक' नाम का एक अखबार निकालती है। कई महीनों से वह उत्तेजनात्मक समाचार छापता रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री के ध्यान में यह बातें हैं परन्तु फिर भी इस अखबार की जयन्ती के अवसर पर वे अतिथि के रूप में शामिल होते हैं।

शिवा सेना के तत्वावधान में 'अंधा आदमी पीसता है और कुत्ता खाता है' नामक एक नाटक खेला गया। कुत्ते से उनका तात्पर्य दक्षिण से आये लोगों से था। इस नाटक को आवश्यकता से अधिक तूल दिया गया। उसका खूब विज्ञापन किया गया। स्वयं महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने नाटक देखा। इस नाटक से साधारण लोगों के हितों को क्षति पहुंची। इससे उद्योगपतियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव सेना का लक्ष्य जनसाधारण होते हैं, बिड़ला, टाटा या पोद्दार नहीं, जो महाराष्ट्र के हैं। श्री बसन्त राव ने न केवल नाटक देखा बल्कि शिव सेना को आशीर्वाद भी दिया। इसके अतिरिक्त एक मराठी भाषा के समाचार पत्र 'मार्मिक' को बधाई देते हुए श्री बसन्तराव ने अपने भाषण में यह कहानी सुनाई कि गांव वाले अपने ही गांव के बनिये की दुकान तो चलने नहीं देते परन्तु गांव के बाहर से आये व्यक्ति की दुकान चलने में मदद करते हैं जिससे वह बाहर से आने वाला व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है। इस कहानी के आधार पर उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति हमें भविष्य में नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हमारी अनेक समस्याएं सुलझ जायेंगी। यह समाचार-पत्र एक ऐसा समाचार-पत्र है जो मराठी न बोलने वालों के खिलाफ जहर उगलता है। इन उदाहरणों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस सरकार किस प्रकार से शिव सेना जैसे फासिस्ट संगठनों को बढ़ावा दे रही है।

'बाहर से आने वालों' से तात्पर्य था महाराष्ट्र राज्य में देश के अन्य भागों से, मुख्यतः दक्षिण भारत से आने वाले लोग। इस प्रकार के भाषणों से या शिवसेना जैसे संगठनों को बढ़ावा देने से मराठी लोगों और महाराष्ट्र में बाहर से आने वाले लोगों की भावनाओं को भड़काया जाता है। शिवसेना को कांग्रेस सरकार बढ़ावा दे रही है। इसके अतिरिक्त शिवसेना को बड़े-बड़े उद्योग-पतियों का समर्थन प्राप्त है। श्री पोद्दार और रामकृष्ण बजाज आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं। ये बड़े उद्योगपति तोड़-फोड़ की कार्यवाही में रुचि लेते हैं। वे छोटे व्यापारियों को लुटवाते हैं। वे केवल अपनी सम्पत्ति की चिन्ता करते हैं, जन-सम्पत्ति की नहीं। एक बार 'इण्डियन एक्सप्रेस' ने अपने सम्पादकीय में शिव सेना की निन्दा की थी, तभी श्री रामकृष्ण बजाज ने टेलीफोन से उक्त समाचार के अधिकारियों से बातचीत की और उनसे ऐसा न करने के लिये कहा। 'स्टेट्समैन' में स्वयं बम्बई के कुछ उद्योगपतियों ने एक इस आशय का वक्तव्य प्रकाशित करवाया कि बम्बई शहर प्रायः उन्मत्त उत्पात का शिकार होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिये कौन जिम्मेदार है। क्या बड़े उद्योगपतियों ने कभी शिव सेवा की गतिविधियों की भर्त्सना की है ? कभी नहीं। साथ ही महाराष्ट्र सरकार भी उसके साथ दृढ़ता से व्यवहार नहीं करती। यही नहीं, साम्यवादियों पर यह आरोप लगाया जाता है कि शिव सेना के आन्दोलन से साम्यवादी और राष्ट्र विरोधी तत्व लाभ उठा रहे हैं। अराजकता की स्थिति में भी उन्होंने शिव सेना की भर्त्सना नहीं की।

शिव सेना के संस्थापक श्री बाल थैंकरसे हिटलर का प्रशंसक है और वह स्वयं भी दूसरा हिटलर बनना चाहता है। महाराष्ट्र सरकार ने बाल थैंकर से को अनावश्यक महत्व दिया है। जेल के अन्दर से उससे वक्तव्य लिया गया और उसे सरकार ने जारी किया, जबकि अन्य लोगों पर जेल में रहने के समय अनेक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। जब मैं जेल में बन्द था तो मेरे अपने सम्बन्धियों से मिलने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया था। थैंकरसे का वक्तव्य यह था कि "किसी भी कीमत पर साम्यवादियों को ऐसा अवसर न दिया जाये कि वे हमारे संघर्ष से अनुचित लाभ उठा सकें।" कितने दुख की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बम्बई में हुई हिंसात्मक घटनाओं का उल्लेख मात्र भी नहीं किया गया है। मेरा तो ऐसा विचार है कि महाराष्ट्र सरकार चुनाव जीतने के लिए शिव सेना का प्रयोग करती है।

मैं यह भी मानता हूं कि शिव सेना की समस्या एक राजनैतिक समस्या है और इसे प्रशासनिक स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता। मैंने प्रधान मंत्री से यह अनुरोध किया था कि इस समस्या के समाधान के लिये हम सहयोग देने को तैयार हैं परन्तु प्रधान मंत्री हमारी बात कैसे मानतीं क्योंकि उनका दल ही तो ऐसे संगठनों को प्रोत्साहन दे रहा है। आज 20 वर्ष की अवधि बीत जाने पर भी कांग्रेस सरकार महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद का निपटारा नहीं कर सकी है। इसका कारण यह है कि वह इस प्रकार के विवादों को हल करने सम्बन्धी आदर्श स्थापित करने में असमर्थ रही है।

तेलंगाना के प्रश्न का मैं विस्तार से जिक्र नहीं करना चाहता। तेलंगाना एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है और उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये राज्यों का पुनर्गठन करते समय एक करार किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप एक क्षेत्रीय परिषद बनाई गई थी। तत्पश्चात् तेलंगाना के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक कानून बनाया था। उसे लागू करने की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय सरकार की थी परन्तु उसने यह देखने का कभी कष्ट नहीं किया कि उस कानून का वास्तव में पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। आज आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने यह बताया है कि तेलंगाना आन्दोलन के पीछे कुछ असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का हाथ है। ये असंतुष्ट राजनीतिज्ञ वे कांग्रेसी हैं जिन्हें आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेसी सरकार में मंत्री पद नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन असंतुष्ट राजनीतिज्ञों का पता लगाने और उनके नामों की जनता के सामने घोषणा करने में श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी क्यों हिचकते हैं। जो राजनैतिक दल अपने सदस्यों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने में भी असमर्थ हो वह देश में कैसे स्थिर सरकार बना सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। 1967 के आम चुनाव के बाद पश्चिमी बंगाल, बिहार और पंजाब में गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिये जैसे जोड़-तोड़ कांग्रेस ने किये, वे बहुत ही निम्न स्तर के थे। जनता धीरे-धीरे कांग्रेस का परित्याग करती जा रही है और करती जायेगी। यदि कांग्रेस अपनी डावांडोल स्थिति को सम्भालना चाहती है तो उसे अन्तर्दर्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसने अपने प्रशासनकाल में कौन-कौन से ऐसे काम किये हैं जिनके कारण जनता उनसे रुष्ट हो गई है।

पश्चिमी बंगाल राज्य के बारे में नक्सलबाड़ी और घेराव के सम्बन्ध में जितनी मनगढ़न्त कहानियां बनाई गईं वे सब केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रालय में गढ़ी गईं। कारण स्पष्ट है। कांग्रेस साम्यवादियों के खिलाफ यह प्रचार करना चाहती थी कि घेराव के परिणामस्वरूप उत्पादन में जो कमी हुई है, उसके लिये साम्यवादी जिम्मेदार हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1957 में 67,000 श्रमिक दिन नष्ट हुए थे, जबकि तालाबन्दी के कारण 35 लाख काम के दिन नष्ट हुए। चूंकि श्रमिक छंटनी के लिए तैयार न थे इसलिये सरकार को तालाबन्दी करनी पड़ी। सरकार ने इनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। जब साम्यवादियों ने छंटनी को रोकने की बात कही, तो उन्हें देशद्रोही बताया जाने लगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि में बिहार के 60,000 पटसन कर्मचारियों की छंटनी की गई और उन्हें बेरोजगार कर दिया गया। हमने श्रमिकों को केवल यह सलाह दी थी कि वे छंटनी को रोकने के लिये संघर्ष करें। मैंने सभा में यह संकल्प भी रखा था कि पश्चिमी बंगाल में पुनः चुनाव कराये जायें, जिससे यह पता चल जाये कि जनता किसके साथ है। परन्तु यह बात पहले स्वीकार नहीं की गयी और दलबदलुओं के सहयोग से कांग्रेसी सरकार वहां बनायी गयी, जिसे पश्चिमी बंगाल की जनता ने स्वीकार नहीं किया। अन्ततः वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। उपरोक्त बातों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धी देश की अर्थव्यवस्था आदि के सम्बन्ध में इस सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं, उनमें अब परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु कांग्रेस सरकार इस बात को अनुभव नहीं कर रही है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार और उसके कर्मचारियों के सम्बन्धों पर प्रकाश डालते हुए संयुक्त परामर्श समिति और अनिवार्य पंचनिर्णय का उल्लेख किया है और सरकार की ओर से इस व्यवस्था में विश्वास प्रकट करते हुए यह भी बताया है कि सरकारी कर्मचारियों के विवादों को निपटाने के लिये यह सर्वोत्तम व्यवस्था है। वस्तुतः स्थिति यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपने विवादों को हल करने के लिये अनिवार्य पंचनिर्णय की मांग की और उसे स्वीकार नहीं किया गया।

सरकार का अब कहना है कि उसको संयुक्त सलाहकार व्यवस्था तथा अनिवार्य मध्यस्थता में पूर्ण विश्वास है। परन्तु सरकार मध्यस्थता अपने ही इच्छा के मामलों पर कराना चाहती है अन्य मामलों पर नहीं। सरकार की अब तक जो नीति रही है उसके फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कम से कम 10,000 कर्मचारी अभी तक बेकार हैं। जब तक सरकार अपनी मूल नीति में परिवर्तन नहीं करती उससे किसी अच्छे काम की आशा नहीं की जा सकती।

यह सरकार लोगों द्वारा चुने गये मंत्रिमण्डलों को बर्खास्त करने के लिये संविधान की अनोखी विवेचना से राज्यपालों का प्रयोग करती है। लोगों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध सरकार थोपने के लिए पुलिस तथा सेना का प्रयोग करती है। देश में अपनी नीतियां लागू करने के लिए यह सरकार हिंसा पर भी उतारू हो जाती है।

आसाम में जो कुछ हुआ उससे हम सब लोग परिचित हैं । गणतंत्र दिवस समारोहों के दौरान जब राष्ट्रीय झण्डे को पावों तले रौंदा जा रहा था, तो पुलिस खड़ी देख रही थी । हमारी सरकार अपने संकीर्ण हितों के पोषण के लिए राष्ट्रीय ध्वजा का अपमान करने से नहीं हिचकिचाती । अपने हितों के लिए सरकार समाज के एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा लेती है । इस सरकार के कुछ महत्वपूर्ण लोग देश में फासिस्टवादी नीतियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं परन्तु सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । इसके बावजूद भी सरकार राष्ट्रीय एकता की बात करती है । मैं जानता हूं कि सरकार का सभा में बहुमत है और यह प्रस्ताव अस्वीकृत हो जायेगा परन्तु यदि लोगों के अन्तःकरण को जगाया गया और लोगों को इन मामलों पर राय देने के लिए कहा गया तो यह सरकार समाप्त हो जायेगी ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा मंत्रिपरिषद् में विश्वास का अभाव प्रकट करती है" ।

**श्री रा० ढो० भण्डारे** (बम्बई मध्य) : साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेता के लिए इस प्रकार का रवैया अपनाना स्वाभाविक है क्योंकि उन्होंने हाल में पश्चिमी बंगाल में चुनाव जाता है । परन्तु उन्होंने यहां पर तथ्य रखने के बजाय सरकार पर झूठे आरोप लगाये हैं ।

उनका कहना है कि कांग्रेस ने राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को तोड़ा है । सर्वप्रथम मैं बंगाल का ही मामला लेता हूं । यह सच है कि संयुक्त विधायक दल की सरकार ने इन पी० सी० घोष तथा सतरह अन्य सदस्यों ने संयुक्त मोर्चा सरकार से त्यागपत्र दे दिया था और वे इससे अलग हो गये थे । उन्होंने राज्यपाल को कहा था कि वे अब संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन नहीं करेंगे । राज्यपाल के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि वह मुख्य मंत्री को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने अथवा त्यागपत्र देने को कहते । परन्तु मुख्य मंत्री ने त्याग-पत्र नहीं दिया और न ही सभा का सामना किया । वह पश्चिम बंगाल के प्रशासन को बिना बहुमत के ही चलाना चाहते थे । इस प्रकार वह संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे थे और साथ-साथ ही लोकतंत्र का नाम भी ले रहे थे । इसके पश्चात् वहां के कांग्रेस दल को सरकार बनाने के लिए कहा गया । संवैधानिक उपबन्धों तथा सिद्धान्तों के अनुसार कहा कि वे सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं तब फिर वहां पर मतदान हुआ और उसके परिणाम हमारे सामने हैं । आंकड़ों से पता लगता है कि कांग्रेस को पहले से अधिक मत मिले हैं । अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में संयुक्त मोर्चे के उम्मीदवारों की अपेक्षा कांग्रेस के उम्मीदवारों को अधिक मत मिले । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि मजदूर वर्ग ने कांग्रेस को बिल्कुल भी मत नहीं दिये हैं ।

**श्री योगेन्द्र शर्मा** (बेगूसराय) : माननीय सदस्य किस चुनाव की बात कर रहे है 1967 के अथवा 1969 के चुनाव की ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने तथ्यों तथा आंकड़ों का उल्लेख किया है। आप इनको स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकते हैं।

**श्री रा० ढो० भण्डारे** : कांग्रेस के लिए उस दल का समर्थन करना स्वाभाविक था, जो वहां पर सरकार बनाना चाहता था क्योंकि वह स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहती थी। अतः कांग्रेस दल ने डा० पी० सी० घोष का समर्थन किया।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन के पृष्ठ पांच पर लिखा है कि श्री अजय मुकर्जी तथा श्री ज्योति बसु ने मुझसे राष्ट्रपति का शासन लागू कराने की सिफारिश करने के लिये कहा है। उन्होंने कहा कि यदि मैं ऐसा करता हूं तो वे अपना आन्दोलन वापस ले लेंगे। अतः यह बात सिद्ध हो जाती है कि स्वयं श्री अजय मुकर्जी तथा श्री ज्योति बसु ने राष्ट्रपति का शासन लागू कराने के लिए राज्यपाल को कहा था। अतः यह कहना उचित नहीं कि कांग्रेस ने वहां की सरकार को तोड़ा था।

जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, वहां पर सरदार गुरनाम सिंह ने राज्यपाल को राष्ट्रपति का शासन लागू किये जाने की सिफारिश करने के लिये कहा था। अतः वहां भी सरकार को हटाने में कांग्रेस का कोई हाथ नहीं था।

जहां तक प्रादेशिक असंतुलन का सम्बन्ध है, किसी एक उदाहरण को इसलिए नहीं लिया जाना चाहिए कि वहां के लोग शोर अधिक करते हैं। प्रादेशिक असंतुलन विकासोन्मुख सभी देशों में पाया जा सकता है। विकसित देशों में भी लोग विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलन की आवाज उठाते हैं। लोगों की इच्छाओं में एक क्रान्ति सी उत्पन्न हो गई है। वे कुछ अधिक चीजों की अपेक्षा करने लगे हैं। यही कारण है कि फ्रांस जैसे विकसित देश में भी क्षेत्रीय असंतुलन की बात उठाई जाती है। एक बात यह भी है कि सरकार कुछ वचन देती है परन्तु वह देश की आर्थिक स्थिति के कारण यदि पूरा नहीं कर पाती, तो भी लोग सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं और क्षेत्रीय असंतुलन की बात कहने लगते हैं। कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें हैं परन्तु मुझे सन्देह है कि वे क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर सकेंगी। देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही प्रादेशिक असंतुलन को दूर किया जा सकता है। यदि ये लोग सरकार के त्यागपत्र से संतुष्ट होते हों, तो यह एक पृथक बात है। मुझे इस बात में सन्देह है कि विरोधी दल इस देश की सरकार चला सकेंगे।

जहां तक शिव सेना का सम्बन्ध है, मैंने आरम्भ से ही इसकी आलोचना की है। मैंने इसका कभी समर्थन नहीं किया है। अतः मुझे शिव सेना का जनरल बताना उचित नहीं है। यह कहना भी गलत है कि दक्षिण अथवा उत्तर वासियों पर ही आक्रमण किये गये हैं। जहां तक मेरे चुनाव क्षेत्र का सम्बन्ध है, वहां पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। मराठी बोलने वाले लोगों में भी यह भावना बढ़ती जा रही है कि ऐसे फासिस्ट संगठन को उन्नति करने की अनुमति

नहीं दी जानी चाहिए । अतः प्रत्येक व्यक्ति महसूस करता है कि इसकी गतिविधियों की निन्दा की जानी चाहिए । अत: इस विषय पर सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का कोई अर्थ नहीं है । हम सबको लोगों के पास जाकर बताना चाहिए कि इस प्रकार के प्रादेशिक संगठन का वे समर्थन न करें । हम लोगों को यह भी बता सकते हैं कि प्रादेशिक असंतुलन दूर करने में कुछ समय लगता है । साधारण घटनाओं से लोगों को राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए ।

जहां तक अविश्वास प्रस्ताव का सम्बन्ध है विरोधी दलों को इस शक्तिशाली हथियार का प्रयोग करने का ढंग सीखना चाहिए । अत: मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

**श्री नारायण दाण्डेकर** (जामनगर) : सभा यह जानना चाहेगी कि हमारा दल इस अविश्वास के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में सम्मिलित क्यों नहीं हुआ । यह एक नियमित कार्य हो गया है । इस प्रस्ताव का कोई लाभ नहीं था विशेषकर जबकि अब बजट सत्र में हमें सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए अनेक अवसर मिलने वाले हैं ।

लन्दन में 7 जनवरी को भारतीय मूलक लोगों के समक्ष बोलते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि गत 21 वर्षों में देश को ऊंचा उठाने के प्रयत्न किये गये हैं और ये प्रयत्न सफल भी हुए हैं । मेरे विचार में वहां किसी व्यक्ति में इस बात से इन्कार करने की शक्ति नहीं थी । परन्तु यदि कोई व्यक्ति देश के किसी सामान्य व्यक्ति से ऐसे भाषणों के बारे में पूछे तो वह इस जमाने की इस कहावत से सहमत होगा कि रोटी नहीं, मक्खन नहीं, अण्डे नहीं परन्तु देश में प्रधान मंत्री के लिए नया मकान अवश्य है ।

देश की स्थिति के बारे में आम व्यक्ति की राय का बम्बई में एक दीवाल पर लगाये गये इस पोस्टर से भी लगता है जिसमें लिखा था कि नव वर्ष पर आयकर, अधिभार, विशेष अधिभार, धन कर, उपहार-कर, संपदा शुल्क, निगम कर, कम्पनी अधिकर, बिक्रीकर, पी-फार्म और मद्य-निषेध, जल की कमी, आनाज की कमी, जल विवाद, भाषा विवाद, क्षेत्रीय विवाद, जनसंख्या में वृद्धि मुबारक हो ।

अत: इन बातों को लेकर ही मैं देश की स्थिति के बारे में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों के बारे में कुछ कहूंगा । जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, देश में कुछ मिली जुली सी स्थिति है । गुजरात, राजस्थान तथा उड़ीसा के कुछ भागों में सूखा, अकाल तथा बाढ़ आई है । इसमें सन्देह नहीं कि अन्य क्षेत्रों में फसल अच्छी हुई है । राजस्थान में विद्यमान स्थिति से दलगत लाभ उठाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

कृषि-आयकर के बारे में यह कहा गया है कि यह कर केवल कुछ समृद्ध किसानों पर ही लगाया जायेगा परन्तु गत बीस वर्षों के इतिहास से पता लगता है कि इस सरकार ने किसानों में गरीबी बांटने के अतिरिक्त कुछ नहीं किया है ।

इस देश की ग्रामीण जनता, जिनमें किसान, कृषक तथा भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं, देश की कुल जनसंख्या का 80 प्रतिशत है। क्योंकि हम सभी के लिये समृद्धि नहीं ला सके, तो क्या देश की ग्रामीण जनता के कुछ ऐसे भागों को, जो कि समृद्ध हैं, इसके लिए दंड दिया जाना चाहिये। जहां जहां अब समृद्धि है, उसे बने रहने देना चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इस सभा के समक्ष एक विशिष्ट प्रस्ताव है और माननीय सदस्य को अपना भाषण उसी तक सीमित रखना चाहिये।

**श्री नारायण दांडेकर :** सभी लोगों को आशा होने लगी थी कि औद्योगिक प्रगति शुरू होने वाली है। परन्तु अब हम देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। सारे देश में नये औद्योगिक उपक्रमों, वर्तमान उपक्रमों के विविधिकरण तथा उनके विस्तार के लिये 1500 से 2000 के बीच आवेदन-पत्र निलम्बित हैं तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय में पड़े हुए हैं। औद्योगिक विकास मंत्री श्री फरूरुद्दीन अली अहमद या तो जानते नहीं कि औद्योगिक विकास क्या है अथवा वह नहीं चाहते कि औद्योगिक विकास हो अथवा उन्हें कहीं से निदेश मिल रहे हैं कि औद्योगिक विकास न होने दिया जाये।

पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, औद्योगिक विकास मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा ऐसे सभी मंत्रालयों में, जिनमें औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस अथवा अन्य प्रकार के लाइसेंस दिये जाते हैं, विलम्ब से काम लिया जा रहा है, निर्णय नहीं लिया जाता है और मामले को इधर से उधर भेजा जाता है। जब तक उद्योग मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की नीतियां चलाई जाती रहेंगी तब तक औद्योगिक विकास नहीं हो सकेगा।

तेलंगाना तथा बम्बई में जो भी घटनायें हुई हैं, उनकी घोर निन्दा की जानी चाहिये। स्वतंत्र दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इसकी निन्दा की है। बम्बई की स्थिति के बारे में हमारी भावनाओं के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। शिक्षा, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में भाषा के प्रश्न तथा खेलों में भी राजनीति को लाया जा रहा है। रेडियो तथा टेलिविजन में कांग्रेस दल का प्रचार किया जा रहा है।

राजनैतिक दल और विशेष रूप से कांग्रेस राजनैतिक स्तर पर वित्तीय भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। इन चुनावों में मंत्रियों ने कांग्रेस दल के लिये पर्याप्त धन जमा किया है।

**[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए**
**Shri R. D. Bhandare in the Chair]**

केन्द्रीय सरकार के उच्च स्तर के मंत्री भी पिछले चुनावों में कांग्रेस के लिये धन देने के लिये लोगों के बाध्य करते रहे हैं।

राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में भारतीय मूलक ब्रिटिश तथा अफ्रीकी नागरिकों की समस्या तथा

गोरों तथा कालों दोनों द्वारा उनके विरुद्ध किये जाने वाले भेदभाव का कोई हल नहीं निकाला जा सका क्योंकि प्रधान मंत्री को राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में उनका पक्ष लेने का साहस ही नहीं हुआ। हमें पाकिस्तान में हो रही घटनाओं को भी पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिये क्योंकि ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि तानाशाह युद्ध के मार्ग पर चल पड़े। जब हम पाकिस्तान तथा चीन की संधि के बारे में तथा अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के बारे में विचार करते हैं तो हमें प्रतिरक्षा मंत्री के इस वक्तव्य पर हंसी आती है कि हम बिना किसी की सहायता के इन दोनों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे प्रधान मंत्री के इस सुझाव को भी कि हमें चीन के साथ विवाद निपटाने के लिये उससे पुनः बातचीत आरम्भ करनी चाहिये, ध्यान से देखना होगा। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने पहले तो कहा था कि हम अपनी एक इन्च भी भूमि नहीं देंगे परन्तु बाद में कहा कि हम कोलम्बो योजना से कम कोई बात मानने के लिये तैयार नहीं। परन्तु वर्तमान प्रधान मंत्री तो वास्तविक स्थिति को कानूनी रूप देना चाहती हैं।

शेष दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थिति क्या है। जब प्रधान मंत्री से राज्य सभा में पूछा गया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र से ब्रिटेन के निकलने को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर उनके विचार क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार खाली हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति इस क्षेत्र के देशों को सुदृढ करके की जा सकती है। सिंगापुर तथा मालया के साथ सं युक्त प्रतिरक्षा प्रबन्ध करने में पहल करने के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया कि मैं नहीं समझती कि इससे कोई लाभ होगा। एक और प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हमारे निकटवर्ती देशों में जो कुछ हो रहा हो, उससे हमारा गहरा सम्बन्ध है। हम समझते हैं कि किसी देश को अन्य देशों में सैनिक अड्डे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह उत्तर कैसा है। मैं नहीं समझता कि वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय अथवा भारत सरकार ने किसी अन्य मंत्रालय में पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन के इस क्षेत्र से निकलने और अमरीका के इस क्षेत्र से निकलने की दृष्टि से दक्षिण-पूर्वी एशिया की स्थिति को समझा जाता है।

अब मैं अपने आप से पूछता हूं कि क्या यह सरकार अब सरकार चलाने के लिये सक्षम है। क्या मामलों में विलम्ब करने के अतिरिक्त भी इस सरकार की कोई नीतियां हैं? यह सरकार प्रत्येक कार्य में विलम्ब करना चाहती है।

**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : चाहे कुछ भी परिस्थितियां हों, यह एक विरोधी पक्ष का नियमित प्रस्ताव है, जैसाकि पूर्व वक्ता ने कहा है। परन्तु श्री नारायण दांडेकर ने ऐसे भाषण दिया है, जैसे अमरीका का राष्ट्रपति देश की स्थिति के बारे में सामान्य निर्वाचन से पहले सरकार के कार्यक्रम और नीति के बारे में समूचे राष्ट्र को सम्बोधित कर रहा हो।

जब से यह लोग संसद् में आये हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना उनकी आदत सी बन गई है। उनके प्रस्ताव के पक्ष में केवल 50 सदस्य खड़े हुए हैं, फिर भी वे कोई अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ऐसा करने का उन्हें अधिकार है, परन्तु इसमें कुछ शिष्टता तो होनी चाहिये।

इसका उद्देश्य केवल यही है कि अपनी सफलता का ढिंढोरा पीटा जाये। बंगाल में कुछ दलों को कुछ स्थान मिल गये हैं परन्तु अन्य स्थानों पर उनकी पराजय हुई है। कांग्रेस को अपेक्षाकृत अधिक मत मिले हैं।

केरल में लगभग चालिस हजार व्यक्तियों की एक गोपाल सेना है। वे पूरी तरह प्रशिक्षित हैं और वर्दी पहनते हैं। क्या कांग्रेस सरकार अथवा श्री चह्वाण ने गोपाल सेना अथवा मार्क्सिस्ट साम्यवादी दल को अवैध घोषित किया है। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो शिव सेना के साथ वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि मैं शिव सेना अथवा उसकी गतिविधियों का समर्थन कर रहा हूं। खेद की बात यह है कि सभी दल उसी व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, जिसके समुदाय का निर्वाचन क्षेत्र में बहुमत हो। ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होने पर अपने समुदाय को भूल नहीं सकता।

मैं इस मास की 15 तथा 16 तारीख को बम्बई में था और मैंने शिव सेना के मतान्ध व्यक्तियों के हाथों लोगों को कष्ट उठाते देखा है। बम्बई की सरकार का कर्त्तव्य है कि सामान्य नागरिकों तथा उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा करे।

माननीय सदस्य ने श्री कृष्ण मेनन का उल्लेख किया है। इससे पता लगता है कि निर्वाचक यदि किसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो उसे पराजित भी कर सकते हैं। 1952 में आंध्र में हम सभी हार गये थे परन्तु पांच वर्ष पश्चात् हम जीत गये। लोक मत के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। अतः हम कांग्रेस की वर्तमान स्थिति स्वीकार करते हैं। कांग्रेस सुधार का प्रयत्न करेगी और यदि वह सुधार करे, तो स्थिति में पुनः परिवर्तन लाया जा सकता है। साम्यवादियों द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव लाने में कोई तर्क नहीं है।

आंध्र प्रदेश में गड़बड़ का कारण कुछ गलतियों का किया जाना है। कुछ लोगों ने 1953 में आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनाने के समय भी अलग तेलंगाना राज्य बनाये जाने की मांग की थी। इसको प्रोत्साहन नहीं दिया गया था। क्योंकि आंध्र प्रदेश एक राज्य है। उसकी एक भाषा है और एक संस्कृति है। यह हो सकता है कि राजनैतिक प्रश्नों पर मतैक्य न हो परन्तु इस आधार पर अलग राज्य की मांग करना उचित नहीं है। फिर आंध्र के लोगों के मतभेदों को बातचीत से समाप्त किया जा सकता है। इसे यहां अविश्वास का विषय बनाना उचित नहीं है। हमें चरित्र हनन का सहारा नहीं लेना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि आंध्र प्रदेश में जो क्षोभ है, वह समाप्त हो जायेगा।

मेरा श्री राममूर्ति से अनुरोध है कि वह अपना असंगत अविश्वास का प्रस्ताव वापिस ले लें।

**श्री जी० विश्वनाथन** (वंडीवाश) : बम्बई में शिव सेना एक राक्षस का रूप धारण किये हुए है। कांग्रेस ने इसे प्रोत्साहन दिया है और उसने चुनावों में इससे लाभ उठाया है। इसका

परिणाम हमारे समक्ष है। वहां लगभग 75 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गयी है। यह कांग्रेसी मुख्य मंत्री की सांठगांठ से हुआ है।

इसके बारे में समाचार-पत्रों में पहले आना शुरू हो गया था। आप 8 जनवरी, 1968 के स्टेट्समैन में देख सकते हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया था शिव सेना कानून और व्यवस्था के लिये खतरा बन गई है। शिव सेना ने केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ करने का हिंसात्मक घटनाओं से काफी दिन पहले निर्णय किया था। बम्बई में पोस्टर लगाये गये थे जिनमें 'खून के बदले खून' की बात कही गई थी। परन्तु अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री कन्डप्पन को यहां पर गृह-कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बम्बई में दक्षिण भारतीय के लोगों की रक्षा की जायेगी, परन्तु बड़े खेद की बात है कि बहुत से दक्षिण भारतीयों को मारा गया और उनका माल लूटा गया। राज्य सरकार ने किसी प्रकार की एहतियाती कार्यवाही नहीं की।

23 मई, 1968 के इण्डियन एक्सप्रेस में शिव सेना से होने वाले खतरे की चेतावनी दी गयी थी। राज्य सरकार ने इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया।

जब तक इस प्रकार की फासिस्ट गतिविधियों को रोका नहीं जाता देश की एकता को खतरा बना रहेगा। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। यदि इसके विरुद्ध देश के अन्य भागों में बदले की कार्यवाही आरम्भ हो जाय, तो बड़ी जटिल स्थिति उत्पन्न हो जायगी। गृह-कार्य मंत्री को इस पहलू पर एक निर्णय करके सभी राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए। देश की एकता और अखण्डता के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार की विघटनकारी संस्थाओं पर रोक लगानी चाहिए।

हाल के चार राज्यों के चुनाव से सिद्ध हो गया है कि लोग कांग्रेस पार्टी की विचार-धारा और इसके कार्य से सहमत नहीं हैं। बिहार और बंगाल में संयुक्त मोर्चा ही स्थायी सरकार बना सकता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से सरकार बनाना चाहती है। बिहार में स्थिति बहुत अस्पष्ट है। किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। जनता के निर्णय का मान करते हुए कांग्रेस को सरकार नहीं बनानी चाहिए। केन्द्रीय सरकार को संयुक्त मोर्चा सरकारें बनने देनी चाहिये। राज्यपालों के द्वारा भी अनुचित कार्य नहीं किये जाने चाहिये।

प्रादेशिक असन्तुलन के बारे में मैं समझता हूं कि गत 15 वर्षों के आयोजन से यह समस्या और अधिक जटिल बनी है। पिछड़े हुए क्षेत्र अब भी वैसे ही हैं। तीन पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप धनी अधिक धनी बने हैं और निर्धन अधिक निर्धन हुए हैं। हम आशा करते हैं कि चौथी योजना में ऐसा नहीं होगा और पिछड़े क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। जब तक ऐसा नहीं किया जाता विघटनकारी तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा।

लोगों में यह धारणा है कि जब तक वे आन्दोलन नहीं करते उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। यह भावना समाप्त की जानी चाहिए। लोगों की उचित मांगों पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया जाना चाहिए।

तेलंगाना की समस्या का बातचीत द्वारा समाधान किया जाना चाहिए।

**श्री शान्तिलाल शाह** (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को लाने के औचित्य को समझ नहीं पाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा और सामान्य बजट पर चर्चा के समय हम सभी महत्वपूर्ण विषयों को उठा सकते हैं। ऐसा लगता है कि अब यह एक प्रथा सी बन गई है कि प्रत्येक सत्र के आरम्भ होने पर यह प्रस्ताव लाया जाय। इस बार तो कई प्रमुख विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया है।

मैं शिव सेना के बारे में ही कहना चाहता हूं। इस विषय को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम यह कि इसका उद्देश्य क्या है। दूसरे इसके प्रति कांग्रेस पार्टी का रवैया कैसा है ? तीसरे महाराष्ट्र सरकार इसे कैसा समझती है। वास्तव में शिव सेना पर बम्बई विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए और इस सदन में नहीं।

मैं समझता हूं कि यह एक फासिस्ट संगठन है। इसके प्रमुख श्री बाल थैकरसे ने हिटलर की सराहना की है। कुछ समय पूर्व उस पत्र से, जिसके साथ मैं सम्बद्ध हूं, कहा गया था कि वह शिव सेना का समर्थन करे। हमने इसके लिए स्पष्ट शब्दों में इन्कार कर दिया। यह संगठन साम्यवादियों की तरह एक फासिस्ट संगठन है। महाराष्ट्र में गत 15 वर्षों के दौरान साम्यवादियों ने बम्बई में संकीर्ण भावनाओं को उभारकर लाभ उठाया है। सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति तथा संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने ऐसे कार्यों से राजनैतिक लाभ उठाया है। अब शिव सेना वालों ने वही हथकंडे अपना लिये हैं। अब साम्यवादी अपनी लोकप्रियता खोते जा रहे हैं। इस पर उन्हें चिन्ता है।

बम्बई नगर के बाहर महाराष्ट्र में शिव सेना का कोई प्रभाव नहीं है। थाना, पूना आदि नगरों में नगरपालिकाओं के चुनावों में इसे सफलता नहीं मिली। अतः यह कहना कि कांग्रेस पार्टी इसके साथ है, गलत है। आरम्भ में शिव सेना वालों ने नारा लगाया था कि मराठा लोगों को रोजगार दिलाया जाये। यह मांग उचित थी। परन्तु इस बार उन्होंने सीमा के प्रश्न को उठाया है। यह प्रश्न पहले कम्यूनिस्ट पार्टी उठाया करती थी। श्री कृष्ण मेनन की चुनाव में पराजय का शिव सेना से कोई सम्बन्ध नहीं है। श्री मेनन ने उस क्षेत्र में जाकर कोई कार्य नहीं किया था, जहां से वह पहले चुने गये थे। उस समय शिव सेना नहीं थी।

शिव सेना से भद्र जनों को कोई सहानुभूति नहीं है। इसके अनुयायी कुछ गुंडे हैं। इसका जनसाधारण से विशेष सम्पर्क नहीं है। हाल के दंगों के लिये यही जिम्मेदार हैं। मैं आशा करता हूं कि महाराष्ट्र सरकार इसकी गतिविधियों को दबाने में सफल होगी।

साम्यवादी दल तानाशाही व्यवस्था में आस्था रखता है। वह कैसे शिकायत करने का अधिकारी है। जो लोकतन्त्र में विश्वास नहीं रखते वह कैसे सरकार हटा सकते हैं। इस प्रस्ताव को लाने वाला दल लोक तन्त्र में आस्था नहीं रखता। सदन को इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना चाहिये।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने दोनों पक्षों के सदस्यों की बात सुनी है। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस प्रकार का प्रस्ताव एक प्रथा बन गयी है। मैं समझता हूं कि संसदीय ढांचे में प्रथाओं का विशेष स्थान है। हाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन पर संसद् में चर्चा होना आवश्यक है। हाल के चुनाव तथा शिव सेना की गतिविधियां ऐसे ही कुछ मामले हैं। कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने ठुकरा दिया है। हमारे राजनैतिक जीवन में एक परिवर्तन का आभास हुआ है। ऐसी अवस्था में हमारा यह कर्तव्य है कि इस पर गंभीरता से विचार करें। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में हाल में हुए चुनावों में कांग्रेस को काफी ठुकरा दिया गया है इनमें से केवल उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति डूबते हुए उस व्यक्ति की तरह है जो एक तिनके के सहारे तैरने का प्रयत्न कर रहा हो।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**]

1967 के आम चुनावों के पश्चात् कांग्रेस ने गैर-कांग्रेसी लोक प्रिय सरकारों को पदच्युत करने के लिये घूसखोरी, दल-बदल और केन्द्रीय सरकार की शक्ति का सहारा लिया। परन्तु लोगों ने इसकी ऐसी हरकतों को पसन्द नहीं किया है और यही कारण है कि मध्यावधि चुनावों में कांग्रेस को ठुकरा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में कुल 280 स्थानों में से कांग्रेस को केवल 55 स्थान ही प्राप्त हुए हैं। स्पष्ट है कि लोगों ने अपना मत केन्द्रीय सरकार की नीतियों के विरुद्ध दिया है। अतः संसदीय औचित्य यह है कि कांग्रेस की केन्द्रीय सरकार त्यागपत्र दे दे। ब्रिटेन में कई बार ऐसा हो चुका है, जब वहां की सरकार ने एक उपचुनाव के परिणाम के आधार पर ही त्यागपत्र दिया है। हम जब अन्य सभी बातों में ब्रिटेन की नकल करते हैं, तो इस मामले में उनका अनुकरण न करने के क्या कारण हैं? त्यागपत्र देना तो एक तरफ रहा, कांग्रेसी अब यह कह रहे हैं कि हमें आम चुनावों की तुलना में मध्यावधि चुनावों में अधिक मत प्राप्त हुए हैं। शायद वे यह भूल गये हैं कि 1952 से वे देश में अल्पसंख्यक मत के आधार पर ही देश पर शासन करते रहे हैं। इस बार इनकी चाल नहीं चली क्योंकि लोग अब इनकी करतूतों से, जो इन्होंने 1967 के चुनावों में और इसके पश्चात् की, अच्छी तरह परिचित हो गये हैं। एक बात जो नवम्बर, 1967 में पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार के लिये गलत थी वही बात दिसम्बर, 1968 में हरियाणा में बंसीलाल की कांग्रेसी सरकार के लिये सही थी। पश्चिम बंगाल में श्री धर्मवीर की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति करके उसके द्वारा जो कुछ किया गया, लोगों ने उसका उत्तर मध्यावधि चुनावों

में कांग्रेस दल को दे दिया है। यह न केवल केन्द्रीय सरकार के ही परन्तु श्री धर्मवीर के मुंह पर भी एक थप्पड़ है। मांग यह है कि उन्हें वहां से हटा लिया जाये। यदि सरकार को इन लोगों की भावनाओं की कोई कदर है तो उसे यह समझ लेना चाहिये कि देश में जो सामूहिक क्रांति आ रही है उसको रोका नहीं जा सकता। कांग्रेसी संयुक्त मोर्चे की सरकार के विरुद्ध घेराव के कारण लोगों के परेशान होने के आरोप लगाकर गलत प्रचार द्वारा लोगों को अब धोखा नहीं दे सकेंगे।

बम्बई में शिव-सेना ने जो आतंक फैला रखा है उसके लिये सरकार ही जिम्मेदार है। गृह-मंत्री श्री चह्वाण ने इसकी इन राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियों के विरुद्ध अभी तक कुछ नहीं कहा है। इसकी भर्त्सना करने की बजाये अब हमें यह कहा जा रहा है कि यह तो एक ऐसा मामला है जिस पर बम्बई निगम में विचार किया जाना चाहिये और यह अविश्वास प्रस्ताव अनावश्यक है। लोगों ने अपना निर्णय दिया है कि केन्द्रीय सरकार की नीतियों की निंदा की जाये। केन्द्रीय सरकार को दलबदलुओं का सहारा लेने की नीति की निंदा की जाये। पश्चिम बंगाल में तो दलबदलुओं की हार हो गई है। परन्तु सरकार अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अब शायद शिव सेना का ही उपयोग करना चाहती है। कांग्रेस दल द्वारा अपनाये जाने वाले हथकंडे ऐसे हैं, जिनसे लोग अब निराश हो गये हैं और यह कहीं अच्छा होगा कि सरकार अब अपनी अलोकतंत्रीय नीतियों को छोड़ दे। हम देश में वास्तव में लोकतंत्र चाहते हैं। सरकार को चाहिये कि वह बम्बई में माल व जान की हुई हानि की पूरी जांच कराये। वहां पर लोगों, विशेषतया दक्षिण राज्यों के, की सम्पत्ति तथा उनकी सुरक्षा करने में सरकार की असफलता की भी जांच कराई जानी चाहिये। कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास की तरह बम्बई भी देश का एक बड़ा नगर है और जो कुछ वहां होता है उसके लिये केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेवार है और इसलिये यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वह बिल्कुल उचित है।

समवाय-कार्य विभाग द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार टाटा, बिड़ला तथा मफतलाल ग्रुपों को गत तीन वर्षों में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिये राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग दिया गया है। इसका शायद यह कारण है कि प्रधान मंत्री बिड़ला बन्धुओं के पारिवारिक मित्र हैं और इसीलिये ही राज्य-सभा में कांग्रेस दल के एक अपने ही सदस्य द्वारा बिड़ला ग्रुप के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच नहीं कराई जा रही है।

आश्वासनों के बावजूद केन्द्रीय सरकार के 9,000 से भी अधिक कर्मचारियों को बहाल नहीं किया है। इससे और भी बुरी बात यह है कि अब सरकार ने एक अन्य विधेयक बनाने की घोषणा की है जिसके अन्तर्गत हड़तालों पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जायगी। सरकार इस प्रकार लोगों के अधिकारों को नहीं छीन सकती है।

मध्यावधि चुनाव के परिणामों के आधार पर मंत्रियों को स्वयं त्यागपत्र दे देना चाहिये था परन्तु वे तो अपने रवैये में दृढ़ हैं। उनका यह रवैया लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इस

स्थिति में संसदीय कार्यवाही का सहारा लेकर लोगों की इस इच्छा को केवल व्यक्त ही किया जा सकता है कि वे अब गद्दी छोड़ दें। लोगों ने अपना निर्णय दे दिया है और शीघ्र ही उन्हें लोगों के इस निर्णय का पालन करना पड़ेगा।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : मैं उन राजनैतिक दलों को बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। आज के एक समाचार-पत्र में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह अक्षरशः सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का उद्देश्य केवल यह है कि विपक्षी दलों का समाचार पत्रों में प्रचार हो क्योंकि वे जानते हैं कि वे संसद में जितना अधिक शोर मचायेंगे उतना ही उनका नाम समाचार-पत्रों में अधिक प्रकाशित होगा। इसके अलावा इसका और कोई प्रयोजन नहीं है। जिन विपक्षी दलों ने इस अविश्वास प्रस्ताव में सहयोग नहीं दिया है, उनको मैं बधाई देता हूं क्योंकि ऐसा करके उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता का प्रमाण दिया है। यदि यही रवैया राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जाये तो वह दिन दूर नहीं है, जब हम इस देश में अलोकतंत्रीय तत्वों का, जो अब सर उठा रहे हैं, सफाया कर सकेंगे।

जहां तक निर्वाचन में हार होने का सम्बन्ध है, मैं यह बता देना चाहता हूं कि इनमें साम्यवादी दलों तथा संयुक्त समाजवादी दल की ही हार हुई है। कांग्रेस दल को 1967 में कांग्रेस को कुल 37.46 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे जबकि इस वर्ष इसे 39.28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। यह ठीक है कि पंजाब में कुछ गठजोड़ों तथा अन्य कारणों से कांग्रेस को हार हुई है। इसके अलावा अन्य दलों की तरह हमारे दल में भी कुछ संगठन सम्बन्धी कमियां हैं। परन्तु जनसंघ की क्या हालत हुई है। पंजाब में अब उनके स्थान 9 से कम होकर केवल आठ ही रह गये हैं। यह आरोप बिल्कुल गलत है कि लोगों ने इस सरकार के विरुद्ध अपना निर्णय दिया है क्योंकि यह तथ्यों से सिद्ध नहीं होता है। बिहार में कांग्रेस को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए हैं। संयुक्त समाजवादी दल जिसको 1967 में कांग्रेस के पश्चात दूसरा स्थान मिला था, अब कांग्रेस से बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है। 1967 में 199 के स्थान पर अब 208 स्थान प्राप्त हुए हैं। क्या कोई इन तथ्यों से इन्कार कर सकता है। इन सभी बातों को देखते हुये इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या औचित्य है। अतः मैं साम्यवादी दल (दक्षिण पंथी) के सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस अविश्वास प्रस्ताव में सहयोग न दें।

दूसरी बात जो उठाई गई है वह शिव सेना के बारे में है। शिव सेना की कार्यवाहियों की न केवल विपक्षी दलों के सदस्यों ने ही परन्तु कांग्रेस के सदस्यों ने भी निन्दा की है। हम उनकी इन कार्यवाहियों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते हैं। इस देश में वामपंथी साम्यवादी दल ने जिन अर्ध-सैनिक और फासिस्ट संगठनों का पोषण किया है, उनके बारे में क्या स्थिति है ?

**श्री पी० राममूर्ति** (मदुरै) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस बारे में संसदीय जांच की जानी चाहिये और यदि यह आरोप झूठा सिद्ध होता है तब उन्हें त्यागपत्र देना चाहिये। यह दल के विरुद्ध निन्दाजनक आरोप है जिसे सहन नहीं किया जा सकता।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**श्री पी० राममूर्ति :** वक्तव्य में कहा गया है कि भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) देश में एक सेना संगठित कर रहा है। माननीय सदस्य या तो अपना वक्तव्य वापिस लें या इसको सिद्ध करें। मैं संसदीय जांच के लिये तैयार हूं। इस प्रकार के आरोप लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपको प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। वक्तव्य असंसदीय नहीं है।

**Shri S. M. Joshi** (Poona) : In a democracy it is not proper to make an allegation like this against any party. Will it be in favour of Parliamentary practice and dignity ?

**उपाध्यक्ष महोदय :** सब माननीय सदस्यों से यह आशा की जाती है कि यदि उनके वक्तव्य को चुनौती दी जाती है तो वे उसे साबित करें। प्रत्येक सदस्यों को उस समय ही वक्तव्य देना चाहिए जब वह उक्त वक्तव्य की सच्चाई के बारे में पूरी तरह संतुष्ट हो।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** यह कोई आरोप नहीं है **(व्यवधान)**

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

**श्री शिव नारायण** (बस्ती) : माननीय सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करना नहीं चाहते।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

नियम 352 की उपधारा (7) में कहा गया है।

"कि कोई भी सदस्य भाषण करते समय

× × × × ×

(7) अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहात्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा।"

यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य ने दल विशेष की मानहानि की है। अतः उन्होंने नियम 352 की उप-धारा (7) का उल्लंघन किया है। मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यद्यपि सीधा आरोप नहीं लगाया गया है तथापि भाषण करते समय शंका अवश्य व्यक्त की गई थी। जो सदस्य सदन में उपस्थित न हों यदि उनके विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है तो उन्हें अपने पक्ष में बोलने का अधिकार है। यदि किसी विशेष सदस्य

का नाम लेकर कुछ कहा जायेगा तो वह उक्त सदस्य के विरुद्ध दोषारोपण होगा जब तक शब्द असंसदीय नहीं होगा तब तक उसे सभा की कार्यवाही से नहीं निकाला जा सकता ।

**श्री स० मो० बनर्जी :** एक विशेष दल पर आरोप लगाया गया है कि वह सेना का गठन कर रहा है । इस प्रकार के आरोप श्री हुमायूं कबिर पर भी लगाये गये थे । उस समय भूतपूर्व अध्यक्ष ने मामले को एक समिति को सौंपा था ।

इस बारे में जांच की गई थी ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि वक्तव्य में कोई बात होगी, तो मैं इसकी जांच करूंगा ।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** मैं तो सभा का ध्यान इस बात की ओर दिलाने का प्रयास कर रहा था कि जो राजनैतिक दल लोकतंत्र तथा संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखने की बात कहते हैं, वास्तव में इस सभा में उसका पालन नहीं करते, जहां सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की अपेक्षा की जाती है । जब श्री राममूर्ति ने शिव सेना और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति का उल्लेख किया था तब हम लोग शान्त बैठे रहे । जब हमने संयुक्त समाजवादी और साम्यवादी दल का उल्लेख किया, तो उन्होंने उसका विरोध किया । इस प्रकार की प्रान्तीयता का जोरदार शब्दों में विरोध किया जाना चाहिये ।

जाति, सम्प्रदाय और धर्म के आधार पर दलों का निर्माण करना लोकतंत्रात्मक प्रणाली और देश की एकता के विरुद्ध है । कांग्रेस दल पर दल बदलुओं को प्रोत्साहन देने का आरोप लगाया गया है । दल बदलने की प्रवृति को रोकने के लिये मैंने ही सबसे पहले संकल्प रखा था । सरकार ने इस मामले के लिये उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की थी । उसकी सिफारिशें सरकार के सामने हैं । प्रत्येक व्यक्ति जिसका लोकतंत्रात्मक प्रणाली में विश्वास है इस प्रवृति की निन्दा करेगा ।

इस मध्यावधि चुनाव में अधिकांश दलबदलुओं की पराजय हुई है ।

प्रादेशिक असंतुलन का मुकाबला किया जाना चाहिये । आंध्र प्रदेश का गठन स्वतन्त्रता से पूर्व एक सिद्धांत के आधार पर किया गया था ।

यह दुःख की बात है कि राज्यों के पुनर्गठन के 12 या 13 वर्ष बाद भी देश में इस प्रकार की विकृति विद्यमान है । हमें इस प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त करना चाहिये ।

स्थानीय लोगों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान करने के बारे में शिकायतें हैं । इन शिकायतों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए । यदि एक स्थान का जनरल मेनेजर अपने ही सम्बन्धियों की नियुक्ति करता है, तो इससे स्थानीय लोगों में रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है देश में सब जगह ऐसा ही हो रहा है । इसको समाप्त किया जाना चाहिये । सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ।

तेलंगाना में जो कुछ भी हुआ है, उससे कोई भी खुश नहीं है। मामले को अन्य बहुत से शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। मुझे आशा है कि इस मामले को कांग्रेस तथा अन्य दल मिल कर शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे। प्रादेशिक असंतुलन खराब है लेकिन समाज में असंतुलन उससे भी बुरी बात है। देश के सब दलों का कर्तव्य है कि वे इस असंतुलन को दूर करने में सहयोग दें।

कांग्रेस दल अधिकांश राज्यों, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़कर, सबमें सफल रहा है। इस दल की विचारधारा और नीतियों का जनता ने समर्थन किया है। एक दल जो 20 वर्ष तक सत्तारूढ़ रहा हो, उसमें कुछ कमियां आ जाना स्वाभाविक है। लेकिन विरोधी दलों में भी कमियां हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं कि उनके दल हर प्रकार से परिपूर्ण हैं और कांग्रेस दल में फूट है। मेरा सभा से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जाये।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापतनम्) : कांग्रेस दल की असफलता के ही कारण देश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण बार-बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ताकि सरकार अपनी गलतियां ठीक कर सके। यदि सरकार ने देश की ओर जरा भी ध्यान दिया होता, तो देश आज इतनी कठिन परिस्थितियों में नहीं होता।

देश में प्रादेशिक असंतुलन को रोकना चाहिए। हमें प्रदेश की बजाये समस्त देश की समस्याओं की ओर ध्यान देना चाहिये। कुछ क्षेत्रों के असंतुष्ट होने के ही कारण ये प्रश्न उठाये जाते हैं। यदि कुछ वर्ष पूर्व सरकार ने उनकी समस्याओं के बारे में कार्यवाही की होती तो देश में कट्टर प्रान्तीयता अपना सिर नहीं उठाती।

आज भी सरकार इस बारे में कार्यवाही कर सकती है लेकिन सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इस ओर ही ध्यान दिलाया गया है।

सरकार को यथा समय कार्यवाही करके जनता की कठिनाइयों को दूर करना चाहिये।

1967 के बाद कांग्रेस द्वारा कोई कार्यवाही न की जाने के ही कारण आज कांग्रेस को इस पराजय का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार द्वारा कार्यवाही न करने से जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंत्री पद प्राप्त होने के बाद वे जनता से इतना अधिक सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाते जितना कि हम लोग। सरकार जितनी जल्दी अपने रवैये में परिवर्तन करेगी उतना ही देश के लिये अच्छा होगा। सरकार को हमारी शिकायतों को ध्यान से सुनना चाहिये। आरोपों और प्रत्यारोपों से कोई लाभ नहीं। हम अर्थिक प्रगति चाहते हैं। धन का सम्यक् रूप में वितरण किया जाना चाहिये। लेकिन इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता। वर्तमान संविधान, यदि क्रियान्वित किया जाये, जनता को अधिकतम संतोष देने में सक्षम है।

कानून और व्यवस्था बनाये रखना सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है। राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार पर यह संयुक्त उत्तरदायित्व है। उन्हें इस उत्तरदायित्व को अच्छी प्रकार से निभाना चाहिये। सरकार यह सोचती है कि केवल राजनीतिक कारणों से धमकियां दी जाती हैं और आन्दोलन आरंभ किये जाते है परन्तु राजनीतिक कारण होते हुए भी इनका मुख्य कारण लोगों की आर्थिक स्थिति और बेरोजगारी है। सरकार को सभी लोगों के लिये रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि सभी लोगों के लिये रोजगार उपलब्ध हो, तो इस प्रकार की अव्यवस्था पैदा ही न हो। केवल रोजगार दफ्तरों की संख्या बढ़ा देने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने चाहिये। लघु उद्योग को नया रूप दिया जाना चाहिये और जो लोग स्वयं अपना उद्योग चला सकते है उन्हें ऐसा करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने चाहिये। पालिटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रशिक्षित हजारों लोग बेरोजगार हैं। सरकार को केवल धनवान लोगों को ही अधिक धनवान बनाने के लिये कार्य नहीं करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker in the Chair]

सरकार को उपभोक्ता उद्योगों पर से सभी प्रकार के नियंत्रण अथवा प्रतिबन्ध हटा लेने चाहिये। उन्हें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिये जिनके पास साधनों की कमी है। आन्ध्र प्रदेश तथा बम्बई में ज्वालामुखी फूटने के कुछ चिह्न सामने आये हैं। ऐसी घटनाएं देश के अन्य भागों में भी होती रही हैं। अतः सरकार को इस असन्तोष को दूर करने के लिये रचनात्मक उपाय करने चाहिये। जब तक शिक्षित तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों के रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है वहां सरकार को उसके कारणों का पता लगाना चाहिये और फिर उस समस्या का समाधान करना चाहिये।

राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अपने रवैये को बदलना चाहिये। उन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किये जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। जब आगजनी और लूटमार की घटनाएं होती हैं, तो केन्द्र सरकार को केवल यह नहीं कहना चाहिये कि वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि वह राज्य का विषय है। यह अनुचित है। सरकार को इस प्रकार के मामलों में पहल करनी चाहिये। उन्हें राज्य सरकार को बताना चाहिये कि वे राज्य को सभी प्रकार की सहायता देने के लिये तैयार हैं परन्तु उन्हें कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाये रखनी चाहिये। वित्त मंत्री को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि धन का उपयोग ठीक ढंग से हो।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : There is no substance in this No Confidence Motion. It has become so cheap that every now and then a No Confidence Motion is moved in the House. There is no seriousness in it. The people who are responsible for the acts of lawlessness are

advising the Government here. No Confidence Motion has become a media of propaganda. Communists have been exploiting the masses and they are themselves indulging in disruptive activities. They are playing a double role.

There is no point in this No Confidence Motion. The Government have dealt with the disruptive activities firmly. 97 per cent of the people of Nagaland have exercised their franchise only because of the Congress Government. They have now become peaceful citizens.

We have to change ourselves according to the changing circumstances. We are prepared to have negotiations with China on a basis consistent with India's territorial integrity, sovereignty and national honour. We are not prepared to talk through the Communist Party of India. Our Government will deal with them with an iron hand. The SVD Governments in U. P. and Bihar could not make any progress. The opposition parties could not face congress even jointly. I, therefore, feel that there is no substance in this Motion. They have many differences in between themselves. This motion will be thrown out almost unanimously.

**Shri Shinkre** (Panjim) : It is very easy to criticise others but we should look to ourselves also. It may be pointed out that when Samyukt Maharashtra Praja Parishad could not solve the problem of Belgaum, Karwar and Goa, the Samyukt Maharashtra Samiti was set up. As a result thereof congress was defeated. Such things happen when sensitive issues are not settled. When Samyukt Maharashtra Samiti could not settle the issue of Belgaum, Karwar or Goa the Sampuran Maharashtra Samiti was set up. But when they also failed to resolve the issue, one Shri Bal Thakrey, a cartoonist of Free Press became leader of the movement. Now he is in a position to launch an agitation and also to withdraw the same. The only remedy to such a situation is that we should go deep into the circumstances which are responsible for it. Our Home Minister is quite impartial and because of his too much impartiality this situation has arisen. He has been condemning the activities of Shiv Sena. It is wrong to suggest that because of inadequate measures taken by State Government 50-60 persons have died. In my opinion the only mistake they committed was that they detained the leaders of the agitation in jail and their followers went out of control. Had their leaders not been detained in jail, there would have not been loss of life and property to this extent. While concluding I may say again that it is always easy to accuse others but it is necessary to look to one's house also.

## कार्य मंत्रणा समिति

## BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

### अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

**श्री श्रद्धाकर सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का अट्ठाइसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 फरवरी, 1969/30 माघ, 1890 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, February 19, 1969/Magha 30, 1890 (Saka)**



Tej Kumar Press, Lucknow. 26-4-69—600.